मंगलवार,
२४ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

तीसरा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation

# लोक सभा

मंगलवार, २४ मार्च, १९५३

---

**सदन की बैठक दो बज समवेत हुई**

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### विद्यार्थियों को अन्य शिक्षा संस्थाओं में भेजने की योजना

*९३४. **श्री बी० के० दास :** पुनर्वास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल सरकार को "कलकत्ते से कॉलिज विद्यार्थियों को अन्य शिक्षा संस्थाओं में भेजने की योजना" के अन्तर्गत अभी तक कुल कितना रुपया दिया गया है ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :** अस्सी लाख रुपये, ऋण के रूप में।

**श्री बी० के० दास :** इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल कितना रुपया दिया जाना था ?

**श्री जे० के० भोंसले :** अस्सी लाख रुपये।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या यह सत्य है कि ८० लाख रुपये की सारी राशि कालिजों को दे दी गई है ?

**श्री जे० के० भोंसले :** जी नहीं। इसे तीन विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, यानी २० कालिजों, १२ इंटरमीजियेट कालिजों और ९ टेकनिकल संस्थाओं में बांटा गया है।

**श्री बी० के० दास :** जिन संस्थाओं को सहायता दी जानी है उन में कुल कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है ?

**श्री जे० के० भोंसले :** ऐसी कोई शर्त नहीं है।

**श्री बी० के० दास :** प्रान्तीय सरकार को किन शर्तों के अधीन यह ऋण दिया गया था ? क्या यह शर्त थी कि वह शिक्षा संस्थाओं को कुछ सीटों की व्यवस्था करने में सहायता देगी या फिर योजना क्या थी ?

**श्री जे० के० भोंसले :** उन संस्थाओं को सहायता दी गई थी जहां ७५ प्रतिशत विद्यार्थी विस्थापित व्यक्ति थे।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या इस योजना में इस प्रकार भेजे जाने वाले विद्यार्थियों के लिये रहने और खाने का प्रबन्ध भी शामिल है ?

**श्री जे० के० भोंसले :** जी नहीं।

**श्री एस० सी० सामन्त :** कालिजों के नाम क्या हैं ?

**श्री जे० के० भोंसले :** इसकी बड़ी लम्बी सूची है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसे पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री एस० सी० सामन्त :** इन तीन प्रकार की संस्थाओं को कितनी कितनी राशि दी गई है ?

**श्री जे० के० भोंसले :** २० कालिजों को १९,५१,१३६ रुपये; नये इंटरमीजियेट कालिजों को २५,८२,९५१ रुपये और टेक-निकल संस्थाओं को ४२,०७,३३७ रुपये।

**श्री टी० के० चौधरी :** क्या यह रुपया इकट्ठी राशि के रूप में दिया गया था या आवर्तक अनुदानों के रूप में ?

**श्री जे० के० भोंसले :** इकट्ठी राशि के रूप में।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** [माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट करते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या रहने और खाने का प्रबन्ध करने के लिये कोई राशि दी गई है यदि हां तो कितनी ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर दिया जा चुका है। रहने तथा खाने के लिये कोई अलग भत्ते नहीं दिये जा रहे हैं।

**श्री जे० के० भोंसले :** जी नहीं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को देखते हुए कि कालिजों में बहुत अधिक भीड़ भाड़ है क्या इन विद्यार्थियों के लिये कलकत्ता के कालिजों में कोई विशेष सीटें रक्षित की गई हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** माननीय सदस्या शायद योजना के उद्देश्य को नहीं समझ पाई हैं। कलकत्ते में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चली थी; इसलिये पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह सुझाव दिया कि कुछ विद्यार्थियों को मुफ़स्सिल क्षेत्रों में भेज दिया जाये। कलकत्ते के बाहर स्थित कई संस्थाओं को बढ़ाया गया और कुछ चुने हुए हाई स्कूलों में इंटरमीजियेट क्लासें शुरू कर दी गईं। इन संस्थाओं में अधिकतर विस्थापित व्यक्ति और कुछ ग़ैर-विस्थापित व्यक्ति दाख़िल किये गये थे।

**श्री बी० के० दास** उठे —

**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अधिकतम आयुसीमा**

*९३६. **श्री एस० सी० सामन्त :** **गृह-कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नौकरियों के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की अधिकतम आयु सीमा को ६ वर्ष और बढ़ाने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से फ़ैसला हो गया है;

(ख) क्या इन लोगों को सामान्य आयु-सीमाओं के अनुसार समाप्त किये गये सेवा-काल के बाद ५ वर्ष और अधिक नौकरी करने दिया जायेगा; तथा

(ग) क्या पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को भी यह आयु-सम्बन्धी रियायतें दी जायेंगी ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) अधिकतम आयु सीमा को ६ वर्ष बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से सरकार ने अधिकतम आयु सीमा को पहले तीन वर्ष बढ़ाया था : जून १९५२ में, उसने अघोषित पदों और नौकरियों के लिये अधिकतम आयु सीमा २ वर्ष (यानी कुल ५ वर्ष) और बढ़ा दी। घोषित पदों और नौकरियों के बारे में भी अधिकतम आयु सीमा में ५ वर्ष की वृद्धि करने के प्रश्न पर [विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़ कर किन लोगों को पिछड़े हुए वर्गों में गिना जाये और उन्हें क्या रियायतें दी जायें; इस प्रश्न पर पिछड़े हुए वर्गों से सम्बन्धित कमीशन की सिफ़ारिशों के आ जाने पर विचार होगा।

**श्री एस० सी० सामन्त :** इन लोगों को आयुसीमा में तीन वर्ष की रियायत कब से दी जा रही है ?

**श्री दातार :** १९५० से।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या पांच वर्ष की यह रियायत प्रथम श्रेणी के पदों के बारे में भी दी जाती है ?

**श्री दातार :** इस समय घोषित पदों को यह रियायत बिल्कुल नहीं दी जाती; हां, सारे अघोषित पदों को अवश्य दी जा रही है।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या यह सत्य नहीं कि अखिल भारतीय दलित जाति संघ ने सरकार से प्रार्थना की थी कि यह रियायत श्रेणी १ के अधिकारियों को भी दी जाये ?

**श्री दातार :** जी हां, प्रार्थना की गई है।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री दातार :** उस पर विचार हो रहा है।

**श्री नानादास :** इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि श्रेणी १ और २ की सेवाओं के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार बहुत कम होते हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या इन पदों के लिये सरकार शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य योग्यताओं में कमी करना सोचती है ?

**श्री दातार :** जी नहीं।

**श्री ई० इय्यानी :** क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यह रियायत दी गई है ?

**श्री दातार :** जी हां, सब को।

**मनीपुर के झील क्षेत्रों का पुनरुद्धार**

*९३७. **श्री एल० जे० सिंह :** (क) क्या **राज्य** मन्त्री मनीपुर के झील क्षेत्रों के पुनरुद्धार से सम्बन्धित ८ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १००६ के उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और खाद्य तथा कृषि उपमंत्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को सदन पटल पर रखेंगे ?

(ख) रिपोर्ट में की गई वे विशिष्ट सिफ़ारिशें क्या क्या हैं जिन्हें सरकार कार्यान्वित करना सोचती है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) चूंकि रिपोर्ट गोपनीय है इसलिये सरकार उसे सदन पटल पर रखने का विचार नहीं करती।

(ख) सिफ़ारिशों पर अभी विचार हो रहा है।

**श्री एल० जे० सिंह :** ८ दिसम्बर १९५२ को पूछे गये प्रश्न संख्या १००६ के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा था कि :

"खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् कमीशन के एक अधिकारी कुछ बातों को देखने के लिये मनीपुर गये थे। उनकी रिपोर्टों पर विचार हो रहा है।"

परन्तु अब माननीय मन्त्री कहते हैं कि यह गोपनीय है।

क्या माननीय मन्त्री वास्तविक स्थिति बतलाने की कृपा करेंगे ?

**डा० काटजू :** मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** हम आपका मतलब नहीं समझे।

**श्री एल० जे० सिंह :** इसका एक पहले मौक़े पर उत्तर दिया जा चुका है और उस उत्तर को स्पष्ट कराने के लिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। अब यह कहा जा रहा है कि रिपोर्ट गोपनीय है परन्तु पिछली दफ़ा एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में गृह उपमंत्री ने कहा था कि :

"कई सिफ़ारिशें की गई हैं और वे खाद्य तथा कृषि मन्त्री तथा सिंचाई और नदी घाटी परियोजना मंत्री के विचाराधीन हैं।"

**डा० काटजू :** उन पर अब भी विचार हो रहा है।

**श्री एल० जे० सिंह :** एक अन्य अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि :

"यह कमीशन वहां लोह तक झील के फ़ालतू पानी से होने वाले नुकसान को देखने गया था जिससे कि दलदल वाली भूमि को कृषि योग्य बना कर अनाज उगाया जा सके; उन्होंने कई सुझाव दिये हैं जिन पर विचार हो रहा है।"

मैं जानना चाहता हूं कि अब वास्तविक स्थिति क्या है ?

**श्री अलगू राय शास्त्री :** यह प्रश्न है या कोई विवरण ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में ही प्रश्न संख्या १००६ का निर्देश किया है। माननीय मन्त्री ने उस सब पर विचार किया है। उनका ध्यान उस ओर दिलाया गया है और उन्होंने उत्तर दे दिया है। वह एक गोपनीय रिपोर्ट है।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** सिफ़ारिश कब मिली थी और सरकार को उस पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

**डा० काटजू :** यह एक टेकनिकल मामला है। रिपोर्ट इस समय सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय के पास भेजी गई है और वह उस पर विचार कर रहा है। इस पर बहुत कुछ विचार किया जाना है और इसमें बहुत काफ़ी खर्चे का सवाल है। इस में विशेष जल्दी की भी कोई बात नहीं है। सरकार एक या दो महीने में इस पर फ़ैसला कर लेगी।

**श्री टी० एन० सिंह :** क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि वास्तविक पुनरुद्धार सम्बन्धी सूचना तथा अन्य आंकड़े दे दिये जायें क्योंकि यह तो गोपनीय हो नहीं सकते ? अन्य बातों को, जिनका पुनरुद्धार कार्य से सम्बन्ध नहीं, भले ही न बताया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं माननीय मन्त्री इस सुझाव पर विचार करेंगे।

**श्री एल० जे० सिंह :** क्या माननीय मन्त्री केन्द्रीय जल तथा विद्युत् कमीशन के प्रतिनिधि की जो, उपमन्त्री महोदय के साथ मनीपुर राज्य के दौरे पर गये थे, रिपोर्टों को सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का कहना है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् कमीशन की ओर से एक अधिकारी उपमंत्री जी के साथ गया था और उसने एक रिपोर्ट पेश की है। वह उस रिपोर्ट को सदन पटल पर रखवाना चाहते हैं।

**डा० काटजू :** यही रिपोट तो गोपनीय है।

**गणतंत्र दिवस पर सरकारी इमारतों पर रोशनी**

*९४०. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** रक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २६ जनवरी १९५३ को गणतन्त्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन, सेक्रेटेरियट और इण्डिया गेट तथा अन्य सरकारी इमारतों को सजाया गया था और उन पर खूब ज़ोरदार रोशनी की गईथी;

(ख) क्या यह सत्य है कि संसद् भवन पर न तो रोशनी हुई थी और न ही उसे सजाया गया था; तथा

(ग) संसद् भवन पर रोशनी क्यों नहीं की गई थी और उसे सजाया क्यों नहीं गया था ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी):** (क) जी हां, लेकिन रोशनी मामूली पैमाने पर ही की गई थी।

(ख) संसद्-भवन पर रोशनी नहीं की गई थी।

(ग) खर्चे में कमी रखने के लिये केवल राष्ट्रपति भवन की सीध में आने वाली इंडिया गेट तक की इमारतों पर रोशनी की गई थी। सीधे मार्ग पर स्थित इमारतों को न चुनने का मतलब अधिक खर्चा करना होता।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार :** मैं भाग (ग) के उत्तर को नहीं समझ सका हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि इससे खर्चा बढ़ जाता।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या संसद्-भवन पर रोशनी इसलिये नहीं हुई थी कि उसे कम महत्वपूर्ण समझा गया ?

**श्री त्यागी :** जी नहीं, संसद्-भवन के महत्व को कम करने का कोई सवाल नहीं था। जैसा मैं कह चुका हूं विचार यह था कि रोशनी पर खर्चा कम किया जाये क्योंकि इस वर्ष गणतन्त्र दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया था और इस सम्बन्ध में अन्य कई उत्सव भी किये गये थे। इसलिये हमने रोशनी में कमी कर दी थी। वास्तव में, रक्षा मन्त्रालय और इमारतों पर रोशनी करना चाहता था परन्तु उस समय व्यय विभाग मेरे पास था और मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि रोशनी पर खर्चे में कमी करने की ज़िम्मेदारी मेरी है।

**श्री टी० एन० सिंह :** क्या कुछ हज़ार रुपये बचाने के ख्याल से सरकार ने संसद् भवन पर रोशनी नहीं की थी ?

**श्री त्यागी :** जैसा मैं बतला चुका हूं अन्य बातों पर बहुत खर्चा हुआ था; गणतन्त्र दिवस को और अधिक महत्व देने के लिये हमें अन्य उत्सव भी करने पड़े थे, इसीलिये रोशनी में कमी की गई थी।

**श्री टी० एन० सिंह :** क्या यह सत्य नहीं है कि १९५० के उत्सव में संसद्-भवन पर रोशनी की गई थी; यदि ऐसा है तो इस वर्ष उसे क्यों छोड़ा गया ?

**श्री त्यागी :** उस वर्ष रोशनी पर खर्चा लगभग ४ लाख रुपये था। परन्तु इस वर्ष अन्य जलसे भी किये गये इसलिये रोशनी केवल उन्हीं इमारतों पर की गई जो राष्ट्रपति भवन से इण्डिया गेट के सीधे रास्ते पर पड़ती थीं।

**श्री टी० एन० सिंह :** संसद् भवन पर रोशनी करने से ज्यादा किन चीज़ों को महत्व दिया गया था ?

**श्री त्यागी :** इसका कोई प्रश्न नहीं। संसद् का सत्र नहीं चल रहा था। यह भी एक वजह थी।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** कुल कितना व्यय हुआ था और जो रोशनी अब तक की जा रही है उस पर क्या खर्चा हो रहा है ?

**श्री त्यागी :** वर्तमान खर्चा तो थोड़ा सा ही होगा क्योंकि इस समय बहुत कम इमारतें ही ऐसी हैं जिन पर जनता के फ़ायदे के लिये रोशनी की जा रही है। गणतन्त्र दिवस के लिए कुल ८००० रुपये के खर्चे की अनुमति दी गई थी।

**सेठ गोविन्द दास :** क्या यह आशा की जानी चाहिए कि अगली बार जहां तक संसद् के भवन का सम्बन्ध है इस प्रकार की कंजूसी नहीं की जायगी ?

**श्री त्यागी :** कंजूसी का कोई सवाल नहीं है । क्योंकि और मामलों पर तवज्जह देना जरूरी समझा गया इसलिये रोशनी पर खर्चा कम कर दिया गया ।

श्री **अलगू राय शास्त्री :** वह दूसरे मामले क्या हैं, रोशनी के अलावा, जिन पर ज्यादा खर्चा किया गया और जिनकी वजह से रोशनी पर कम खर्च करना पड़ा ?

**श्री त्यागी :** अनरेबुल मेम्बर को मालूम होगा कि पिछली मर्तबा फ़ोक डांसेज वगैरह में हर जगह के ट्राइबल पीपुल और दूसरे खास खास लोग बुलाये गये थे । उन को बुलाने का, यहां रखने का, खाने पीने वगैरह का खर्चा किया गया, इस की वजह से ज्यादा खर्चा हुआ ।

**पोर्ट ब्लेयर के डाकयार्ड की मरम्मत**

*९४३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) **गृह-कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पोर्ट ब्लेयर के डाकयार्ड की मरम्मत में देर क्यों हो रही है ?

(ख) क्या पोर्ट ब्लेयर का पोत विभाग वन विभाग की नावों तथा अन्य नावों की मरम्मत के सिलसिले में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है ?

(ग) यदि हां तो क्या उसका कार्य-क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है ?

(घ) नये मशीन औज़ारों को उपयुक्त कार्य-स्थान पर लगाने में कितना समय लग जायेगा ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** डॉकयार्ड में ज़रूरी मरम्मत १९४५ व १९४६ में की गई थी । इसके बाद मरम्मत इसलिये नहीं की जा सकी क्योंकि इसकी अपेक्षा अन्य ज़रूरी कार्य किये जाने थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) नये मशीन औज़ार इमारत में लगाये जा चुके हैं ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या सरकार को पता है कि द्वीपों में लगातार १५७ दिनों तक वर्षा के कारण इमारत में पानी टपकने से मशीन औज़ारों तथा यन्त्रों को बड़ा नुक़सान हुआ है ?

**श्री दातार :** हम इसमें छानबीन करेंगे ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विशाखापटनम् का जहाज़ निर्माण यार्ड सरकार ने ले लिया है और वहां बहुत से विशेषज्ञ होंगे, क्या सरकार पोर्ट ब्लेयर में आगे और मरम्मत करने के लिये उनकी सेवाओं का उपयोग करेगी ?

**श्री दातार :** इस सुझाव पर भी ध्यान दिया जायेगा ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** जापानी आक्रमण के मूल स्वरूप वहां अनुमानतः कितना नुक़सान हुआ ?

**श्री दातार :** उसके आंकड़े यहां मेरे पास नहीं हैं ।

**अन्डमान द्वीपों में सुधार**

*९४४. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) **गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७ के बाद अंडमान द्वीपों में कृषि विस्तार तथा नारियल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन के सम्बन्ध में क्या सुधार हुए हैं ?

(ख) क्या उष्ण कटिबन्धीय द्वीपों में बहुतायत से उगाये जाने वाले मसालों को यहां उगाने के बारे में प्रयोग किये गये हैं?

(ग) विकास अधिकारियों की कार्य-वाहियों के फलस्वरूप अन्डमान द्वीपों में क्या विकास हुआ है ?

(घ) १९४७ के बाद से प्रत्येक वर्ष में उन पर तथा उनके द्वारा कितना रुपया खर्च हुआ है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** :(क) (ग) तथा (घ). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**दखिये परिशिष्ट** ६, **अनुबन्ध संख्या** ४२]

(ख) जी हां।

**श्री एस० सी० सामन्त** : विवरण से पता चलता है कि कॉफ़ी के उत्पादन के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि वहां कॉफ़ी बिना खेती के ही पैदा हो जाती है और उसकी खेती के लिये वहां कड़ा क्षेत्र है ?

**श्री दातार** : हम इसकी जांच करेंगे।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : जैसा विवरण में दिया गया है, इस बात को देखते हुए कि सिंचाई कार्यों के लिये यानी कृषि-विस्तार कार्यों के लिये वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्या सरकार इस दिशा में भी कुछ करने का विचार करती है ?

**श्री दातार** : इस पर भी विचार किया जायेगा।

**श्री टी० एन० सिंह** : जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका अन्य मन्त्रालयों से भी सम्बन्ध होता है, तो स्पष्टतः परिणाम यह होता है कि उनके उत्तर अधूरे दिये जाते हैं। इस प्रश्न का कृषि मन्त्रालय से भी सम्बन्ध है। क्या इस बारे में कोई व्यवस्था की जा सकती है कि जब प्रश्न का एक से अधिक मन्त्रालयों से सम्बन्ध हो तो उसका पूरा पूरा उत्तर मिल सके ;

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा।

**पोर्ट ब्लेयर में इटली का मानव-शास्त्र- वेत्ता**

*९४५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्डमान द्वीप स्थित पोर्ट ब्लेयर में इटली के मानव-शास्त्र-वेत्ता को क्या विशेष कार्य सौंपा गया है ?

(ख) जितने समय यह मानव शास्त्र वेत्ता द्वीपों में रहा है, क्या उसके अन्दर उसने सौंपे हुए कार्य को पूरा कर लिया है ?

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कितना आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय करना होता है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) पोर्ट ब्लेयर के मानव शास्त्र विभाग के सब-स्टेशन को स्थानीय आदिम जातियों के बारे में, जिन में से कुछ अब भी विरोधी भावना रखती हैं, अनुसंधान करने का काम दिया गया है।

(ख) विदेशी मानव शास्त्रवेत्ता ने ९ जनवरी, १९५३ को कार्य सम्भाला था।

(ग) वर्ष १९५२–५३ में सब-स्टेशन पर कुल व्यय लगभग १६,००० रुपये होने की सम्भावना है जिसमें से लगभग २५०० रुपये मानव-शास्त्र-वेत्ता के वेतन और भत्तों के हैं।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : इस बात को देखते हुए कि इस द्वीप में काम करने के लिये एक विदेशी विशेषज्ञ रखा गया है, मैं जान सकता हूं कि क्या इस कार्य के लिये कोई भारतीय उपलब्ध नहीं था ?

**श्री के० डी० मालवीय :** कई उपयुक्त भारतीयों को इस पद को स्वीकार करने के लिये कहा गया था परन्तु किसी ने स्वीकार नहीं किया ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या काम सीखने के उद्देश्य से कोई भारतीय उसके साथ कार्य करेंगे ?

**श्री के० डी० मालवीय :** यदि कोई भारतीय मानव-शास्त्र-वेत्ता वहां जाकर काम करने के लिये तैयार हों तो हम निश्चय ही उनको डा० लीडियर सिपरियानी के साथ काम करने देंगे ।

**श्री वी० पी० नायर :** इस मानव-शास्त्र-वेत्ता का मासिक वेतन कितना है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** वह ३५० से ८५० रुपये वाली वेतन श्रेणी में है । इस समय उसे ६८० रुपये मिल रहे हैं ।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** इस मानव-शास्त्र-वेत्ता के एन्टीसीडेन्ट्स (पूर्व चरित्र) क्या हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का मतलब योग्यताओं से है । "एन्टीसीडेन्ट्स" का शब्द उचित नहीं है ।

**श्री के० डी० मालवीय :** भारत सरकार से जब उसे छात्रवृत्ति (फैलोशिप) मिली थी तो वह अन्डमान द्वीपों में ही काम कर रहा था । वह कई महीनों से वहां कार्य कर रहा है और वहां की स्थिति और काम को जानता है ।

**श्री बर्मन :** क्या यह सत्य है कि इन द्वीपों के मूल निवासी जरावा हैं; यदि ऐसा है तो क्या मानव-शास्त्र-वेत्ता ने किसी जरावा से बातचीत की है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी हां । वह अफ्रीका के नीग्रीटो वर्ग के इसी प्रकार के लोगों से परिचित हैं । यह वर्ग वहां के आदिम जाति वर्गों में से एक है । परन्तु अन्डमान द्वीपों में उसने पद को अभी हाल में ही सम्भाला है इसलिये उसको जरावा, ओंग आदि लोगों से बातचीत करनी है ।

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की संस्थायें

*९४७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन कौन कौन सी परिनियत तथा अपरिनियत संस्थायें बनी हुई हैं और काम कर रही हैं ?

(ख) वे किस तरह बनाई गई हैं और उनके काम क्या हैं ?

(ग) इनमें से प्रत्येक संस्था के कितने सदस्य ग़ैर सरकारी हैं ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (ग) । अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**दखिये परिशिष्ठ ६, अनुबन्ध सख्या ४३**]

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इन परिनियत तथा अपरिनियत संस्थाओं में कितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ?

**श्री के० डी० मालवीय :** सूची विवरण के साथ है । वह एक लम्बी सूची है; माननीय सदस्य उसमें से विशेषज्ञों की संख्या जोड़ सकते हैं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इन विशेषज्ञों पर कुल खर्चा कितना होता है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** मेरे पास कुल खर्चे के आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य पूर्वसूचना दें तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

**श्री टी० के० चौधरी :** क्या इन समितियों के अध्यक्ष समय समय पर बदलते रहते हैं और क्या टेकनिकल समिति का अध्यक्ष एक उद्योगपति है और वह १२ वर्ष से, जब से यह समिति बनी थी, इसी पद पर है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** आप किस समिति की बात कर रहे हैं ?

**श्री टी० के० चौधरी :** टेकनिकल समिति की।

**श्री के० डी० मालवीय :** अधिकतर समितियां टेकनिकल समितियां हैं।

**श्री रघवय्या :** अमरीका तथा अन्य देशों से (देशवार) कितने विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह विस्तृत सूचना उसमें दी हुई है।

**श्री टी० के० चौधरी :** क्या लाला श्री राम इन में से एक समिति के अध्यक्ष हैं और क्या वह इस पद पर १२ वर्ष से चले आ रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो वह रहे चला आयेगा।

**पुनर्वास कार्यों के लिये अनुदान**

*९४८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) **पुनर्वास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल सरकार को केन्द्र से पुनर्वास कार्यों के लिये हाल ही में जो अनुदान मिला है उसको चालू वित्तीय वर्ष में खर्च करने में उसे कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस कठिनाई के कारण ज्ञात हैं ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई सुझाव दिये हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** पुस्तिका से पता चलता है कि ऐसे वक्तव्य दिये गये हैं कि अनुदान ठीक समय पर प्राप्त नहीं होते ?

**श्री ए० पी० जैन :** यह अनुदान का प्रश्न नहीं है।

**मनीपुर में निर्वाचन**

*९५१ **श्री एल० जे० सिंह : विधि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने मनीपुर में पिछले चुनाव अपने हंसिया और बाल के निशान से लड़े थे ;

(ख) क्या यह सत्य है कि रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ इंडिया ने मनीपुर में गत चुनाव नहीं लड़े थे; तथा

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर 'हां' में हो तो मनीपुर में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया को जैसी कि चुनाव कमीशन ने हाल ही में घोषणा की है मान्यता कैसे दी गई ?

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिसवास) :** (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया को राज्य पार्टी के रूप में ग़लती से मान्यता दे दी गई थी। इस ग़लती को अब

सुधार दिया गया है। इस बारे में माननीय सदस्य का ध्यान चुनाव कमीशन के पत्र तथा अधिसूचना संख्या ५६/२/५३, दिनांक १६ फरवरी १९५३ की ओर दिलाया जाता है। सम्बन्धित पत्रों तथा अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां पटल पर रखी जाती हैं। [**पुस्तकालय में रख दी गई, देखिय संख्या एस-२०।५३**]।

**श्री एल० जे० सिंह** : क्या यह शुद्धि समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी ?

**श्री बिस्वास** : ६ फ़रवरी को एक अधिसूचना निकाली गई थी जिसमें रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम भी था। ग़लती थोड़े दिनों के अन्दर ही पकड़ ली गई थी और उसके सुधार के लिये एक नई अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

**खारीनाशी तथा रामनगर को भेजे गये विस्थापित व्यक्ति**

***९५२. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) **पुनर्वास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी बंगाल के कितने विस्थापितों को उड़ीसा राज्य के खारीनाशी और रामनगर केन्द्रों में भेजा गया ?

(ख) कितने विस्थापित व्यक्ति उक्त कैम्पों को छोड़ कर चले गये ?

(ग) क्या सरकार को पता है कि ये कुटुम्ब इन दो कैम्पों को छोड़ कर क्यों चले गये ?

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल सहायता तथा पुनर्वास समिति से इन कुटुम्बों के पुनः स्थापित किये जाने के प्रश्न पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) २३३० विस्थापित व्यक्ति।

(ख) तथा (ग)। ८८० विस्थापित व्यक्ति इन केन्द्रों को छोड़ कर चले गये क्योंकि वे अपनी आजीविका कमाने के लिये इच्छुक नहीं थे और नये वातावरण के अनुकूल अपने को नहीं बना सके।

(घ) तथा (ङ)। जी हां। अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और वह उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या उनके चले जाने की वजह यही है कि वे अपने को वहां के अनुकूल नहीं बना सके या यह सत्य है कि जो ज़मीन उन्हें दी गई थी वह ठीक नहीं थी ?

**श्री ए० पी० जैन** : इस ज़मीन के पास जो ज़मीन है वहां मिदनापुर से कई लोग, जो सब ही काश्तकार हैं, आकर बसे हैं; कई स्थानीय व्यक्ति भी वहां स्थापित हुए हैं। वे सब वहां अच्छी तरह रह रहे हैं और बाक़ी शरणार्थियों की हालत भी सुधर रही है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या लोगों के वहां से चले आने के बारे में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**श्री ए० पी० जैन** : उड़ीसा सरकार ने जांच की थी जिससे उसे पता चला कि लोग वहां से इसलिये चले आये कि एक तो वहां मलेरिया बहुत होता है और दूसरे यह कि वहां की ज़मीन रिहावरी है। रिहावरी ज़मीन को पुनः कृषि योग्य बनाने में समय लगता है। जो लोग वहां रहे चले आये हैं उन्होंने अपनी ज़मीन से काफ़ी फ़ायदा उठाया है परन्तु जो धैर्य नहीं रख सके, वे चले गये।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सत्य है कि इस काल में पुनर्वास दान आदि जारी रखे गये थे ?

**श्री ए० पी० जैन :** मामला मेरे पास लाया गया था और मेरा यह फ़ैसला था कि ऐसे कुटम्बों को जो अपनी जीविका नहीं कमा सकते, कुछ पुनर्वास दान दिया जाना जारी रखा जाये ।

**श्री बी० के० दास :** क्या विस्थापितों को कृषि योग्य बनाई गई भूमि दी गई थी या उनसे उसे कृषि योग्य बनाने के लिये कहा गया था ?

**श्री ए० पी० जैन :** कृषि योग्य बनाई गई भूमि दी गई थी ।

**श्री मेघनाथ साहा :** क्या यह सत्य नहीं कि बहुत से शरणार्थी हावड़ा स्टेशन पर दो महीने से बड़ी मुसीबत में रह रहे हैं ?

**श्री ए० पी० जैन :** यह प्रश्न उड़ीसा से शरणार्थियों के चले जाने के प्रश्न से भिन्न है।

**श्री मेघनाथ साहा** उठे —

**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

**सेना का डकोटा**

*९५३. **श्री गणपति राम :** रक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सेना का एक डकोटा जो महनबाड़ी हवाई अड्डे से १७ फरवरी १९५३ को उड़ा था अपने मूल स्थान पर वापस नहीं आया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खोये हुये डकोटा की कोई खोज की गई है;

(ग) डकोटा में कितने यात्री थे और इस दुर्घटना से कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है ; तथा

(घ) डकोटा का मूल्य क्या था और उसमें कितनी मशीनें थीं ।

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) दुघटना के समय वायुयान में निम्नलिखित व्यक्ति थे, जो मारे गये :

(१) फ्लाइट लेफ्टीनेन्ट टी० वी० स्मिथ (चालक) ।

(२) पाइलट ऑफ़ीसर एस० बी० सुब्रह्मण्यम् (नेवीगेटर) ।

(३) सार्जेन्ट सी० एम० जोज़फ़ (सिगनलर एयर) ।

(४) मि० बी० आर० श्रीनिवासन (एच० ए० एल० टेकनिकल) ।

(५) लान्स नायक सबितोमोनारी ।

(६) राइफ़िलमैन रंगकिला लुशाई
(७) ,, गला लुशई
(८) ,, छतर बहादुर गुरंग
(९) ,, किशन बहादुर पुन
(१०) ,, खरका बहादुर दमाई

} आसाम राइफ़िल्स के व्यक्ति

एक जांच अदालत बिठा दी गई है । सम्पति की वास्तविक हानि उसकी रिपोर्ट आने पर मालम हो सकेगी ।

(घ) अनुमानित मूल्य ३,३२,८०० रुपये है । डकोटा में दो इंजन थे ।

**श्री गणपति राम :** इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या क़दम उठाये हैं ?

**श्री सतीश चन्द्र :** दुर्घटना के कारण मालूम करने के लिये एक जांच अदालत बिठा दी गई है जो अपनी रिपोर्ट कुछ दिनों में पेश कर देगी । सरकार उसकी सिफ़ारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और जो भी कार्यवाही ज़रूरी होगी, उसे करेगी ।

**श्री जोशिम अलवा :** क्या चालकों द्वारा जहाज़ों को उड़ाने से पहले उनकी पूरी तरह देख भाल कर ली जाती है क्योंकि अभी दि-

सम्बर में जोधपुर में जो दुर्घटना हुई थी उसमें पता लगा था कि जहाज़ के कल-पुर्ज़े ठीक तरह से नहीं लगे हुए थे और चालक लेनिन डी सोज़ा जब ऊपर उड़े तो जहाज़ गिर पड़ा ?

**श्री सतीश चन्द्र :** यह हवाई जहाज़ जब महनबाड़ी हवाई अड्डे से उड़ा तो बिल्कुल ठीक हालत में था। उड़ने से पहले उसकी देख-भाल कर ली गई थी।

**श्री रघवय्या :** क्या इन दुर्घटनाओं का कारण यह है कि हमारे यहां के चालक हवाई जहाज़ों को नीचे ज़मीन पर ठीक तरह से उतारने में होशियार नहीं हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस विशेष मामले का जहां तक सवाल है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा कीजिये। माननीय सदस्य सारे चालकों पर आरोप लगा रहे हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को देखते हुए कि इस क्षेत्र में दुर्घटनायें बहुत हुई हैं, क्या सरकार कोई जांच करवा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

**श्री सतीश चन्द्र :** पिछले..... में दो दुर्घटनायें हुई हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** तीन।

**श्री सतीश चन्द्र :** जहां तक मुझे पता है यह दूसरी है। एक डकोटा की अभी चार या छः महीने पहले दुर्घटना हुई थी। जैसा पिछली बार किया गया था इस बार भी जांच अदालत की सिफ़ारिशों पर विचार किया जायेगा और उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा। इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के वायुयानों के साथ असैनिक वायुयानों के मुकाबले में दुर्घटनायें कम होती ह। इस क्षत्र में सेना के वायुयानों को अपेक्षाकृत अधिक उड़ान करनी होती है।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** वायुयान की देख-भाल करने के अलावा क्या चालक की देखभाल भी की जाती है ?

**श्री सतीश चन्द्र :** हमारे चालक भली प्रकार प्रशिक्षित होते हैं। असैनिक वायुयानों के चालकों की अपेक्षा वे अधिक अच्छी तरह प्रशिक्षित होते हैं।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** मेरा प्रश्न यह है कि इस मामले में जो चालक था क्या वायुयान उड़ाते समय उसकी हालत ठीक थी ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** अभी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कीजिये।

**श्री जी० एस० सिंह :** क्या यह वायुयान प्रशिक्षण उड़ान पर था या किसी काम से जा रहा था ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** सदन इस बात को समझेगा कि चालकों की सुरक्षा और बचाव का स्वयं चालकों, वायु-सेना और रक्षा मन्त्रालय को जितना ख्याल है उतना और किसी को नहीं। और इसी वजह से इन पूर्वी पहाड़ियों में जो एक या दो दुर्घट-नायें हुई हैं उनके बारे में मामूली तौर पर नहीं वरन पूरी पूरी तरह से जांच की जायेगी। यह एक बड़ा कठिन क्षेत्र है; मैं स्वयं वहां उड़ा हूं। वहां ऊंचाई पर उड़ान नहीं की जा सकती, नीचे ही बादलों के अन्दर उड़ान करनी होती है। जहां तक मुझे याद है ये उड़ानें हवाई जहाज़ से सामान गिराने के सम्बन्ध में थीं।

## त्रिपुरा में पुनर्संगठन तथा पुनरीक्षित वेतन श्रेणियां

*९५४. **श्री वीरेन दत्त :** राज्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के राज्य कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी पुनर्संगठन योजना के

अनुसार कम की गई वेतन श्रेणियां मिलेंगी; तथा

(ख) क्या उनके संघ ने इस पुनर्संगठन योजना को क्रियान्वित न करने के लिये अभ्यावेदन किया है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: (क) जी नहीं।

(ख) इस तरह का कोई अभ्यावेदन नहीं आया है।

**श्री नाना दास :** क्या यह सत्य है कि इस पुनर्संगठन योजना के लागू होने पर कुछ राज्य कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि १ रुपये से कम होकर ४ आना रह जायेगी ?

**डा० काटजू :** मुझ इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

### वर्षा अनुसंधान यूनिट

*१५८. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली में एक "वर्षा अनुसंधान यूनिट" स्थापित करना सोच रही है ?

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट के मुख्य कार्य क्या होंगे ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) दिल्ली में एक वर्षा अनुसंधान यूनिट खोलने का प्रस्ताव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विचाराधीन है।

(ख) यूनिट के कार्य यह होंगे : बादलों में नमी लाने पर अनुसंधान एवं प्रयोग करना, इस प्रकार के बादलों के प्रभाव को देखना तथा इन प्रयोगों के परिणामों का विस्तार रूप से अनमान लगाना।

**श्री बुच्चिकोटैय्या :** क्या देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के यूनिट खोलने का विचार है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी नहीं।

**श्री रघुरामय्या :** क्या अन्य स्थानों में किये गये प्रयोग इतने उत्साहजनक हैं कि इन यूनिटों को खोला जाना उचित ठहराया जा सके ?

**श्री के० डी० मालवीय :** विश्व के अन्य भागों में अब तक जो प्रयोग हुए हैं वे अभी प्रयोगात्मक स्तर पर ही हैं; हमें अभी उन से सन्तोष नहीं हुआ है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माधवपुर में जो अनुसंधान किया गया है क्या उसका फ़ायदा उठाया जायेगा और क्या यह अनुसंधान यूनिट उस यूनिट द्वारा किये गये अनुसंधान के आधार पर काम करेगा ?

**श्री के० डी० मालवीय :** बंगाल में डा० बनर्जी द्वारा किये गये प्रयोगों को भी ध्यान में रखा जायेगा और उन्हें भी सारे कार्यों में शामिल किया गया है।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या सरकार को पता है कि जर्मनी में बड़े बड़े क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा की जा रही है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं ?

**श्री जी० एस० सिंह :** क्या कोई क्रियात्मक प्रयोग किया गया है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** हमने अभी यूनिट स्थापित नहीं किया है यद्यपि इस सम्बन्ध में पहले कुछ क्रियात्मिक कार्य करने का प्रयत्न किया गया है ?

**विशेष पुलिस संस्थापना (स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट) द्वारा जांच किये गये मामलों में वसूल किये गये जुर्माने**

*९५९. **श्री जांगड़े** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री विशेष पुलिस संस्थापना के सम्बन्ध में २ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६१ के दिये गये उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४७ से १९५२ तक विशेष पुलिस संस्थापना द्वारा जांच किये गये मामलों में कितना जुर्माना वसूल किया गया था ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)**: चूंकि जुर्माना न्यायालयों द्वारा वसूल किया जाता है और राज्य सरकारों के नाम जमा कर दिया जाता है, अतः सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

**श्री जांगड़े** : क्या यह सही नहीं है कि जिन मामलों में ट्राइंग मजिस्ट्रेट ने जुर्माने किये थे उनमें अपेलेट कोर्ट ने जुर्माने घटा दिये ?

**श्री दातार** : हमें इसकी सूचना नहीं है।

**श्री जांगड़े** : क्या यह सही नहीं कि किस स्टेट में खास कर जुडीशियरी और एग्जिक्युटिव दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से मिले हुये हैं ?

**श्री दातार**: कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक् नहीं है। इस मामले में यह पृथक् है।

**श्री जांगड़े** : क्या यह सही नहीं है कि जिन मामलों में ट्राइंग मजिस्ट्रेट्स के द्वारा जितना जुर्माना सुनाया जाता था उनको खूब पब्लिसिटी दी जाती थी, और उनका जुर्माना घटाये जाने पर उनको पब्लिसिटी नहीं दी जाती थी ?

**श्री दातार** : यह ठीक नहीं है क्योंकि न्यायालयों द्वारा जो भी निर्णय कर लिया जाता है उसकी, जहां तक मूल न्यायालयों का सम्बन्ध है, उचित प्रकाशना की जाती है।

**श्री दाभी** : मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जहां पर कार्यपालिका तथा न्याय-पालिका अलग कर दी गई है ?

**श्री दातार** : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये।

**श्री जांगड़े** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनायेगी जिसके अनुसार पार्ट सी स्टेटस में जुडिशियरी और एग्जिक्युटिव को अलग किया जाय ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

**श्री टी० एन० सिंह** : जब माननीय सदस्य हिन्दी में पूछे गये प्रश्न को समझ सकते हैं तो उसका उत्तर भी हिन्दी में दिया जाना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उत्तर दे सकते हैं।

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : यह बात खुद मिनिस्टर पर छोड़ देनी चाहिये कि वह हिन्दी में जवाब दे या अंग्रेज़ी में।

**एसिटोन का निर्माण**

*९६१. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के पास एसिटोन बनाने का एक संयंत्र है;

(ख) यदि ऐसा है, तो वह संयंत्र इस समय कितना उत्पादन कर रहा है; तथा

(ग) क्या रक्षा मन्त्रालय विदेशों से आयात किये गये एसिटोन को खरीदता है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) ५०० टन प्रति वर्ष।

(ग) जी नहीं।

**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : संयंत्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता ८०० टन है। हम लगभग ५०० टन तय्यार कर रहे हैं जिससे सेनाओं तथा देश की असैनिक आवश्यकतायें पूरी होती हैं।

**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या संयंत्र के मज़दूरों की छटनी करने का कोई प्रस्ताव है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : एसिटोन के इस विशेष संयत्र के मज़दूरों की नहीं ?

**श्री नम्बियार** : मैं जान सकता हूं कि क्या नीलगिरि में अरावंकाडू फैक्टरी में कोई एसिटोन संयंत्र है, जहां पर उत्पादन कार्य न होने के कारण सैकड़ों मज़दूरों की छटनी किये जाने की सम्भावना है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : सम्भवतः माननीय सदस्य कॉरडाइट फैक्टरी का निर्देश कर रहे हैं। इस प्रश्न का सम्बन्ध अरावंकाडू फैक्टरी में एसिटोन संयंत्र से है और मैं उसी विशेष विषय के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

**श्री नम्बियार** : मैं जान सकता हूं कि क्या एसिटोन संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहा है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसका पहिले ही उत्तर दे दिया है कि इसकी उत्पादन क्षमता ८०० है तथा यह केवल ५०० टन उत्पादन कर रहा है।

**श्री नम्बियार** : मैं जान सकता हूं कि क्या ३०० टनों का उत्पादन नहीं किया जाता और मज़दूरों की छटनी की जा रही है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : ये ५०० टन सेनाओं तथा असैनिक आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त हैं। देश में हमें और अधिक एसिटोन की आवश्यकता नहीं और जिसकी मांग नहीं उसके लिये हम उत्पादन नहीं कर सकते।

**श्री मेघनाद साहा** : क्या इस फैक्टरी में बनाया जाने वाला एसिटोन असैनिकों को मिल सकता है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : यह असैनिकों को दिया जा रहा है, उत्पादित मात्रा का लगभग १।३ या आधा भाग असैनिकों को दिया जा रहा है।

**श्री नम्बियार** : क्या एसिटोन को कहीं और से भी प्राप्त किया जा रहा है ? क्या इस देश में इसका आयात किया जा रहा है ? क्या फैक्टरी में उत्पन्न मात्रा का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने पहिले ही बता दिया है कि इसका बिल्कुल भी आयात नहीं किया जाता। इस संयंत्र से उत्पादित मात्रा से ही देश की आवश्यकता पूरी हो जाती है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका आयात बिल्कुल नहीं होता।

**न्यायाधीश श्री वांचू की रिपोर्ट**

*९६२. **डा० लंका सुन्दरम्** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आंध्र राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में न्यायाधीश श्री वांचू की रिपोर्ट की जांच पड़ताल खत्म कर दी है; तथा

(ख) क्या सरकार आंध्र राज्य बनाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने विचार घोषित कर सकती है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : (क) तथा (ख)। मैं १६ मार्च को सदन में दिये वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार का अगले कुछ

दिनों में इसी विषय पर एक और वक्तव्य देने का विचार है।

**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं जान सकता हूं कि क्या इस रिपोर्ट में कोई सचाई है कि भारत सरकार का वांचू रिपोर्ट का केवल संक्षिप्त वृत्तान्त छापने का विचार है ?

**डा० काटजू** : वांचू रिपोर्ट पूर्ण रूप में प्रकाशित की जायगी।

**श्री नानादास** मैं जान सकता हूं कि यह कहां तक सत्य है कि पृथक् राज्य के रूप में आंध्र राज्य अक्टूबर १९५३ से स्थापित होगा ?

**डा० काटजू** : मेरी माननीय सदस्य से यह प्रार्थना है कि वह एक या दो दिन तक इसकी प्रतीक्षा करें और तब इस विषय में पूछें। उस समय तक हमें इस विषय की सब बातें मालूम हो जायेंगी।

**पंजाब अधिकारियों द्वारा संघ सीमा शुल्क विनियमों को मानने से इन्कार**

*९६३. **श्री गिडवानी** : क्या वित्त मन्त्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिया हुआ हो :

(क) क्या यह सत्य है कि लाहौर में होने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब की संयुक्त विभाजन समिति की क्रियान्वित करने वाली समिति की बैठक में भाग लेने के बाद पंजाब के दो मन्त्री, मुख्य सचिव तथा अन्य बहुत से अधिकारी १८ फरवरी १९५३ को जब बहि:शुल्क सीमा को पार कर रहे थे तो उन्होंने संघ सीमा शुल्क विनियमों को मानने से इंकार कर दिया;

(ख) क्या यह सत्य है कि क्या सरकार ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिये अपने एक बड़े अधिकारी को नियुक्त किया था; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो उस जांच का परिणाम क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) से (ग) तक। श्रीमान् जी, आपकी अनुमति से मैं घटना के सम्बन्ध में एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं। १८ फरवरी १९५३ को लाहौर में एक बैठक में भाग लेने के पश्चात् पंजाब सरकार का एक शिष्टमंडल, जिसमें दो मन्त्री, मुख्य सचिव तथा पंजाब सरकार के अन्य अधिकारी थे, पाकिस्तान सरकार के अन्य अधिकारी थे, पाकिस्तान से वाघा-अटारी के रास्ते से लौटे। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के परिवर्तित अनुदेशों के परिणामस्वरूप शिष्टमंडल के सदस्यों को अपने सामान की आरम्भिक जांच के रूप में सीमा शुल्क अधिकारियों के कहने पर व्यक्तिगत घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर करने चाहियें थे, जो कार्य कानून के अनुसार ही है। चूंकि ऐसे पिछले मौके पर व्यक्तिगत घोषणा के स्थान पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये गये थे अत: शिष्ट मण्डल के कार्यालय सुपरिन्टेन्डेंट तथा सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों के बीच प्रक्रिया में परिवर्त्तन के सम्बन्ध में बातचीत हुई। उस मण्डल के एक सदस्य ने अमृतसर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा भूमि सीमा शुल्क विभाग के असिस्टेंट कलेक्टर को टेलीफोन किया और बाद में यह निर्णय किया गया कि इस मौके पर भी विशेष मामले के रूप में एक संयुक्त घोषणा पत्र ले लेना चाहिये। इस काम में डेढ़ घंटा लगा और वह मण्डल सीमा शुल्क स्टेशन से यह समझ कर चल पड़ा कि प्रभारी कार्यालय सुपरिन्टेन्डेंट ने पहिले की तरह सभी की ओर से एक संयुक्त घोषणा पत्र दे दिया है। प्रारम्भिक रिपोर्ट मिलने पर भारत सरकार ने इस बात का वहां पता लगाने के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया। पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों से इस मामले पर

बातचीत हुई और सीमा शुल्क के नियमों को लागू किये जाने के विषय में व्यक्तिगत घोषणा किये जाने की आवश्यकता उन्हें बता दी गई है।

इस मामले के ये तथ्य हैं और यह खेद का विषय है कि समाचार पत्रों में इस घटना को बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित किया गया।

**श्री गिडवानी :** क्या पंजाब सरकार ने आपके नये अनुदेश स्वीकार कर लिये हैं?

**श्री सी० डी० देशमुख :** जी हां।

**गनरी एण्ड नवीगशन, स्कूल कोचीन**

***९६५. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन के गनरी एण्ड नवीगेशन स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या इस स्कूल में शिक्षा के सभी आधुनिक साधन हैं।

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) गनरी एण्ड नेवीगेशन स्कूलों में शिक्षार्थियों की वर्तमान संख्या इस प्रकार है :—

| | अधिकारी रेटिंग्स |
|---|---|
| गनरी स्कूल | ७२ |
| नेवीगेशन स्कूल | ९ |

(ख) जी हां।

**श्री जयपाल सिंह :** मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा कि रक्षा सेनाओं के बारे में आंकड़ों का जहां तक प्रश्न है, यह आंकड़े प्रान्तवार नहीं रखे जाते। यदि मैं उन्हें ठीक समझा हूं तो, क्या मैं उनका ध्यान प्रथम सत्र में सदन में दिये गये उत्तर की ओर दिला सकता हूं?

**उपाध्यक्ष महोदय :** उनका कहना यह है कि इस विशेष अनुपूरक के बारे में आंकड़े प्रान्तवार नहीं रखे जाते

**श्री जयपाल सिंह :** क्या यह बात हर प्रान्त के बारे में सही है

**श्री त्यागी :** जी हां, जब तक इनके बारे में पूछा न जाये। जब कोई खास प्रश्न पूछा जाता है तो हमें जांच पड़ताल कर के सूचना इकट्ठी करनी होती है। परन्तु स्कूलों के बारे में आंकड़े प्रान्तवार नहीं रखे जाते।

**श्री पुन्नूस :** कितने प्रार्थना-पत्र आये थे?

**श्री त्यागी:** मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

**श्री धूसिया :** शिक्षार्थियों के दाखिले के लिये क्या योग्यतायें आवश्यक हैं?

**श्री त्यागी :** उन्हें एक बोर्ड द्वारा चुना जाता है। मेरे पास योग्यताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं आपको सूचना दे सकता हूं।

**श्री धूसिया :** क्या अनुसूचित जातियों के लिये सरक्षण रखा जाता है?

**श्री त्यागी :** जैसा मैं ने कहा शिक्षार्थियों का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर ही किया जाता है।

**श्री धूसिया :** क्या अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षण की व्यवस्था है?

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर दिया जा चुका है। प्रश्नों की सूची समाप्त हो गई है। मैं प्रश्नों को शुरू से फिर लेता हूं।

**आमरेली में खुदाई**

***९३२. डा० राम सुभग सिंह : शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा स्थित आमरेली में खुदाई का काम करने के लिये भारत सरकार ने कुछ रुपया मंजूर किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो कितना ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) १०,००० रुपये ।

**डा० राम सुभग सिंह** : वहां किस तरह की खुदाई हुई है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : काम अभी जारी है और रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**श्री नानादास** : खदाई के इन कामों से क्या कोई खास फ़ायदा होता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक सामान्य नीति है। माननीय सदस्य पुरातत्व के विशेषज्ञ हैं ।

**विस्थापितों को भूमि का आवंटन**

*९३३. **श्री अजीत सिंह : पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि पंजाब तथा पैप्सू में ऐसे विस्थापितों की संख्या क्या है जिन्होंने पहले तो आवंटित भूमि पर क़ब्ज़ा ले लिया था परन्तु जो बाद में उन्हें छोड़ कर चल दिये ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: जी नहीं ।

**वित्तीय सलाहकार की सहमति**

*९३८. **श्री माधव रेड्डी : वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे फ़ैसलों के बारे में जिन में केन्द्रीय परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये मुख्य इंजीनियरों को कुछ रुपया खर्च करना हो वित्तीय सलाहकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने की वर्तमान प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख )** : ऐसा समझा जाता है कि माननीय मंत्री का अभिप्राय केन्द्र द्वारा प्रशासित सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं से है । केन्द्रीय सरकार के लोक निर्माण नियमों या ऐसे वर्तमान आदेशों में, जिनके बारे में परियोजना अधिकारियों द्वारा रुपया खर्च करने के बारे में वित्त विभाग की पूर्व सहमति निर्धारित की गई हो, कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है । अन्य प्रस्ताव ऐसे अवश्य हैं जिनके अनुसार वित्तीय सलाह की ज़िम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को दे दी जा सकती है; इन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है ।

**श्री टी० एन० सिंह** : क्या इस उत्तर के देने में माननीय वित्त मंत्री को सिंचाई मंत्री जी की सहमति प्राप्त है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : जी हां ।

**श्री एस० एन० दास** : चूंकि हीराकुड में हिसाब संबंधी प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयां तथा झगड़े हुए हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार वित्तीय सलाहकार के मुकाबले में इंजीनियरों के अधिकारों के बारे में किसी नतीजे पर पहुंची है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : इस मामले में कुछ भ्रांति है । वित्तीय सलाहकार के दो अलग अलग कार्य हैं । वह वित्तीय सलाह देता है और हिसाब की देखभाल भी करता है । विचाराधीन प्रस्ताव हिसाब के बारे में है जो आजकल केन्द्रीकृत प्रणाली के अनुसार रखा जाता है । इस कार्य के विकेन्द्रीकरण के लिये ही कुछ प्रस्ताव किये गये हैं । यदि इन्हें मंजूर किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि वित्तीय सलाहकार के कार्यों में कमी कर दी जायेगी और इसीलिये मैं ने कहा था कि उस दशा में वित्तीय सलाह का काम किसी अन्य अधिकारी को दे दिया जा सकता है ।

**श्री टी० एन० सिंह :** क्या सिंचाई परियोजनाओं के बारे में स्थान पर ही वित्तीय सलाह देने में तथा इसके लिये अपनाये गये तरीक़ों में कुछ परिवर्तन करने का विचार है ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** मैं समझता हूं कि यह एक सामान्य प्रश्न है । ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

**श्री टी० एन० सिंह :** क्या कोई प्रस्ताव है कि.....

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम वित्तीय सलाहकार की सहमति या असहमति पर बहस कर रहे हैं।

**श्री टी० एन० सिंह :** जी नहीं, मैं तो सिर्फ़ यह कह रहा था कि वहीं स्थान पर एक वित्तीय सलाहकार होता है । मैं पूछ रहा था कि स्थान पर ही सलाह देने वाले वित्तीय सलाहकार के अधिकारों और कार्यों में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ।

**श्री सी० डी० देशमुख :** मैं ने जो उत्तर दिये उनसे यह चीज़ स्पष्ट है । यदि वित्तीय सलाहकार के अन्य कार्य उससे हटा कर दूसरे को दे दिये जाते हैं तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या इस पद को केवल स्थान पर वित्तीय सलाह देने के लिये ही रखना उचित होगा । उस समय इन कार्यों को वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव जैसे अधिकारी को, जिसका हीराकुड कंट्रोल बोर्ड में प्रतिनिधित्व है, सौंपा जा सकता है ।

**श्री टी० एन० सिंह :** क्या वित्त मंत्री ने स्थान पर ही वित्तीय सलाह देने के क्षेत्र में विस्तार करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

**श्री सी० डी० देशमुख :** जी नहीं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

**विस्थापितों के पुनर्वास के लिये हैदराबाद को ऋण**

*९३९. **श्री माधव रेड्डी :** पुनर्वास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विस्थापितों के पुनर्वास के लिये हैदराबाद सरकार को कोई ऋण दिया गया है ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :** जी हां । १.८० लाख रुपये ।

**बेरील (ख़रीद)**

*९४१. **डा० अमीन :** प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अणु-शक्ति आयोग प्राइवेट खान-मालिकों से बेरील खरीद रहा है ; यदि हां तो किस मूल्य पर ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** जी हां । मूल्यों की अनुसूची की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४**]

**डा० अमीन :** अब तक अणु शक्ति आयोग ने कितना बेरील खरीदा है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** इस सूचना का देना लोक हित में न होगा ।

**डा० अमीन :** क्या यह सत्य है कि बेरील के उत्पादन संबंधी आंकड़े अमरीका और रूस में प्रकाशित होते हैं ?

**श्री के० डी० मालवीय :** मुझे मालूम नहीं ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** इसमें हिन्दुस्तान को कितनी आवश्यकता होती है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जब काम होता है तब आवश्यकतायें बढ़ती भी हैं ।

**श्री सी० आर० नरसिंहन्:** देश के किन भागों से बेरील खरीदा गया है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** कई राज्यों से। केरील, राजस्थान, अजमेर, बिहार, मद्रास तथा ट्रावनकोर-कोचीन में पाया गया है।

**बेरील (निर्यात)**

*९४२. **डा० अमीन :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बेरील के निर्यात पर क़ानून द्वारा प्रतिबन्ध है ?

(ख) यह प्रतिबन्ध कब लगाया गया था ?

(ग) प्रतिबन्ध के बाद क्या बेरील का निर्यात हुआ है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) ८ जून १९४६ को।

(ग) जी नहीं।

**वार्डों की चल सम्पत्ति का हस्तान्तरण**

*९४६. **श्री गिडवानी : पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रतिपालक अधिकरण (कोर्ट आफ़ वार्ड्स) के वर्तमान वार्डों तथा पुराने वार्डों की चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से संबंधित उपबन्ध को, जो दिसम्बर १९४८ के भारत पाकिस्तान समझौते का एक भाग है, क्रियान्वित कर दिया गया है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** दिसम्बर १९४८ के समझौता का सम्बन्ध वार्डों को केवल उचित मासिक भत्ते देने से ही था ; उसमें वार्डों की चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई ज़िक्र नहीं था।

**श्री गिडवानी :** क्या सरकार सारे वार्डों को कोहे मासिक भत्ता देती है ?

**श्री ए० पी० जैन :** अब कोई भत्ते नहीं मिलते।

**तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क**

*९५०. **श्री गिडवानी :** (क) **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को पता है कि कोल्हापुर ज़िला स्थित जयसिंहपुर में ३१ जनवरी १९५३ को महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के तम्बाकू व्यापारियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें सरकार से तम्बाकू पर सामान्य दर से उत्पाद शुल्क लगाने के लिये कहा गया था ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि सम्मेलन में प्रादेशिक सलाहकार समितियों की स्थापना की भी मांग की गई थी ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्मेलन की मांगों पर विचार किया है ?

(घ) उसन क्या फ़ैसला किया है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) से (घ)। जी हां। सरकार को सम्मेलन में पारित किये गये सकल्पों के बारे में पता है। अन्य बातों के साथ इसमें एक तो यह कहा गया था कि तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सामान्य दर पर लगाया जाये; दूसरे यह कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कलक्टरों को सहायता देने के उद्देश्य से तम्बाकू व्यापारियों में से एक प्रादेशिक सलाहकार समिति नियुक्त की जाये।

जहां तक पहली बात का सवाल है, इस सुझाव पर पहले भी पूरी तरह विचार किया गया है और अब भी हो रहा है। इसमें मुख्य कठिनाई यह है कि इसके द्वारा तम्बाकू उद्योग के विभिन्न खंडों पर शुल्क का आभार उचित रूप से नहीं पड़ेगा।

दूसरे सुझाव पर विचार हो रहा है।

**प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या तम्बाकू पर वर्तमान उत्पाद शुल्क भिन्न भिन्न राज्यों में

भिन्न भिन्न है और पंजाब में उत्पाद शुल्क क्या है ?

**श्री एम० सी० शाह** : जी नहीं। यह भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नहीं है।

**श्री रघवय्या** : क्या सरकार तम्बाकू उगाने वालों के इन प्रस्तावों पर विचार करेगी कि उनको इस तम्बाकू उत्पाद शुल्क से छूट दी जानी चाहिये ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न सामान्य दर के बारे में है; आप तो प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं।

**श्री शिवनंजप्पा** : क्या खाद के लिये काम में लाये जाने वाले डंठल और चूरा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं ?

**श्री एम० सी० शाह** : जी हां।

**श्री दाभी** : क्या यह सत्य है कि केरा ज़िले के तम्बाकू व्यापारियों के संघ ने हाल ही में माननीय मंत्री से तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क सामान्य दर से लगाने और प्रादेशिक सलाहकारों की नियुक्ति के लिये कहा था ?

**श्री एम० सी० शाह** : जी हां; उन्होंने कहा था।

**सेठ अचल सिंह** : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि एक काश्तकार अपनी खानगी ज़रूरत के वास्ते बग़ैर कर दिये हुए कितना रक़बा तम्बाकू बो सकता है या उपज कर सकता है ?

**श्री एम० सी० शाह** : खाने के तम्बाकू के लिये दर ६ आना प्रति पौण्ड है।

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : वह यह भी जानना चाहते हैं कि कितने पर छूट है ?

**श्री एम० सी० शाह** : लगभग बीस या तीस सेर पर।

**श्री रघवय्या** : क्या सरकार ने उत्पादक संघों तथा कुछेक राज्य सरकारों के इस सुझाव पर विचार किया है कि वर्जीनिया तम्बाकू के मुकाबले में देशी तम्बाकू को कर से मुक्त रखा जाये ?

**श्री एम० सी० शाह** : हमें ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

**सेठ अचल सिंह** : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि खुद अपनी खास जरूरत के वास्ते कितनी तम्बाकू काश्तकार पैदा कर सकता है ?

**श्री एम० सी० शाह** : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

**श्री रघवय्या** : क्या सरकार को पता है कि अभी दो दिन पहले मद्रास सरकार ने देशी तम्बाकू को इस कर से मुक्त कर दिया है ?

**श्री एम० सी० शाह** : वह बिक्री कर है, उत्पाद शुल्क नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्पाद शुल्क केन्द्रीय विषय है।

### इम्फाल टाउन फंड

*९५५. **श्री रिशांग किशिंग** : राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल टाउन फंड का कुल क्षेत्र कितना है और राज्य के एकीकरण से १९५२ के अन्त तक कितने क्षेत्रों पर लोगों ने क़ब्ज़ा किया था और कितने खाली थे ;

(ख) इम्फाल टाउन फंड क्षेत्र में जातिवार कुल कितने कुटुम्ब रह रहे हैं और कुल जन-संख्या कितनी है;

(ग) क्या टाउन फंड अधिकारी टाउन फंड क्षेत्र में रहने के लिये भी ज़मीन देते हैं ;

(घ) यदि हां, तो राज्य के एकीकरण से १९५२ के अन्त तक उक्त कार्य के लिये कितने आवेदन-पत्र आये और उनमें से कितनों को ज़मीन दी गई है ; तथा

(ङ) क्या भारत सरकार को टाउन फंड क्षेत्र में ज़मीन के आवंटन में जांच करने के बारे में जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) से (ङ)। सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**श्री रिशांग किशिंग :** क्या यह सत्य है कि इम्फाल टाउन क्षेत्र में अधिकारीगण इस बहाने कि वे भी शरणार्थी हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें ले रहे हैं।

**डा० काटजू :** मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

**आसाम रेजीमेंट**

*९५६. **श्री रिशांग किशिंग : रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आसाम रेजीमेंट में सैनिकों और अधिकारियों की संख्या क्या है; तथा

(ख) सरकार आसाम रेजीमेंट को कितना और बढ़ाना सोचती है ?

**रक्षा उपमंत्री ( सरदार मजीठिया) :** (क) आसाम रेजीमेंट की संख्या बतलाना देश की रक्षा के हित में न होगा ।

(ख) आसाम रेजीमेंट को बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**श्री रिशांग किशिंग :** आसाम रेजीमेंट में पहाड़ी लोग कितने हैं ?

**सरदार मजीठिया :** मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या वहां रहने वाली पहाड़ी जातियों में से किसी को भरती के मामले में विशेष रियायत दी जाती है ?

**सरदार मजीठिया :** कोई रियायत नहीं दी जाती ।

**श्री रिशांग किशिंग :** क्या यह सत्य है कि पहाड़ी क्षेत्र के पढ़े लिखे व्यक्तियों को भारतीय सेना में सेवा करने के लिये उचित सुविधायें नहीं दी गई हैं और उन में यह भावना बढ़ती जा रही है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब रक्षा मंत्रालय पर बहस होने लगी है ।

**सरदार मजीठिया :** वास्तव में, पहाड़ी जातियों के लोगों को अन्य लोगों के मुक़ाबले में काफ़ी लिया जाता है ।

**श्री जी० एस० सिंह :** क्या आसाम राइफ़िल्स के अधिकारियों और सैनिकों के वेतन भारतीय सेना के सैनिकों और अधिकारियों के वेतन से भिन्न हैं ?

**सरदार मजीठिया :** जी नहीं ।

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** आसाम राइफ़िल्स किस विशेष उद्देश्य के लिये बनाई गई है ?

**सरदार मजीठिया :** यह भारतीय सेना का एक भाग है ।

**श्री रिशांग किशिंग :** क्या सरकार को पता है कि पहाड़ों के बहुत से शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति सेना में भरती होने के लिये तैयार हैं परन्तु उन्हें नहीं लिया गया है ?

**सरदार मजीठिया :** मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे सेना में भरती होने के लिये तैयार हैं । यदि वे भरती होना चाहते हैं तो उनकी आज ज़रूरत भी है ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**सैनिक केन्द्रों में असैनिक ठेकेदारों के ठेके**

*९४९. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिक कैन्टीनों में असैनिक ठेकेदारों के ठेकों को जारी रखने का फ़ैसला कर लिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन ठेकेदारों की सेवाओं को फिर से स्वीकार कर लिया है जिन के ठेके सरकार की इस विषय से संबंधित नीति के अन्तर्गत पहले खत्म कर दिय गये थे ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**घाटप्रभा घाटी परियोजना**

*९५७. **श्री जनार्दन रेड्डी** : **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राममूर्त्ति वित्त जांच आयोग ने सिफ़ारिश की है कि घाट-प्रभा घाटी परियोजना के दूसरे प्रक्रम को, यदि आवश्यक हो तो पंचवर्षीय योजना में परियोजना की लागत में फेरबदल कर के, सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; तथा

(ग) बम्बई राज्य के कमी के क्षेत्रों के बारे में आयोग की अन्य मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) आयोग ने सुझाव दिया है कि इस परियोजना को प्राथमिकता दी जाये परन्तु पचवर्षीय योजना में उसे शामिल करने के बारे में कोई सिफ़ारिश नहीं की गई है । इस मामले में सुझाव देना राज्य सरकार का काम है ।

(ख) इस समय लागत का अनुमान लगभग ९ करोड़ रुपये है ।

(ग) बहुत सी सिफ़ारिशें, जिनमें से अधिकांश दीर्घकालीन हैं, की गई हैं और उन पर विचार हो रहा है ।

**निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरोध**

*९६०. **श्री अमजद अली : गृह-कार्य** मंत्री निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत किये गये निरोध से संबंधित ५ मार्च १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४० को निर्दिष्ट करेंगे और बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गृह-कार्य उपमंत्री ने स्वयं उन लोगों के मामलों की जांच की है जो उन राज्यों में, जहां जहां वे गये थे अभी निवारक निरोध में हैं, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : जी नहीं ।

**नमक के अधिकार शुल्क की दर**

६६४. **श्री भीखाभाई** : **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सदन पटल पर एक विवरण रखने का विचार रखती है जिसमें वह सूचना दी गई हो जिस के लिये १९ फ़रवरी १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर में वचन दिया गया था ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने नमक के बारे में अधिकार शुल्क की दर के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है और पुरानी दरों में परिवर्तन करने की प्रार्थना की है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' में हो तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) ऐसा शीघ्र कर दिया जायेगा ।

(ख) तथा (ग) । राजस्थान की सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि भारत सरकार अपने द्वारा किये गये कुछ व्ययों को निकालने के लिये जो ३॥ प्रतिशत का अधिभार लगाती है वह, राज्य सरकार को देय अधिकार शुल्क को, जो विक्रय मूल्य की प्रतिशतता के अनुसार निश्चित किया गया है, फैलाते समय, नमक के विक्रय मूल्य का ही भाग समझा जाये ।

राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि ३॥ आने प्रति मन के अधिभार को, जो भारत सरकार की एक अनुविहित अधिसूचना के अन्तर्गत एक प्रकार से उपकर के रूप में वसूल किया जाता है, अधिकार शुल्क को फैलाने के लिये नमक के विक्रय मूल्य को निर्धारित करने में न गिना जाये । यह नमक के विक्रय मूल्य पर, जिसमें नमक कर के ज़माने में नमक कर शामिल न था, अधिकार शुल्क को फैलाने की पिछली प्रथा के अनुसार है ।

**अलकोहल पर सीमा शुल्क**

**६६५. डा० अमीन :** (क) **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पेय तथा अपेय अलकोहल पर सीमा शुल्क की दर एकसी है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो तो क्या सरकार ने अपेय अलकोहल पर, जो केवल औद्योगिक कार्यों मे ही इस्तेमाल किया जा सकता है, सीमाशुल्क की दर कम करने का विचार किया है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) जी नहीं । अपेय अलकोहल पर जो भारतीय सीमा शुल्क सूची के मद २२(६) के अन्तर्गत आता है, सीमा शुल्क की दर पेय अलकोहल की दर से, जो भारतीय सीमा शुल्क सूची के मद २२(४) के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है, बहुत कम है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का बोर्ड**

*६६६. **श्री भोखाभाई :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बोर्ड की एक बैठक अभी हाल में नई दिल्ली में हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्य सूची क्या थी ?

(ग) उसमें क्या क्या फ़ैसले किये गये ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) । बोर्ड ने १९५३-५४ वर्ष के अनुसन्धान कार्यक्रम पर बहस की । एक विवरण जिसमें बोर्ड द्वारा की गई सिफ़ारिशें दी गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५]**

**विस्थापितों द्वारा छोड़ी गई ज़मीन**

६६७. **सरदार हुक्म सिंह :**
**श्री अजीत सिंह :**

**पूनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान में (१) पश्चिमी पंजाब, (२) बहावलपुर, (३) सिन्ध, (४) बिलोचिस्तान तथा

(५) उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त में विस्थापितों द्वारा छोड़ी गई ज़मीन का कुल क्षेत्र कितना है ;

(ख) उपरोक्त (१), (२), (३), (४) तथा (५) का कितना भाग नहर द्वारा सींचा जाता था, कितना कुओं द्वारा सींचा जाता था यानी चाही था और कितना बारानी था ।

(ग) (१) पंजाब (पूर्वी), (२) पैप्सू (३) राजस्थान तथा (४) उत्तर प्रदेश में मुसलमान निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़ी गई ज़मीन का क्षेत्र कितना है; तथा

(घ) उपरोक्त (१), (२), (३) व (४) का कितना भाग नहर द्वारा सींचा जाता था, कितना कुओं द्वारा सींचा जाता था और कितना बारानी था ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन ) :** (क) पश्चिमी पाकिस्तान के विभिन्न प्रान्तों में विस्थापितों द्वारा छोड़ी गई ज़मीन के वास्तविक क्षेत्रफल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । विस्थापित व्यक्ति निम्नलिखित ज़मीनों का दावा करते हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| (१) पंजाब | ६७.५९ | लाख एकड़ |
| (२) बहावलपुर | ६.५२ | ,, ,, |
| (३) सिन्ध | २४.९५ | ,, |
| (४) बिलोचिस्तान | .१९ | ,, |
| (५) उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त | ३.९६ | ,, |

(ख) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) । मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों ने पंजाब में ४१,७२,५०५ एकड़ और पैप्सू में ८,४३,१११ एकड़ भूमि छोड़ी थी । अर्द्ध स्थायी आवटन के लिये जितनी ज़मीन उपलब्ध है (यानी पंजाब में ३९,६१,६६७ एकड़ और पैप्सू में ७,७३,६४३ एकड़) उसके संबंध में आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| ज़मीन की किस्म | पूर्वी पंजाब | पैप्सू | कुल |
|---|---|---|---|
| नेहरी (सारे साल चलने वाली नहरों से सींची जाने वाली) | ३६१३७३ | ७२४५६ | ४३३८२९ |
| अन्य नेहरी | २५०१३४ | १०४८३ | २६०६१७ |
| चाही और आबी | ४९८७५८ | १३२६४९ | ६३१४०७ |
| बारानी और सैलाब | २११०३७३ | ४३२८६२ | २५४३२३५ |
| कुल (जोती गई) | ३२२०६२८ | ६४८४५० | ३८६९०८८ |
| बंजर जदीद | ६०३७४ | ५९२ | ६०९६६ |
| बंजर क़दीम | ३८०८१७ | ८६९०६ | ४६७७२३ |
| ग़ैर मुमकिन | २९९८३८ | ३७६९५ | ३३७५३३ |
| कुल (बिना जोती हुई) | ३९६१६६७ | ७७३६४३ | ४७३५३१० |

राजस्थान तथा यू० पी० में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई ज़मीन और उसका विश्लेषण इस प्रकार है :—

| राज्यों के नाम | निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़ी गई ज़मीन (एकड़ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | नहर द्वारा सींची गई | चाही, आबी सहित | बारानी सैलाब सहित | बिना जोती हुई | कुल |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| राजस्थान | १,७०,४३८ | ४७,९०० | ४,५८,२८५ | १.१७,९७० | ७,९४,५९३ |
| उत्तर प्रदेश | ८०,४८६ | ३८,७४० | १,९५,९४२ | ६०,३७८ | ३,७५,५४६* |

*इसमें निष्क्रमणार्थी जमीदारों के अनिष्क्रमणार्थी काश्तकारों के पास वाली २,९४,८४६ एकड़ ज़मीन शामिल है ।

**विस्थापितों का पुनर्वास**

६६८. { **सरदार हुक्म सिंह :**
**श्री अजीत सिंह :**

(क) **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में उन विस्थापितों की संख्या का अनुमान लगाया है जिन्हें पंजाब, पैप्सू, दिल्ली और राजस्थान में, कृषि के अलावा अन्य धंधों में पुनर्वासित किया गया है ?

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान के कितने विस्थापितों को अभी पुनर्वासित किया जाना है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) तथा (ख)। जैसा मैं सदन में पहले कह चुका हूं, पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं क्योंकि (१) यह निश्चित करना बड़ा कठिन है कि एक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को कहां तक सुधार लेने में समर्थ हो जबकि उसे पुनर्वासित कहा जा सके; अब तक इसे निश्चित करने का कोई तरीक़ा नहीं सुझाया गया है; (२) बहुत से व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही पुनर्वासित हुए हैं और विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई आर्थिक जनगणना न होने के कारण उनकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती; और (३) उन लोगों के बारे में भी, जिन्हें सरकार से सीधी सहायता मिली है, राज्यों में ऐसा कोइ सगठन नहीं जो हर अलग मामले की देखभाल करता हो । अतः माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सका है ।

**विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा हिन्दी तथा संस्कृत का शिक्षण**

६६९. **श्री एस० सी० सामन्त : शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत के हिन्दी तथा सस्कृत के प्रोफ़ेसरों को सीधे ही नियुक्त कर लिया जाता है या भारत सरकार के द्वारा किया जाता है; तथा

(ख) क्या भारत सरकार ने इन विश्व-विद्यालयों द्वारा प्रोफ़ेसरों के रखने में सहायता देने पर १९५२ में कोई ख़र्चा किया है ?

**शिक्षा तथा प्रकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों ने हिन्दी और संस्कृत के प्रोफ़ेसरों को अपने यहां नियुक्त करने के बारे में भारत सरकार से कहा है । सरकार के पास विदेशी विश्व-विद्यालयों द्वारा सीधे ही नियुक्त करने के बारे में सूचना नहीं है क्योंकि ये विश्वविद्यालय सरकार से इस मामले में सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

(ख) प्रोफ़ेसरों के रखे जाने पर कोई ख़र्चा नहीं किया गया है । परन्तु चुने हुए लोगों को वित्तीय सहायता देने पर २,५०० रुपये खर्च किये गये थे।

**भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी**

६७०. **श्री पी० टी० चाको : गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किसी राज्य में **अवध** घोषित किया गया है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** जी नही ।

**राष्ट्रीय बचत समितियां**

६७१. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय बचत समितियां कार्य कर रही हैं ?

(ख) क्या स्कूल के अध्यापकों को भी स्थानीय बचत समितियों को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** (क) ४४१ ।

(ख) जी हां ।

**ट्रावनकोर-कोचीन के आबकारी विभाग में रिक्त स्थान**

६७२. **कुमारी एनी मस्करीन :** राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ में ट्रावनकोर-कोचीन के केन्द्रीय आबकारी विभाग में कितने स्थान रिक्त हुए थे; तथा

(ख) क्या यह स्थान राज्य के लोगों से ही भरे गये थे या बाहर वालों से ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) तथा (ख)। सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

**"सिन किम ली" को नुकसान**

६७३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
**श्री एस० सी० सामन्त :**

(क) **गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 'सिन किम ली' नामक नाव को, जिसकी मैरीन डाक यार्ड पोर्ट ब्लेयर में मरम्मत हो रही है, २२ जनवरी १९५३ को आग लग जाने के कारण क्या नुक़सान हुआ ?

(ख) कितने व्यक्ति घायल हुए ?

(ग) उन व्यक्तियों का क्या हुआ जो इस नाव पर हमारे समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) नाव को कोई नुक़सान नहीं हुआ।

(ख) दो व्यक्तियों के जलने से ज़ख्म हो गये थे।

(ग) इस नाव पर सवार उन व्यक्तियों को, जो हमारे समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए पाये गये थे, अन्डमान तथा निकोबार द्वीप मत्स्य विनियम, १९३८ (१९३८ का प्रथम) के अन्तर्गत सज़ा दी गई थी और उन्हें छः महीने की क़ैद भुगतने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया था। बाद में इन मछुओं को छोड़ देने और सिंगापुर भेज देने का जहां से वे आये थे, फ़ैसला किया गया। उन्हें ९ जून, १९५२ को भेजा गया था।

**कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक प्रन्यास आदि को अनुदान**

६७४. **श्री के० सी० सोधिया :** पुनर्वास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, सिन्धी महिला व बाल न्यास तथा आर्य प्रदेशक प्रतिनिधि सभा तथा अन्य संस्थाओं को अपाहिज विस्थापितों की देखभाल करने के लिए कोई अनुदान दिये जाते हैं; यदि हां तो किस आधार और किस दर पर ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले):** पुनर्वास मत्रालय ने निराश्रित महिलाओं व बच्चों आदि के लिए निम्नलिखित आश्रम तथा अपाहिजगृह कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, सिन्धी महिला व बाल न्यास तथा सामाजिक सेवा संस्थाओं के प्रबन्ध में रखे हैं :

(क) **कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास :**

(१) महिला आश्रम, सरदार नगर, (अहमदाबाद)

(२) महिला आश्रम, कोल्हापुर।

(३) कस्तूरबा सेवा आश्रम, राजपुरा।

(ख) **सिन्धी महिला व बाल न्यास :**

(१) विधवा आश्रम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।

(२) वनिता आश्रम, ग्वालियर।

(३) महिला आश्रम, नागपुर।

(४) आम्बेर गृह, आम्बेर (राजस्थान)।

(५) कोटा आश्रम, कोटा।

(६) विधवा आश्रम, जयपुर।

(७) विधवा आश्रम, जोधपुर।

(८) विधवा आश्रम, जूनागढ़।

(९) जूनागढ़ का अपाहिज गृह।

(ग) **रचनात्मक समिति :**

(१) आश्रम अपाहिजगृह, बांटवा (सौराष्ट्र)।

(२) आश्रम अपाहिजगृह, कटियाना (सौराष्ट्र)।

(घ) **आर्य प्रदेशक प्रतिनिधि सभा :**

(१) फीरोज़पुर स्थित निराश्रित महिलाओं तथा बच्चों का आश्रम।

(ङ) **राष्ट्रीय बाल संस्था :**

(१) स्वराज भवन, इलाहाबाद में विस्थापित बच्चों के लिए आश्रम।

(च) **सिन्धु पुनर्वास निगम, गांधीधाम :**

(१) गांधीधाम में निराश्रित स्त्रियों आदि के लिए आश्रम।

(घ) **जैनन्द्र गुरुकुल, आश्रम :**

(१) गुरुकुल, पंच कुल, अम्बाला।

राष्ट्रीय बाल संस्था, इलाहाबाद तथा जैनेन्द्र गुरुकुल आश्रम, पंचकुल को छोड़ कर सारी संस्थाओं को २५ रुपया प्रति निवासी प्रतिमास के हिसाब से मासिक अनुदान दिया जाता है जिसमें खाना, कपड़ा, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा डाक्टरी सहायता पर आवर्त्तक व्यय शामिल हैं।

राष्ट्रीय बाल संस्था, इलाहाबाद तथा जनन्द्र गुरुकुल आश्रम, पंच कुल को ३० रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से अनुदान दिया जाता है क्योंकि पहली संस्था में प्रबन्ध का स्तर काफ़ी ऊंचा है और दूसरी में बच्चों के लिए ब्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विशष प्रबन्ध है।

**सैनिकों के लिय मैस**

**६७५. श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सैनिकों के यूनिट मैसों के चलाने के नियम क्या हैं।

(ख) क्या इन मैसों को चलाने के लिए यूनिट समितियां हैं ?

(ग) क्या इन समितियों में सैनिकों के प्रतिनिधि हैं ?

(घ) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधि अधिकारियों द्वारा नामजद किये जाते हैं या सैनिकों द्वारा निर्वाचित ?

(ङ) क्या हाल ही में सरकार के पास सैनिकों के मैसों में दिये जाने वाले खाने की मात्रा व क़िस्म के बारे में शिकायतें आई हैं ?

(च) यदि हां, तो यह शिकायतें किस प्रकार की हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) आमतौर पर, यूनिटों को कमान्ड करने वाले अधिकारी अपने अधीनस्थ सैनिकों को अच्छा खाना दिलाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें उन्हें यूनिट मैस अधिकारियों, रसोईघरों के प्रबन्धक, नान कमीशन्ड अधिकारियों तथा यूनिट के रसोइयों की सहायता मिलती है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) प्रतिनिधि सैनिकों द्वारा चुने जाते हैं।

(ङ) सरकार के पास सैनिकों को दिये गये खाने के बारे में कोई शिकायत नहीं आई

है। हां, कुछ समय पूर्व चावल की क़िस्म के बारे में एक शिकायत ज़रूर आई थी।

(च) यह शिकायत चावल की घटिया क़िस्म के बारे में थी और यह उस समय की गई थी जब चावल की सारे देशों में कमी थी। उस समय हमें थोड़ा सा घटिया चावल लेना पड़ा था क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। यह कमी थोड़े दिन ही रही; सैनिकों को जो चावल अब दिया जा रहा है उसकी क़िस्म पहले से बहुत ठीक है।

**झंडा दिवस पर इकठ्ठी की गई राशि**

**६७६. श्री एच० एन० मुकर्जी :** रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ में झंडा दिवस पर कितना रुपया इकट्ठा किया गया और उस वर्ष उसमें से कितना रुपया किन किन कार्यों के लिए खर्च किया गया ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** १९५१ में झंडा दिवस (७ दिसम्बर) पर ८.२ लाख रुपये इकट्ठे किये गये। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें दिया गया है कि पिछले वर्ष की बची हुई राशि तथा इस राशि में से कितना रुपया किन किन कामों के लिए निर्धारित किया गया था।

**प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में भरती**

**६७७. डा० राम सुभग सिंह :** शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५०-५१ में भारत में प्राथमिक विद्यालयों में कितने विद्यार्थियों को भरती किया गया; तथा

(ख) उक्त काल में माध्यमिक विद्यालयों में कितने विद्यार्थियों को भरती किया गया ?

**शिक्षा, तथा प्राकृतिक संसाधन तथा बज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** अनुमानित संख्यायें इस प्रकार हैं :

(क) १८४ लाख।

(ख) ५२.१ लाख।

**मनीपुर में सीमा शल्क विभाग का कार्यालय**

**६७८. श्री रिशांग किशिंग :** (क) **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने मनीपुर में सीमा शुल्क विभाग का एक कार्यालय खोला है ?

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर के सीमान्त इलाक़ों में भी कोई शाखा खोली गई है?

(ग) वर्ष १९५२-५३ (३१ जनवरी १९५३ तक) में कौन कौन सी मुख्य वस्तुओं का आयात तथा निर्यात हुआ और कितनी मात्रा में ?

(घ) वर्ष १९५२-५३ में, (३१ जनवरी, १९५३ तक) सीमा शुल्क के रूप में कितना रुपया वसूल हुआ ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह):** (क) जी हां। उसका प्रधान कार्यालय इम्फाल में है।

(ख) जी हां; एक भूमि सीमा शुल्क केन्द्र मोराह में खोला गया है तथा सीमा शुल्क निरोधक चौकियां चूड़ाचांदपुर, सुगनू तथा तेगनापाल में खोली गई हैं।

(ग) वर्ष १९५२-५३ में (३१ जनवरी १९५३ तक) निम्नलिखित मुख्य मुख्य वस्तुओं का निर्यात हुआ था :—

| | | |
|---|---|---|
| (१) | पुराने टायर (बेकार) | ४४३ |
| (२) | टायलेट साबुन | ६९७·३४ हंडरवेट |
| (३) | अन्य साबुन | ०·९[illegible] हंडरवेट |
| (४) | काली चाय | १४६७० पौंड |

१९५२-५३ में (३१ जनवरी १९५३ तक) निम्नलिखित मुख्य मुख्य वस्तुओं का आयात हुआ था :

| | | |
|---|---|---|
| (१) | चना | २२४·०३ टन |
| (२) | मटर | २१०·१० टन |
| (३) | चावल | २०·४७ टन |

(घ) ३६६७ रुपये ८ आने (३१ जनवरी १९५३ तक) ।

**गोरखपुर (यू० पी०) के० मुसलमानों को नोटिस**

६७९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** पुनर्वास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम १९५० की धारा १९ के अन्तर्गत भारत तथा पाकिस्तान के बीच पारपत्र प्रणाली लागू होने के बाद से गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के कितने मुसलमानों को नोटिस दिया गया है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** आठ ।

**श्री दिलीप कुमार राय**

६८०. **श्री चटटोपाध्याय:** (क) शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् के द्वारा श्री दिलीप कुमार राय को अमरीका का दौरा करने और भजन गाने के लिए रुपया दिया है ?

(ख) ऐसे कलाकारों के चुनाव का आधार क्या है ?

**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) जी नहीं, यह सत्य नहीं कि सरकार ने श्री दिलीप कुमार राय को किसी तरह की वित्तीय सहायता दी है, परन्तु यह सत्य है कि सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् ने, जो एक गैर सरकारी संस्था है, श्री राय को सहायता दी है जिससे कि वह अमरीका तथा अन्य देशों में जाकर भारतीय संगीत तथा नाट्य पर प्रदर्शनों के साथ साथ भाषण दे सके ।

(ख) चुनाव करने से पहले कलाकारों की ख्याति तथा उनके भ्रमण के उद्देश्य पर विचार किया जाता है । इस विशेष मामले में, श्री राय को, जो एक सुप्रसिद्ध गायक है, अमेरिकन एकेडमी आफ़ एशियन स्टडीज़, सान फ्रांसिस्को द्वारा अमरीका का दौरा करने के लिए निमंत्रित किया गया था ।

**अफीम फैक्टरी, गाज़ीपुर**

६८१. **श्री गणपति राम :** वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू० पी० में गाज़ीपुर अफ़ीम फ़ैक्टरी में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनके पद क्या हैं; तथा

(ख) विदेशों से कितना आयात व निर्यात हुआ तथा उद्योग में १९५१, १९५२ तथा १९५३ में कितनी वृद्धि या कमी हुई ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) एक विवरण जिसमें अफ़ीम फैक्टरी, गाज़ीपुर में सेवायुक्त कर्मचारियों की संख्या मय उनके पदों के, दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या** ४७]

(ख) १९५१ तथा १९५२ के बारे में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है; १९५३ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

| | १९५१ | १९५२ |
|---|---|---|
| | रुपये | रुपये |
| निर्यात | २,२९,६०,०२१ | १,३९,१३,९७८ |
| पिछले वर्ष के मुकाबले में कमी या वृद्धि | +४५,१६,००२ | —९०,४६,०४३ |
| आयात | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

**डिफ़ेंस साइन्स आर्गेनाइज़ेशन में वैज्ञानिक परामर्शदाता**

६८२. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

डिफेंस साइन्स अर्गेनाइज़ेशन में कितने वैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है ?

(ख) उक्त परामर्शदाताओं में कितने विदेशी हैं ?

(ग) डिफेंस साइन्स आर्गेनाइज़ेशन पर वर्ष १९५२-५३ में कितना व्यय किया गया ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : केवल एक वैज्ञानिक परामर्शदाता हैं जो डिफेंस साइन्स आर्गेनाइज़ेशन के प्रधान हैं।

(ख) वैज्ञानिक परामर्शदाता भारतीय हैं। आर्गेनाइज़ेशन में केवल एक विदेशी वैज्ञानिक हैं जो सहायक मुख्य वैज्ञानिक अधिकारियों के दो पदों में से एक पर नियुक्त है।

(ग) १९५२-५३ में आर्गेनाइज़ेशन पर लगभग ८,५९,००० रुपया व्यय किया गया था।

**विदेशों में शिक्षा सम्बन्धी दौरे**

६८३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : (क) शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५२ में समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के अधीन विदेशों को भेजे गये भारतीय विद्यार्थियों ने कोई शिक्षा सम्बन्धी दौरे किये थे ?

(ख) यदि हां, तो कितने ?

(ग) उन पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(घ) विदेशों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को वर्ष १९५१, १९५२ तथा १९५३ में वास्तव में कितना रुपया दिया गया था ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद)** : (क) से (घ)। चूंकि १९५२ में संशोधित समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कोई विद्यार्थी बाहर नहीं भेजे गये, इसलिए शिक्षा सम्बन्धी दौरों पर खर्चे का प्रश्न नहीं उठता।

**पंजाब में छोटे विस्थापित व्यापारियों को ऋण**

६८४. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब में बसे छोटे विस्थापित व्यापारियों को ऋण के रूप में १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कितना रुपया दिया गया है ?

(ख) इस काल में ऐसे कितने व्यापारियों को ऋण मिले ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) तथा (ख)। १९५०-५१ में १५५० व्यक्तियों तथा २३७ सहकारी सभाओं को ३०३७ लाख रुपया दिया गया। १९५१-५२ में ७१ व्यक्तियों तथा ४७ सहकारी सभाओं को २.३४ लाख रुपया दिया गया। १९५२-५३ के बारे में सूचना वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

**विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति**

६८५. **श्री झूलन सिन्हा** : शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में मेडिसिन और सर्जरी पढ़ने के लिए १९५२-५३ में कितने विद्यार्थियों को (राज्यवार) राज्य छात्रवृत्तियां दी गईं;

(ख) क्या यह विद्यार्थी राज्य सरकारों की सिफ़ारिशों पर चुने गये थे; तथा

(ग) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने वर्ष १९५३-५४ के लिए अपनी सिफ़ारिशें भेज दी हैं ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) भारत-जर्मन सहयोग योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ में मेडीकल विषयों की पोस्ट-

ग्रेजुएट पढ़ाई के लिये सात डाक्टरों को छात्र-वृत्तियां दी गई हैं जिनमें से चार केन्द्रीय सरकार द्वारा, दो पश्चिमी बंगाल सरकार तथा एक बिहार सरकार द्वारा नामनिर्देशित है।

(ख) सारे भेजने वाले प्राधिकारियों की, जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, सिफ़ारिशों पर उचित ध्यान दिया गया था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वह योजना जिसके अन्तर्गत छात्रवृत्तियां दी गई थीं, एक तदर्थ योजना है।

**स्वेच्छा से कम किये गये वेतन**

**६८६. श्री बादशाह गुप्त : वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०, १९५१ तथा १९५२ में वेतनों के ऐच्छिक अध्यर्पण (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक, १९५० के पारित हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ दिये गये वेतनों की राशि; तथा

(ख) उक्त काल में (वर्ष वार) इस प्रकार ऐच्छिक रूप से छोड़े गये वेतनों के कारण सरकार को कितने आयकर तथा अतिरिक्त आयकर का नुकसान हुआ ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) तथा (ख)। अनुमान है कि प्रश्नों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से नहीं बल्कि निम्नलिखित कुछ व्यक्तियों से है :

भारत के राष्ट्रपति

अधिराज्य अथवा संघ के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री।

अधिराज्य की संविधान सभा के अध्यक्ष, अधिराज्य के विधान मंडल अथवा संसद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष।

फ़ेडरल न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जिन्हें केन्द्रीय राजस्व से वेतन मिलता हो। सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। उसे एकत्रित किया जा रहा है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

**सहायक पुनसंस्थापन अधिकारी (एसिस्टेंट रीसेटिलमेंट आफ़िसर)**

**६८७. श्री नानादास : पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सहायक पुनर्सस्थापन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए रिक्त स्थानों की संख्या;

(ख) क्या इन रिक्त स्थानों को गज़ट में तथा सारे प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया गया है ;

(ग) इन स्थानों के लिए निर्धारित योग्यतायें ;

(घ) क्या यह नियुक्तियां संघीय लोक-सेवा आयोग द्वारा की जायेंगी; तथा

(ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किये गये हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) पचास स्थानों की मंजूरी दी गई है जिनमें से अभी लगभग ३० के भरने का विचार है।

(ख) जी नहीं। प्रार्थना पत्र भारत सरकार के मंत्रालयों तथा पुनर्सस्थापन तथा सेवा-योजन के महानिदेशक द्वारा मांगे गये थे।

(ग) सरकारी कर्मचारियों के बारे में एसिस्टेंट के रूप में पांच वर्ष की सेवा। अन्य लोगों के बारे में निर्धारित योग्यतायें यह थीं :

(१) ग्रजुएट

(२) २७ और ४५ वर्ष के बीच आयु।

(३) किसी सरकारी विभाग या किसी प्रतिष्ठित फ़र्म में पांच साल का अनुभव।

(घ) जी नहीं, क्योंकि यह स्थान अभी केवल पांच महीने के लिए ही मंजूर किये गये हैं।

(ङ) निर्धारित नियमों के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों के मिलने पर क्रमशः १६ १/३ प्रतिशत तथा ५ प्रतिशत।

**केन्द्रीय छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा मंजूर की गई छात्रवृत्तियां**

६८८. **श्री नानादास:** (क) **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के केन्द्रीय छात्र-वृत्ति बोर्ड द्वारा १९५२-५३ में मंजूर की गई छात्रवृत्तियों को कितने विद्यार्थियों ने अस्वीकार किया है ?

(ख) अस्वीकृत छात्रवृत्तियों में कुल कितनी राशि का सवाल है ?

(ग) स्वीकृत राशि में से वह राशि कितनी है जो १९५२-५३ में विद्यार्थियों को मंजूर नहीं की गई ?

(घ) छात्रवृत्तियां अस्वीकार करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

**शिक्षा, तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्री (मौलाना आज़ाद):**

(क) ४३९

(ख) १,५६,७१९ रुपये ।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) इस का मुख्य कारण यह है कि इन उम्मीदवारों की राज्य सरकारों से बड़ी राशि की छात्रवृत्तियां मिल गई हैं।

**आयकर अधिकारियों के स्थान**

६८९. **श्री नानादास:** **वित्त** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर १९५२ में विज्ञापित आयकर-अधिकारियों (ग्रेड ३) के २१५ स्थानों के लिये कितने प्रार्थना पत्र आये हैं ;

(ख) क्या उक्त स्थानों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवार चुन लिये हैं;

(ग) यदि हां तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कितने उम्मीदवार चुने गये; तथा

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' में हो तो उम्मीदवारों का चुनाव कब तक पूरा हो जायेगा ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह)** (क) संघीय लोक सेवा आयोग के सौजन्य से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, दिसम्बर में विज्ञाप्ति आयकर अधिकारियों (ग्रड ३) के २१५ स्थानों के लिए अब तक लगभग ८४०० प्रार्थना पत्र आये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभी यह बतलाना सभव नहीं कि चुनाव कब तक पूरा हो जायेगा। यह मामला पूरी तरह से संघीय लोक सेवा आयोग के हाथ में है।

**भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये नियतन**

६९०. **श्री वीरस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ मार्च, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२३ के बारे में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनीय सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेशी सेवा केलिये १९५२ में हुई परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार बैठे थे और उनमें से कितने चुने गये; तथा

(ख) चुने हुए उम्मीदवारों में से कितने नियुक्त किये गये हैं और किन किन पदों पर ?

**गृह-कार्य तथा राज्यमंत्री (डा० काटजू)** : (क) भारतीय प्रशासनीय सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेशी सेवा के लिए १९५२ में हुई परीक्षा में अनुसूचित जाति के ३५ उम्मीदवार बैठे थे। इन में से, २३ भारतीय प्रशासनीय सेवा के लिए, २६ भारतीय पुलिस सेवा के लिए और १८ भारतीय विदेशी सेवा के लिए बैठे थे।

उक्त परीक्षा में भारतीय प्रशासनीय सेवा अथवा भारतीय विदेशी सेवा के लिए अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार उत्तीर्ण नहीं हुआ। भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा अभी चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**मध्य अण्डमान में कृषि योग्य बनाई गई भूमि**

**६९१. श्री के० पी० सिन्हा** : गृह-कार्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य अण्डमान में कृषि योग्य बनाइ गई भूमि का कुल क्षेत्र तथा उन ज़मीनों का क्षेत्र जो हाल में ही कृषि योग्य बनाई जाने वाली हैं;

(ख) इन ज़मीनों पर लोगों को बसाने के लिए अपनाया गया तरीका;

(ग) क्या यह सत्य ह कि आरम्भ में आये हुए लोगों के पास काफी ज़मीन नहीं है और वे और जमीन मांग रहे हैं; तथा

(घ) मध्य अन्डमान में ज़मीनों को कृषि योग्य बनाने पर अब तक कितना रुपया ख़र्च हुआ है।

**गृह-कार्य तथा राज्यमंत्री (डा० काटजू)**: (क) तथा (घ)। मई १९५३ तक लगभग ५०० एकड़ जंगली ज़मीन को कृषि योग्य बना लिया जायेगा। इस ज़मीन को कृषि योग्य बनाने का कुल ख़र्चा लगभग ५ लाख रुपये होगा।

(ख) अभी कोई लोग नहीं बताये गये हैं। साफ़ की जाने वाली ५०० एकड़ ज़मीन पर, जिसके मई १९५३ तक उपलब्ध होने की आशा है, पश्चिमी बंगाल से आये विस्थापितों के १०० परिवारों को बसाया जायेगा। प्रत्येक परिवार को निम्नलिखित रियायतें दी जायेंगी :

(१) धान की खेती के लिए साफ़ की गई पांच एकड़ ज़मीन।

(२) इसके अलावा ५ एकड़ पहाड़ी ज़मीन (बिना साफ़ की गई), झोंपड़ी बनाने, कोई फल या सब्ज़ी बोने तथा जानवरों के लिए चरागाह बनाने के लिए (३) पहली फ़सल कटने तक भारत से अन्डमान आने जाने का ख़र्चा पूरा करने तथा झोंपड़ी बनाने, बैल, कृषि सम्बन्धी औज़ार, बीज और खाद खरीदने के लिए २००० रुपये का ऋण जो कि बाद में वसूल किया जायेगा।

(४) बसाने की इस योजना के चालू होन के पांच वर्ष के काल में भूमि-कर की छूट।

बसाये जाने वाले लोगों को अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों के मुख्य आयुक्त चुनेंगे।

(ग) अपेक्षित सूचना अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों के मुख्य आयुक्त से मंगाई गई है और आ जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

**छाता सैनिक शिक्षण स्कूल (पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल)**

६९२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि छाता सैनिक शिक्षण स्कूल (पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल) म पिछले दो वर्षों में कितने व्यक्तियों ने शिक्षा पाई ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** यह सूचना देना लोक हित में न होगा।

**फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर्स**

६९३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने फ्लाइंग इन्सट्रक्टर्स शिक्षा पा चुके हैं;

(ख) प्रत्येक शिक्षार्थी पर औसतन कितना व्यय हुआ है, और

(ग) क्या इसमें से कुछ लोग शिक्षा के निमित्त विदेश भी भेजे जायेंगे ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) यह सूचना देना लोकहित में न होगा।

(ख) लगभग ५२,००० रुपये

(ग) जी नहीं।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
२४ मार्च, १९५३

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

तीसरा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

# संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त



मंगलवार, २४ मार्च १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

**३ म० प०**

## अनुपस्थिति की अनुमति

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे पास श्री ए० नेसामनी का पत्र प्राप्त हुआ है कि उनकी पत्नि ६ जनवरी १९५३ से बीमार हैं। अतः उन्हें संसद् के चालू सत्र से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये।

मेरे पास श्री आर० पी० नेवटिया का भी एक पत्र आया है कि वे ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में होने वाली गन्ना टैकनालाजिस्टों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की अष्टम कांग्रेस में भाग लेने के लिये विदेश जा रहे हैं, अतः उन्हें चालू सत्र की शेष कालावधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाय।

अनुमति दे दी गई।

## सदन पटल पर रखे गये पत्र

**केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ क अधीन निकाली गई अधिसूचनाएं**

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : केन्द्रीय-उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अनुसार मैं सदन पटल पर निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति रखता हूं :

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिसूचना संख्या २, दिनांक २० जनवरी १९५३।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिसूचना सं० ३, दिनांक २० जनवरी १९५३।

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिसूचना सं० ५, दिनांक २८ जनवरी १९५३।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० एस-१४/५३.**]

## सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगे

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों को लेगा। निम्न मांगों के प्रस्ताव प्रस्तुत है।

| शीर्षक | | विषय | राशि |
|---|---|---|---|
| मांग संख्या | ११ | प्रतिरक्षा मन्त्रालय | २३,९२,००० |
| ,, | १२ | प्रतिरक्षा सेवाएं प्रभावी—सेना | १.५०,०६,७०,००० |
| ,, | १३ | प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रभावी—जलसेना | १०,३७,५६,००० |
| ,, | १४ | प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रभावी—विमान बल | २३,६४,३०,००० |
| ,, | १५ | प्रतिरक्षा सेवाएं, अप्रभावी भार | १४,३६,३१,००० |
| ,, | १६ | प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय | ४,५८,००० |
| ,, | ११४ | प्रतिरक्षा पूंजीगत व्यय | १६,५०,००,००० |

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने अपने नामों के सामने दिखाये गये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये :

| प्रस्तावक का नाम | मांग का शीर्षक | कटौती का विषय | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|
| श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) | प्रतिरक्षा मन्त्रालय | पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के लिये सेना का उपयोग | १०० रुपये |
| श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) | ,, | सेना, जल सेना तथा विमान बल संवरण मंडली का दक्षिण भारतीयों विरोधी पक्षपात | ,, |
| ,, | ,, | स्कूलों तथा कालेजों में सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता | ,, |
| ,, | ,, | बचत करने के उपाय ढूंढने के लिये संसदीय समिति नियुक्त करने की आवश्यकता | ,, |
| श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) | ,, | नीति | ,, |
| ,, | ,, | सेना, जल सेना, तथा विमान बल संवरण मंडली का दक्षिण भारतीयों विरोधी पक्षपात | ,, |
| ,, | ,, | स्कूलों तथा कालेजों में सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता | ,, |
| ,, | ,, | बचत करने के उपाय ढूंढने के लिये संसदीय समिति नियुक्त करने की आवश्यकता | ,, |
| श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) | ,, | प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सचिवालय का उच्च पदाधिकारियों का भारी खर्च | ,, |

| प्रस्तावक का नाम | मांग का शीर्षक | कटौती का विषय | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|
| श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) | प्रतिरक्षा मंत्रालय | नीति | १०० रुपये |
| श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) | ,, | कार्य कुशलता बढ़ा कर भी बचत करने के आधुनिक प्रतिरक्षा उपायों को न अपनाना | |
| ,, | ,, | सेना, जल सेना तथा विमान बल की सहायतार्थ द्वितीय रक्षा-पंक्ति बनाने के लिये नागरिक सेना के निर्माण | ,, |
| ,, | ,, | राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास कार्य में सहायता करने के लिये प्रतिरक्षा सैनिकों को प्रशिक्षण न देना | ,, |
| श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) | ,, | उत्पादन कार्यों में प्रतिरक्षा बलों का प्रयोग न करना | ,, |
| ,, | ,, | प्रतिरक्षा व्यय में अपव्यय तथा व्यर्थ व्यय को न रोक सकना | ,, |
| ,, | ,, | राष्ट्रीय सेना छात्र दल को सभी स्कूलों, कालेजों आदि में विस्तृत करना और उसकी कार्यवाहियों का विस्तार करना | ,, |
| ,, | ,, | सभी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों को प्रतिरक्षा बलों में आने के लिये प्रोत्साहन देने की वांछनीयता | ,, |

| प्रस्तावक का नाम | मांग का शीर्षक | कटौती का विषय | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|
| श्री नानादास | प्रतिरक्षा मंत्रालय | आंध्र राज्य में सेना तथा विमान बल के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| श्री शिवमूर्ति स्वामी | प्रतिरक्षा सेवाएं प्रभावी—सेना | देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में प्रतिरक्षा सेवाओं का उपयोग करना | ,, |
| श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) | प्रतिरक्षा सेवाएं प्रभावी—सेना | प्रति रक्षा सेवाओं का पूर्णतः भारतीयकरण | ,, |
| ,, | ,, | प्रतिरक्षा सेवाओं में सभी समादेश पदों का पूर्णतः भारतीयकरण | ,, |
| श्री गोपाल राव | ,, | एक कार्य कुशल सेना के निर्माण तथा बनाये रखने की नीति | ,, |
| ,, | ,, | प्रतिरक्षा उद्योगों का निर्माण और विदेशों से शस्त्रास्त्रों का आयात | ,, |
| ,, | ,, | शस्त्रास्त्र कारखानों की व्यवस्था और उनमें श्रमिकों की दशा | ,, |
| श्री नम्बियार (मयूरम्) | ,, | आरूवंगडू के कौरडाइट कारखाने में एसीटोन तथा तेजाबों का पूर्ण उत्पादन जिससे कि देश की सब आवश्यकता पूर्ण हो सके | ,, |
| ,, | ,, | शस्त्रास्त्र तथा वस्त्र कारखानों में असैनिक सामान बनाने की सम्भावना ढूंढना जिससे कि छटनी न हो | ,, |

| प्रस्तावक का नाम | मांग का शीर्षक | कटौती का विषय | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|
| श्री नम्बियार | प्रतिरक्षा सेवाएं प्रभावी—सेना | शस्त्रास्त्र कारखानों, शिल्की विकास कार्यशालाओं, डिपो तथा एम० ई० एस० में ४,००० कर्मचारियों की छटनी का प्रस्ताव । | १०० रुपये |
| ,, | ,, | कल्याण वाला समिति के प्रतिवेदन की सम्मत सिफारिशों को कार्यान्वित करने की शीघ्र आवश्यकता । | ,, |
| ,, | ,, | प्रतिरक्षा कार्यशालाओं के असैनिक कर्मचारियों को श्रम-संघ बनाने के अधिकारों से वंचित करना । | ,, |
| ,, | ,, | असैनिक कार्यशालाओं में श्रम-संघ नेताओं के साथ असंतोषजनक व्यवहार के विषय में न्यायिक जांच की आवश्यकता । | ,, |
| ,, | ,, | कौरडाइट कारखाना, आरूवंगडू—नीलगिरी के कर्मचारियों को पर्वत भत्ता देने में विभेद । | ,, |
| | ,, | सेना के अन्य रेंकों के अल्प वेतन-क्रम । | ,, |
| | ,, | भत्तों, मकान, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता, छट्टी तथा निवृत्ति-वेतन के विषय में अन्य रेंकों की कठिनाइयां । | ,, |
| ,, | ,, | हवलदार क्लर्कों की बड़े पैमाने पर पद-अवनति । | ,, |

| प्रस्तावक का नाम | मांग का शीर्षक | कटौती का विषय | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|
| श्री यू० सी० पटनायक | प्रतिरक्षा सेवाएं प्रभावी—सेना | उपयुक्त रक्षित सेना बनाना और भावी रक्षित सेना का विस्तार न करना। | १०० रुपये |
| ,, | ,, | बाहर से क्रम कम करने के लिये शस्त्रास्त्र कारखानों और अन्य प्रतिरक्षा उद्योगों का संगठन न कर सकना। | ,, |
| ,, | ,, | सामान खरीदने और भवन-निर्माण-कार्य में भ्रष्टाचार तथा अपव्यय। | ,, |
| ,, | ,, | भूतपूर्व सैनिकों का असैनिक जीवन में पुनस्संस्थापन न कर सकना। | ,, |
| श्री नानादास | ,, | रायलासीमा में शस्त्रास्त्र कारखाने खोल कर उस दुर्भिक्ष-पीड़ित क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता का विकास करने की वांछनीयता। | ,, |
| डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) | प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रभावी—जल सेना | विशाखापटनम में लड़कों का प्रशिक्षण विद्यालय खोलने के तात्कालिक विनिश्चय की आवश्यकता। | ,, |
| श्री शिवमूर्ति स्वामी | ,, | प्रतिरक्षा सेवाओं का देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में उपयोग। | ,, |
| श्री पी० एन० राजभोज | ,, | प्रतिरक्षा सेवाओं में सभी पदों का पूर्णतः भारतीयकरण। | ,, |
| श्री नम्बियार | ,, | वेतन, भत्तों, भोजन, चिकित्सा सहायता, वस्त्र, | ,, |

| प्रस्तावक का नाम | मांग का शीर्षक | कटौती का विषय | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|
| | | छट्टी तथा निवृत्ति-वेतनों के विषय में जल-सेना के अन्य रेंकों के व्यक्तियों की कठिनाइयां। | |
| श्री नम्बियार | प्रतिरक्षा सेवाएं प्रभावी—जल सेना | शाही भारतीय जल सेना के १९४६ के प्रदर्शनों से सम्बद्ध जल-सेना के सैनिकों की पुनर्नियुक्ति। | १०० रुपए |
| श्री यू० सी० पटनायक | ,, | समुचित जल सेना रक्षित बलों या सहायक-बलों के द्वारा तटवर्ती उद्योगों और तटवर्ती प्रतिरक्षा के लिये तटवर्ती समुद्र-चालकों के संगठन तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता। | ,, |
| | ,, | राष्ट्रीय सेना छात्र दल की जल सेना शाखा की पर्याप्त टुकड़ियां संगठित न कर सकना। | ,, |
| ,, | ,, | भारतीय जल सेना, और जल सेना के स्वयं सेवक रक्षित दलों और सहायक दलों के लिये विधान-निर्माण न कर सकना। | ,, |
| ,, | ,, | चिल्का-गोपालपुर क्षेत्र का जल सेना प्रति रक्षा और लड़कों के प्रशिक्षण केन्द्रों में उपयोग न कर सकना। | |
| श्री शिवमूर्ति स्वामी | प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रभावी—विमान बल | देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में प्रतिरक्षा सेवाओं का उपयोग। | |

| प्रस्तावक का नाम | मांग का शीर्षक | कटौती का विषय | कटौती की राशी |
|---|---|---|---|
| श्री नम्बियार | प्रतिरक्षा सेवाएं प्र भावी—विमान बल | वेतन, भत्तों, भोजन, चिकित्सा-सहायता, छुट्टी तथा निवृत्ति-वेतनों के विषय में विमान-बल के सैनिकों की कठिनाइयां । | १०० रुपयें |
| ,, | ,, | अन्य रेंकों के साथ असंतोषजनक व्यवहार के कारण विमान-बल के लोगों में असंतोष । | ,, |
| श्री यू० सी० पटनायक | ,, | आधुनिक युद्ध में वैमानिक प्रतिरक्षा के महत्व को न समझना । | ,, |
| ,, | ,, | राष्ट्रीय सेना छात्र दलों की वैमानिक शाखा की पर्याप्त टुकड़ियां संगठित न कर सकना । | ,, |
| ,, | ,, | वैमानिक रक्षित सेना और सहायक विमान-बल के निर्माण तथा उनके लिये नियमों की रचना करने में विलम्ब । | ,, |
| श्री शिवमूर्ति स्वामी | प्रतिरक्षा सेवाएं, अप्रभावी भार | देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में प्रतिरक्षा सेवाओं का उपयोग । | ,, |

**उपाध्यक्ष महोदय** : म सदन और विशेष रूप से विरोधी दल के सदस्यों के सम्मुख यह सुझाव रखता हूं कि वे कुछ कटौती प्रस्तावों पर ही ध्यान केन्द्रित करें । सदन के पास इतना समय नहीं है कि वह प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये बीस-बीस कटौती प्रस्तावों पर विचार करे । सदन के विचारार्थ मांग और कटौती प्रस्ताव यहां उपस्थित किये जा रहे हैं ।

**श्री यू० सी० पटनायक** : इन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करनें में मेरा उद्देश्य देश के अत्यधिक व्यय करने वाले विभाग के संगठन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करना है । रक्षा विभाग राष्ट्रीय व्यय के पचास प्रतिशत से अधिक भाग का उपभोक्ता है । मेरा विरोध रक्षा विभाग द्वारा किये जाने वाले व्यय से नहीं किन्तु उसकी पद्धति से है । उसमें बचत और

प्रवीणता की ओर सन्तोषजनक ध्यान नहीं दिया गया है । स्थायी सेनायें तात्कालिक उपभोग के लिये हैं किन्तु नागरिक सेना का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है । राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नहीं किन्तु नागरिकों में अनुशासन, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण देने तथा चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय उत्थान की दृष्टि से उनका महत्व असंदिग्ध है । नागरिक सेनाओं का नौ, वायु तथा सशस्त्र सेना से घनिष्ठ सम्पर्क होना चाहिये । इसमें प्रादेशिक सेना, राष्ट्रीय कैडट और नागरिक रक्षा संगठन आदि सम्मिलित हैं । सन् १९४८ के राष्ट्रीय प्रादेशिक सेना अधिनियम– जिसने १९२० के अधिनियम को अपमार्जित कर दिया है पूर्व अधिनियम की अनेक बातों को परिव्यक्त कर दिया है । उसमें परामर्श बोर्ड नहीं हैं, विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का महत्व नहीं समझा गया है; राज्यों के साथ सहयोग का अभाव है और प्रशिक्षण की अवधि इतनी है कि बहुत कम व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो सकते हैं? सरकार ने इस त्रुटि को दूर करने के लिये गतवर्ष प्रादेशिक सेना परामर्शदायिनी बोर्ड की स्थापना की है और आशा है कि वह इन सब पर ध्यान देगी ।

विश्वविद्यालय प्रशिक्षण दल जो कि पहले प्रादेशिक सेना का ही एक भाग था अब अलग कर दिया गया है और छात्र सैनिक संगठन का निर्माण किया गया । यदि अलग संगठन हो गया और प्रादेशिक सेना के साथ इसका एकीकरण नहीं किया गया इसमें यह अभिरक्षा अवश्य है कि केन्द्रीय संगठन और प्रादेशिक अथवा राज्य परामर्श बोर्ड की व्यवस्था की गई है ।

सन् १९३९ में एक नागरिक रक्षा संगठन था यद्यपि इसके कार्य केवल नगरों तक ही सीमित थे । नागरिक रक्षक, वायुयान आक्रमण से बचने के उपाय और पाथमिक चिकित्सा, रेल-रक्षा दल और अग्नि से बचाव करने वाले दल थे । प्रथम तीन १९४५ में समाप्त कर दिये गये जबकि इंग्लैण्ड में नागरिक रक्षा संगठन का अन्त हो गया । यद्यपि इंग्लैण्ड ने उक्त कार्य को द्विगुणित उत्साह के साथ सन् १९४८ में पुनः प्रारम्भ कर दिया हमनें इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया ।

भारतीय वायु सेना वालंटियर रिजर्व अधिनियम १९३९ में स्वीकृत किया गया किन्तु रिजर्व और नियमित बाद में मिश्रित कर दिये गये । किसी कारणवश सहायक वायु सेना निवृत कर दी गई और आज हमारे यहां सहायक वायु सेना नहीं है । गत वर्ष माननीय मंत्री जी सहायक रक्षित वायु सेना विधेयक स्वीकृत कराने के लिये उत्सुक थे । वह स्वीकृत भी हो गया है किन्तु अभी तक हमें इसे देखने का अवसर नहीं मिला है । उसे सदन में अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : उन्हें राजपत्रित किया जा रहा है और शीघ्र ही सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

**श्री यू० सी० पटनायक** : माननीय मंत्री जी के इस उत्तर का कि विधेयक संविन्यासित कर लिये गये हैं और सदन में वे उपस्थित किये जायेंगे मैं आभारी हूं और हम कामना करते हैं कि सरकार वायु सेना की सहायक नागरिक सेना के निर्माण में पूर्ण सफलता प्राप्त करे ।

नौसेना के लियें भी सन् १९३९ में एक नाविक सेना अनुशासन अधिनियम था । इसके अन्तर्गत रक्षित बेड़ा, रक्षित नौसेना, रक्षित वालंटियर रक्षित और नौसंवहन रक्षित की व्यवस्था थी । सन् १९४२ में कुछ संशोधन के अतिरिक्त परिनियम पुस्तक प्रायः मृत पत्र बन गई है । हमारी नौसेना के अंग्रेज

[श्री यू० सी० पटनायक]

पदाधिकारियों ने हमारी तटवर्ती सेनाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने के सुझाव की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया है। इतना ही नहीं अपितु अन्य देशों की भांति इन विभिन्न नागरिक सेनाओं में हमारे यहां कोई सहयोगीक रण नहीं है। प्रायः हम से कहा जाता है कि हमारी रक्षा व्यवस्था ब्रिटेन के आदर्श पर ही निर्मित की जा रही है। किन्तु ब्रिटेन में यह संगठन सुव्यवस्थित है और वहां विभिन्न नागरिक सेनाओं में सहयोग एवं एकीकरण है। सैनिक और असैनिक कर्मचारियों से युक्त इन संगठनों को केन्द्रीय युद्ध विभाग से वित्तीय सहायता और सामग्री तथा अनुदेश दिये जाते हैं। यही सब स्थानीय संगठन सब प्रकार की नागरिक सेनाओं के प्रशासन के लिये उत्तरदायी है और यद्यपि हमारे यहां अंग्रेज पदाधिकारी हैं उन्होंने हम से अभी तक इन विभिन्न दिशाओं में सम्पर्क स्थापित करने के लिये कुछ नहीं कहा है। द्रव्य की बचत और रक्षा संगठन की कुशलता में वृद्धि करने की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है किन्तु युद्ध काल में समस्त नागरिक सेनाओं को एक सूत्र में बंधना है विविध क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के लिये भी यह नितान्त आवश्यक है। हमें आशा है कि नवनियुक्त मंत्री महोदय सैन्य संगठन के इस पहलू की ओर ध्यान देंगे।

इसके पश्चात् मैं रक्षा हित की दृष्टि से सामग्री सम्बन्धी साधनों की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहूंगा। रक्षा व्यय का अधिकांश भाग भांडार क्रय, रक्षा उद्योग और निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो जाता है। रक्षा संगठन मंत्री को जनशक्ति के संगठन के साथ ही सामग्री की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिये। क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत स्टोर्स खरीदने के सम्बन्ध में है। प्रत्येक वर्ष के विपुल व्यय पर प्रहरी की भांति काम करने वाली जन लेखा समिति ने १९४८-४९ के रक्षा व्यय पर तीव्र आलोचना की है। यद्यपि संविधान की १५१ वीं धारा के अनुसार यह आशा की जाती है कि संघ के प्रतिवर्ष के व्यय के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन हमारे सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिये किन्तु सन् १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२, में रक्षा लेखा और रक्षा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन देखने का अवसर नहीं मिला। हमें पता नहीं कि यह गलती किस की है किन्तु हम यह आशा करते हैं कि १९४९-५० के विनियोग लेखा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा और सदस्यों को यह देखने का अवसर मिलेगा कि जीप गाड़ियां, स्टोर्स और युद्धास्त्र बाहर से मंगाने में कितनी कमी हो सकती थी, व्यय मितव्ययिता और भ्रष्टाचार का अन्त किस तरह हो सकता था।

मैं अधिक समय नहीं बोलूंगा मैं सदन को केवल रूप रेखा से परिचित कराना चाहता हूं। युद्धास्त्र कारखानों के विषय में अधिक विस्तृत जाकर मेरी मंशा सरकार को दुविधा में डालने की नहीं है। युद्ध काल में हमारे यहां ३६ युद्धास्त्र फैक्टरियां थीं और कहा जाता है कि अभी इनकी संख्या केवल २० है। हमारे यहां अंग्रेज पदाधिकारी इन फैक्टरियों के अधीक्षक हैं जिन्होंने प्रारम्भ से इन स्थानों पर काम किया है किन्तु फिर भी वे इस स्थिति में नहीं हैं कि वहां समस्त सामग्री का निर्माण किया जा सके। चमड़ा रंगने आदि उद्योगशालाएं यह कह कर बन्द की जा रही हैं कि वे अनावश्यक हैं और मजदूरों को नोटिस दे दिये गये हैं। हमारे यहां से चमड़ा विदेशों को निर्यात किया जाता है किन्तु हमारे सैनिकों के जूते ब्रिटेन की फर्म से लिये जाते हैं। इसी प्रकार डाक के थैले भी यहीं बनाये जा सकते थे और कारखानों से मजदूरों की छंटनी रुक सकती थी।

एक साधारण उदाहरण है। प्रत्येक प्रधान सैनिक और उसके ऊपर के सैनिक पदाधिकारियों के पास एक रिवाल्वर रहती है जो कि उनकी वर्दी का ही एक अंग समझी जाती है किन्तु यह रिवाल्वर हमारे यहां तैयार नहीं होते हैं जो फैक्टरियां बन्द की जा रही हैं वहां रिवाल्वर निर्मित किये जा सकते थे अपितु हम इंग्लैण्ड से वेवली-स्काट और काल्ट रिवाल्वर खरीद रहे हैं। सन् १९५० में यहां की बनी हुई एक दुनाली बन्दूक हमने ब्रिटेन में परीक्षण के लिये भेजी थी किन्तु उन्होंने अपने यहां के माल की खपत को सुरक्षित करने की दृष्टि से उसे स्वीकृत नहीं किया। हथगोले भी बाहर से मंगाये जा रहे हैं जबकि देश में कुछ ऐसी फैक्टरियां हैं जहां इनका निर्माण सम्भव है। इन सब कार्यों का मूल प्रथम अंग्रेज़ पदाधिकारियों की उपस्थिति और किन्हीं उच्च पदों पर उन व्यक्तियों की नियुक्ति है जो विदेश में व्यापार हितों में रुचि रखते हैं। युद्धास्त्र निर्माणशालाएं उचित पद्धति पर काम नहीं कर रही हैं और मैं सदन की ओर से माननीय मंत्री जी के समक्ष यह सुझाव प्रस्तुत करता हूं कि इन निर्माणशालाओं की भली भांति देख भाल की जाय और इस बात का सतत प्रयत्न किया जाय कि देश उनसे पूरी तरह लाभान्वित हो। विदेशों पर निर्भर रहना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्रालय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय और रेल मन्त्रालय के सहयोग से प्रत्येक आवश्यक वस्तु का उत्पादन यहीं करने का प्रयत्न करे। मैं अधिक समय न लेकर इतना ही कहूंगा कि पुनर्गठित मन्त्रालय द्वारा इन सब विषयों की जांच की जाय।

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : माननीय सदस्य ने कहा कि कतिपय उच्च पदाधिकारी व्यापारिक हितों से संलग्न हैं। मैं उनसे उक्त सूचना मुझे देने की प्रार्थना करूंगा।

**श्री यू० सी० पटनायक**: मैं इस सदन की मार्फत यह सूचना दे सकता हूं किन्तु एक बार इस ओर निर्देश करने पर मैं उसे सदन पटल पर प्रस्तुत करूंगा। मेरी मंशा माननीय मंत्री को परेशानी में डालने की नहीं है किन्तु यदि वह चाहते ही हैं तो मैं वर्तमान बीस निर्माणशालाओं की सूची, उनके पदाधिकारी, युद्धकालीन उत्पादन, वर्तमान उत्पादन, कम किये गये मजदूर और इन निर्माणशालाओं के दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकता हूं। यदि मंत्री महोदय सहमत हों तो मैं स्वयं उन्हें यह सूचना दे सकता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक छोटी बात के लिये लम्बा विवाद है।

**श्री यू० सी० पटनायक** : यदि उनकी इच्छा हो तो मैं उन्हें बता सकता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को इस प्रकार परस्पर बातचीत नहीं करनी चाहिये।

**श्री गाडगिल** : स्वतन्त्रता के पूर्व भारतीय सेना कार्य (१) शान्ति और नियम की व्यवस्थापना और (२) विदेश आक्रमण को रोकना रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रथम कार्य की आवश्यकता कम हो गई है। चूंकि हम वर्तमान में प्रजातन्त्रात्मक संविधान से शासित होते हैं हमें आज उक्त कार्य की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में हमें बन्दूकों की अपेक्षा निर्वाचन पेटी के पक्ष में निर्णय करना है। आक्रमण से रक्षा करने का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है और ऐसा कोई माप दण्ड नहीं है जिसके अनुसार हम यह कह सकें कि अमुक स्तर उचित रहेगा। परिस्थिति ही इसका उचित निर्णायक है। मैं सरकार की तटस्थ विदेश नीति का समर्थन करता हूं यद्यपि इसके विषय में कहा जाता है कि यह सक्रिय तटस्थतापूर्ण अथवा प्रभावमयी तटस्थता है कि वास्तविक परिस्थितियों में इसकी सक्रियता अथवा प्रभावमयता स्पष्ट

[श्री गाडगिल]

हो सकती है। कुछ दिन पूर्व बजट पर बहस के समय एक प्रस्ताव रखा गया था कि भारत और पाकिस्तान का संयुक्त रक्षा मोर्चा बनाया जाय। मैं इस प्रस्ताव के समर्थक सदस्यों की सद्भावना को आह्वान नहीं करना चाहता किन्तु मेरा निजी विचार है कि निकट भविष्य में भारत और पाकिस्तान की संयुक्त रक्षा योजना का विचार गर्हित नहीं है। हमारे और उनके बीच में अनेक समस्यायें अभी अनिर्णीत हैं। हम आये दिन सुनते हैं कि पाकिस्तान जिहाद की तैयारी कर रहा है। दूसरे, पाकिस्तान निश्चित रूप से किसी एक गुट के साथ है। संयुक्त रक्षा योजना में सम्मिलित होने पर हमें भी अपनी तटस्थता की नीति से विरत होना पड़ेगा। हमारे लिये यह भी अनिवार्य होगा कि हम परस्पर शस्त्र, गुप्त सूचना, वैज्ञानिक अनुसंधानों की जानकारी और आपसी कार्यों के लिये एक दूसरे की राज्य सीमा का उपभोग करने की अनुमति दें। इन सबसे उपर्युक्त प्रस्ताव की जटिलता स्पष्ट होती है।

मेरे मित्र श्री पटनायक के अनुसार सम्पूर्ण देश को युद्ध स्तर पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उनकी यह युक्ति सर्वथा श्लाघनीय है कि प्रत्येक देशवासी को अनुशासित किया जाना चाहिये।

रक्षित सेना की प्रगति उत्साहवर्द्धक ह दक्षिण कमाण्ड का कार्य उच्चस्तरीय है किन्तु पूर्वी और पश्चिम कमाण्ड को अभी इस दिशा में कुछ उन्नति करना है।

मेरे विद्वान् मित्र का एक निर्देश स्टोर्स तथा अन्य सामग्री के क्रय की ओर है। आगामी वर्ष के बजट में कुल १९९.८४ करोड़ रु० की संयोजना की गई है इसमें से ८१.४४ करोड़ रु० स्टोर्स तथा सामग्री के लिये व्यय की जायगी। यह विपुल राशि है। युद्धोत्तर काल में जो शस्त्र निर्माणशालाएं बन्द हो गई थीं उन्हें प्रारम्भ करना चाहिये। उनके पास अनुसंधान विभाग और प्रयोगशालाएं हैं और वैज्ञानिक कार्यकर्त्ता हैं। उनका कार्य काफी सन्तोषजनक है किन्तु फिर भी मन्त्रालय का पूर्ति विभाग विदेशों से सामग्री मंगा रहा है जबकि उससे अच्छी किस्म की सामग्री यहां मिल सकती है। मैं श्री पटनायक के इस सुझाव का भी समर्थन करता हूं कि युद्धास्त्र सामग्री का निर्माण योजना आयोग के सहयोग पर ही किया जाना चाहिये।

योजना आयोग ने कुछ सामग्री का निर्माण कार्य निजी उद्योगों पर छोड़ दिया है सरकार को इन निजी उद्योगों से मिल कर उद्योग के विस्तार एवं प्रसार का प्रयत्न करना चाहिये। इंग्लैण्ड में ऐसा ही किया गया है। जब तक हमारा महान् नेता विद्यमान है मेरी आस्था है कि हम युद्ध में प्रवृत्त नहीं होंगे किन्तु परिस्थितियों से वशीभूत महान् व्यक्ति तथा महान् देश कठिन स्थिति में पड़ जाते हैं। मैं ऐसे ही संकटमय समय की कल्पना कर उक्त सुझाव रख रहा हूं। हमारे पास बहुमुखी व्यवस्था होनी चाहिये जो साधारणतया नागरिक आवश्यकता की पूर्ति करे और विशेष परिस्थितियों में युद्धोपयोगी सामग्री के निर्माण में प्रवृत्त हो सके।

अन्तिम प्रश्न नैतिक आचरण से सम्बन्धित है विभाजन तथा उसके बाद की परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सैन्य संगठन प्रगति के चरण चिह्नों पर है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न केवल सेना के नैतिक आचरण का नहीं किन्तु नागरिकों की मनोवृत्ति का भी है। जब तक हम उनके जीवन यापन की आवश्यक सामग्री की व्यवस्था नहीं करते, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं करते, उनकी रोटी और रोजी की समस्या अधूरी है क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि वे युद्ध के समय

सेना में भरती हो कर अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिये आगे बढ़ेंगे। हमें यह बात निश्चित कर देनी होगी कि यदि भारत पर आक्रमण होता है इसका अर्थ है उनके मकान पर, उनकी भौतिक सामग्री पर, स्वयं उन पर आक्रमण होता है। इसी एकरूपता की भावना को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें केवल उद्भव काल में काम करने की आवश्यकता है। एक बार प्रेरणा उत्पन्न कर देने पर कार्य स्वयं ही निर्बाधित गति से चलता रहेगा। तब जनता में स्वतः ही वह भावना पैदा हो जायगी जो मास्को और स्तालिनग्राड के आक्रमण के समय हुई थी। जब सब कुछ ध्वंस हो जाता है तब व्यक्तिगत अथवा निजी वस्तु का प्रश्न ही नहीं रहता है। उन्होंने समूचे गांव नष्ट कर दिये क्योंकि वे जानते थे उस ग्राम्य जगत् का नवनिर्माण करना होगा; वे यह नहीं भूले थे कि इसके लिये राज्य उत्तरदायी है। यदि हम उन्नति की इस श्रेणी तक पहुंच गये तो आचरण का निर्माण सुनिश्चित है।

**श्री केशवैंयंगार** (बंगलौर उत्तर) मैं नये मंत्री का स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि वह इस दिशा में अपनी योग्यता और अनुभव के कारण प्रशासन में सुदढ़ता उत्पन्न कर सकेंगे और अपने विभाग के कार्य में अन्तदृष्टि रखेंगे।

आज के युग में यह स्पष्ट है कि युद्ध एक सामाजिक समस्या है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का जीवन युद्ध से प्रभावित होता है। यह भी असंदिग्ध है कि नागरिकों का प्रभाव सैनिक क्रियाओं पर पड़ता है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अभी कुछ समय पूर्व तक हमारी सेना के कर्ता धर्ता अंग्रेज थे और वे अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये करते थे। स्वराज्य प्रभात ने इस चित्र को धूमिल कर दिया है और इसके दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हो गया है। आज कोई एक लकीर खींच कर यह नहीं कह सकता 'आज सब कुछ पर्याप्त है।' रक्षा के बजट पर किसी सदस्य को आना कानी नहीं है किन्तु उसकी व्यवस्था से सबको असंतोष है। उसमें राष्ट्रीय भावनाओं की समाविष्टि होनी चाहिये तदनन्तर युद्ध सामग्री के साथ ही देश की परिस्थितियां भी ध्यान देने योग्य हैं। वस्तु का इतना महत्व नहीं होता जितना वस्तु की पृष्ठ भूमि का होता है। जापानी इसके उदाहरण हैं। उनके पास शस्त्रास्त्र सामग्री इतनी नहीं थी जितनी कि देश सेवा की भावना मेरा विचार है कि मैं किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर रहा हूं जब मैं यह कहता हूं कि संसद सदस्यों के लिये 'राइफल क्लास' चलाने की योजना सर्वथा स्पृहणीय थी। इस कार्य की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक थी। रक्षा विभाग के पूर्व मंत्री श्री गोपालस्वामी आयंगर ने कहा था कि वह इन सब मामलों पर विचार करेंगे और मैं वर्तमान मंत्री श्री त्यागी जी से प्रतिवेदन करूंगा कि वह उनमें सुधार उत्पन्न करें। हमें उद्योगों का इस तरह संचालन करना है कि वह शान्तिकाल के उपयोग के साथ ही युद्धकाल में भी उपयोगी सिद्ध हो। मैसूर के मुख्य मंत्री ने सेना के एकीकरण के समय कहा था कि सेना के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जायगा किन्तु बाद में वृहद् संख्या में हमारे नवयुवक सेना से अलग कर दिये गये। उनमें असन्तोष बढ़ रहा है। इस दिशा में जांच आवश्यक है भविष्य में भरती के समय इन नवयुवकों का ध्यान रखा जाना चाहिये। मुझे केवल एक बात और कहनी है। हमें किसी प्रकार के बड़े बम्ब अथवा अन्य युद्ध सामग्री बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी देश पर आक्रमण नहीं करना है। हमें इतनी ही सेना चाहिये जो हमारी तटवर्ती सीमा की रक्षा में समर्थ हो।

**श्री जी० एस० सिंह** (भरतपुर-सवाई माधोपुर) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं एक पेराग्राफ पढ़ता हूं :—

"सामान्य जन जिस शान्ति की अभिलाषा रखते हैं वह दूसरी वस्तु है किन्तु जब वह वस्तुतः उसे प्राप्त करता है तब यह प्रत्येक दिखाई देने वाली दिशा से उसकी ओर इंगित की गई लकड़ी की भांति है। दुर्भाग्यवश वह सब राजनैतिक चालबाजी महत्व प्राप्त कर लेती है जिसमें 'शान्ति' शब्द की भावना मात्र उद्घोषित होती।"

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को केवल शान्ति की अपीलों से प्रभावित नहीं हो जाना चाहिये। पाकिस्तान के साथ संयुक्त रक्षा मोर्चा बनाने का प्रस्ताव 'अत्यन्त आश्चर्यप्रद और विचित्र प्रस्ताव' है। इसके समर्थकों को यह विस्मरण नहीं होगा कि काश्मीर के मामले में हमारा और पाकिस्तान का कैसा सम्बन्ध है। राष्ट्रों के समक्ष हमन पाकिस्तान को आरोपी बतलाया है, राष्ट्र संघ में उसे आक्रांता कहा गया है, ऐसी अवस्था में संयुक्त रक्षा एक स्वप्न है। यदि स्वप्न जगत में ही विचरण करना है तो फिर इस स्वप्न की कल्पना भी की जा सकती है कि हम पुनः भारत और पाकिस्तान को मिला कर इसका नामकरण पुनः भारत कर सकते हैं।

यह निर्विवाद है कि रक्षा का प्रश्न पार्टी अथवा राजनीतिक महत्व का ही नहीं किन्तु राष्ट्रीय महत्व का है। चूंकि आज स्वयं प्रधान मंत्री के अधिकार में यह विभाग है इसकी अवश्य ही सर्वांगीण उन्नति होगी।

मैं यह अनुभव करता हूं कि हमें वायु सेना के विस्तार की ओर ध्यान देना चाहिये। आज के युग में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। उस दिन मिस्र चालक यान दुर्घटना में मारे गये थे। वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिये। हमें नागरिक उड्डयन को विकसित करना चाहिये। कहा जाता है कि वायुयान का नव्वे प्रतिशत सामान यहीं तैयार किया जाता है और केवल मुख्य इंजिन ही बाहर से मंगाया जाता है। किन्तु मैं नहीं समझता कि इंजिन वायुयान का केवल दसांश भाग ही है। वायुयान सेना की तरक्की अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस विषय में आर्थिकता और वित्ताभाव के कारण बर्दाश्त नहीं किये जा सकते। वायुसेना के लिये जो ट्रक खरीदे जाते हैं उनका खर्चा पैदल सेना की ओर जोड़ना उचित है। इस तरह कुछ रुपयों की बचत हो सकती है। नागरिक उड्डयन और वायु सेना एक ही विभाग के अन्तर्गत वांछनीय हैं।

प्रादेशिक सेना की व्यवस्था और संगठन इस तरह होना चाहिये कि समय आने पर सरकार को अल्प समय में प्रशिक्षित युवक नागरिकों की सेना उपलब्ध हो सके। यद्यपि हमारा राष्ट्र शान्ति प्रिय है किन्तु आकस्मिक अवसरों के लिये तैयार रहना युद्ध की तैयारी से मिश्रित नहीं किया जा सकता।

सरकार को विश्व विद्यालयों और राष्ट्रीय सैनिक छात्र दलों की अनिवार्य सदस्यता के लिये नियम बनाना चाहिये। इस प्रकार हमारे नवयुवकों की शक्ति और स्फूर्ति का उचित उपयोग हो सकेगा।

भूतपूर्व कर्मचारियों का प्रश्न भी ध्यान देने योग्य है। सरकार को यदि अधिक नहीं तो कम से कम राज्यों को इस प्रकार के अनुदेश दे देना चाहिये कि वे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्थानों पर रिक्त होने की अवस्था में भूतपूर्व सैन्य कर्मचारियों को ही भरती करें।

एक बात और, हमारे यहां कुछ गोलमाल के समाचार भी मिलते रहते हैं। कुछ समय पूर्व जीप के विषय में धांधली सुनी गई थी। सरकार को यह देखना चाहिये कि उसके

लिये कौन उत्तरदायी है । इस सम्बन्ध में अनेक आश्वासन दिये जा चुके हैं किन्तु कुछ कार्यवाही नहीं की गई है ।

सीलैण्ड वायुयानों की खरीदी का प्रश्न भी हमारे सामने है । कहा जाता है ये वायुयान अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं । उन्हें क्यों खरीदा गया ? कुछेक का कहना है कि अन्य वायुयान प्राप्य नहीं थे । यह मनोवृत्ति सर्वत्र व्याप्त है । मेरे मित्रगण गोष्ठी भवन में बैठते हैं और कहते हैं "केक लाओ" होटल का बहरा कहता है "केक नहीं है" सदस्य फिर कहते हैं "तो समोसा ही ले आओ" हमें इस मनोवृत्ति से मुक्त होना चाहिये । जब तक अच्छी कोटि के वायुयान नहीं मिलते हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

अन्त में मैं रक्षा मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सेना और जनता के परस्पर सम्पर्क को अधिक स्थायी और घनिष्ठ बनाना चाहिये । हमें यह विस्मरण नहीं करना चाहिये कि रक्षा सेना हमारी है । हमारे ही बंधु बांधव उसमें काम करते हैं । मेरी इच्छा है कि रक्षा मंत्री नौ सेना, वायु सेना स्थल सेना और जनता में नीकटता लायेंगे ।

एक अन्तिम बात और है, श्रीमान् । रक्षा सम्बन्धी प्रत्येक विषय को लोग 'रहस्य' की छाप देते हैं । यह कहना एक प्रवृत्ति हो गई है "यह जनहित में नहीं है ।" जब तक कोई वस्तु अत्यन्त ही अनुपेक्षणीय है आप उसे गुप्त रखिये । वेम्पायर एयर क्राफ्ट की सूचना देने के लिये मंत्री महोदय ने मना कर दिया था किन्तु 'फ्लाइट' और 'एरोप्लेन' मासिक पत्रों से मुझे इस सम्बन्ध में विशद सूचना प्राप्त हो गई है । मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये । ऐसी स्थिति में यह भान होता है कि गोपनीयता भ्रष्टाचार अथवा अप्रवीणता का आवरण है ।

जब तक हम रक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं कर लेते अन्य समस्त योजनायें निरर्थक हैं ।

**डा० एस० पी० सिन्हा** (सारन पूर्व) : प्रतिरक्षा का विषय अपेक्षाकृत बहुत ही नाजुक तथा गम्भीर है । मनुष्य को उत्तेजना से बच कर तथा अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सदैव ही चौकन्ना रहना पड़ता है । अन्य मंत्रालयों को तो थोड़ा धन का त्याग करना होता है जो कि आसान है, किन्तु रक्षा मंत्रालय में रक्त का त्याग भी महत्व रखता है, जिसका त्याग करना बड़ा कठिन है ।

प्रतिरक्षा से हमारा अभिप्राय स्वतन्त्रता की सुरक्षा तथा किन्हीं सैनिक आक्रमणों से देश के भागों की रक्षा करना है । किन्तु इसका समस्त दायित्व केवल हमारी सेना पर ही नहीं थोपा जा सकता और ऐसा सोच कर हम अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाते । जब कभी हम अपनी रक्षा के विषय में सोचते हैं तो हमारा अभिप्राय सर्वांगीण सुरक्षा से होता है । सर्वांगीण सुरक्षा से मेरा अभिप्राय सम्पूर्ण मानसिक एवं भौतिक साधनों को युद्ध के लिए उपयोग में लाना है । समय के अनुसार इन साधनों में विकास करते रहना है । जब सत्ता हस्तांतरित हुई तो किन्हीं विशेष कारणों से सैनिक संगठन को असैनिक अधिसेवाओं के अधीन कर दिया । पिछले कुछ वर्षों में यह संगठन अधिक दृढ़ तथा कठोर हो गया है । जिसके कारण हमारे सैनिक संगठन का विकास काफ़ी पिछड़ गया है । यदि मैं प्रधान मंत्री को एक सुझाव रखूं कि यह वह समय है जबकि हमारा यह सैनिक संगठन राजनैतिक नेताओं के अधीन होना चाहिये; सैनिक संगठन के विकास में असैनिक पदाधिकारियों द्वारा काफ़ी अड़चनें डाली जाती हैं । यहां तक देखा गया है कि विशेष उत्सवों पर भी सैनिक पदाधिकारियों की अपेक्षा असैनिक पदाधिकारी सलामी लेते हैं जो कि न तो प्रभावशाली ही

[डा० एस० एन० सिन्हा]

होते हैं और न चपल ही। इंग्लैण्ड में युद्ध मंत्री जो हमारे रक्षा मंत्री के समान हैं, के साथ सैनिक सलाहकार रहते हैं और वह सेना का सभी प्रबन्ध वास्तव रूप में इन सलाहकारों के ऊपर छोड़ देते हैं। जबकि हमारे यहां रक्षा मंत्री को असैनिक पदाधिकारी परामर्श देते हैं और सेना का वास्तविक प्रबन्ध इनके हाथों में सौंप देते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण अन्तर है। सेना के विकास के लिये यह परमावश्यक है कि यह परिवर्तन हो। मुझे विश्वास है कि यह परिवर्तन जनता तथा सेना में उत्साह की एक लहर ला देगा और हमारी प्रति रक्षा को दृढ़ बनाने में सहायक होगा।

हमारी प्रतिरक्षा समस्या केवल इतनी ही नहीं है कि भर्ती कर ली, उन्हें प्रशिक्षित कर दिया, तथा सेना तैयार हो गई। समस्या तो यह है कि इस वर्तमान प्रतिरक्षा की सुचार पूर्वक देख भाल की जाय तथा इसका सभी खर्चा बर्दाश्त किया जा सके। हमारे प्रतिरक्षा आयव्ययक का बहुत सा भाग तो इस देख भाल के ऊपर निकल जाता है और पुरानी सामग्री को नयों में परिवर्तित करने के लिये बहुत थोड़ा सा धन बच पाता है। हमारी सेना के पास आवश्यकतानुसार शस्त्रास्त्र होने चाहियें शस्त्रास्त्र पर काफ़ी धन व्यय करना होगा, और चूंकि यह बहुत ही आवश्यक है अतएव मैं वित्त मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वे प्रतिरक्षा के लिये अधिक धन स्वीकृत करें।

यह स्वाभाविक है कि वर्तमान प्रतिरक्षा अधिक खर्चीली है क्योंकि रक्षा का सम्पूर्ण ढांचा बदल गया है। यह सत्य है कि हम अपनी सेनाओं को अमरीका तथा रूस सरीखा जामा नहीं पहिना सकते किन्तु इतना तो कर सकते हैं कि हमारी जितनी शक्ति है उसी के अनुसार हम अपना विकास कर लें। ऐसा कह कर सन्तोष कर लेना कि हम भविष्य के झगड़ों में तटस्थ रहेंगे, अच्छी बात नहीं है। तटस्थता बनाये रखने के लिये भी सभी संभावित त्याग करने होंगे हमें जनता को प्रतिरक्षा चेतन की भावना से प्रेरित करना है। इस विषय में जनता को जितनी अधिक जल्दी प्रेरित किया जा सके उतना ही अच्छा है। कुछ लोगों की धारणा है कि जब तक हिमालय है तब हमें किस बात की चिन्ता यह सोचना तो एक प्रकार से उस मनुष्य की भांति है जो अफीम खाकर सभी चिन्ताओं को भूल जाता है। इस युग की सेना के लिये कुछ भी कठिन नहीं है आज के युग में भौगोलिक साधनों की अपेक्षा प्रौद्योगिक साधन शस्त्रास्त्र, सैनिक चतुराई, तथा जनता का चरित्र अधिक शक्तिशाली है। इसी के आधार पर स्वतन्त्रता की रक्षा हो सकती है। जिन देशों में इनका अभाव है उन्हीं पर वे देश आक्रमण करते हैं जहां इनकी बाहुल्यता है। रक्षा की तैयारियों का दूसरे शब्दों में अभिप्राय उस राष्ट्र की जीवन और मत्यु है। आज से चार वर्ष पूर्व यह कहा जाता था कि एक भारतीय सैनिक के बराबर १० चीनी सैनिक हैं जबकि आज दो भारतीय सैनिक एक चीनी सैनिक के बराबर होते हैं। इस प्रकार हम शस्त्रास्त्र के मामले में पिछड़ गये हैं। यही उत्तम समय है जबकि शस्त्रास्त्र को बढ़ाना चाहिये। हमारे पास जब प्रोद्योगिक साधन चीन की अपेक्षा अधिक हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चीन की अपेक्षा अधिक उन्नति न कर सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध भूमि में बारूद का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तथा इसका रुख दक्षिण की ओर भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी रक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक मनन करें। संसार के

बहुत से देशों ने क्रेमलिन को अपने आय-व्ययक में विशेष महत्व दिया है। हमको भी इसकी महत्ता का ध्यान रखना चाहिए।

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि आज विद्युत के युग में विदेशी प्रभाव तथा विदेशों द्वारा मध्यस्थ होने की भावना भी प्रबल ज़ोर पकड़ती जा रही है। और यह सिद्ध हो चुका है कि यह भावना उस युद्ध की ओर प्रेरित करती है जो महान् घातक होता है।

हमारे देश में साम्यवादियों का प्रभाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उनकी कार्यवाहियों को रोकने के लिये हमें कुछ न कुछ करना होगा। यदि हम उनकी कार्यवाहियों का विश्लेषण करें तो एक प्रकट हो जाता है ये लोग देश में सैनिक मामलों में भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। हमें इनकी कार्यवाहियों की उचित देख भाल करनी होगी।

हमने देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छी उन्नति कर ली है। अन्य विभागों के संगठन के सम्बन्ध में हमने अच्छी प्रगति की है। किन्तु सैनिक संगठन के मामले में हम पीछे हैं। इतना सत्य है कि जिस देश की सीमा किसी दूसरे देश की सीमा से मिलती है तो वह देश अपनी रक्षा के लिये दूसरे देश की शस्त्रास्त्र सम्बन्धी बातों में काफी संतर्कता से काम लेता है। अतएव जब हम अपनी रक्षा सम्बन्धी बातों को सोचना होगा तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे पड़ौसी रूस ने शस्त्रास्त्र के मामले में यथेष्ट उन्नति कर ली है। अतएव उससे तथा दूसरे देशों से प्रतियोगिता बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपनी उन्नति की ओर भी ध्यान रखें। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हें हानि पहुंचाने के विचार से हम अपनी उन्नति करें। और न मेरा यह विचार है कि वे देश हम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। किन्तु फिर भी इतना सत्य है कि जो देश शस्त्रास्त्र तथा बारूद के बारे में कमज़ोर है वह अन्य देशों को अपने ऊपर आक्रमण करने के लिये निमंत्रित करता है।

हमें अपने आपको इस कारण शक्तिशाली बनाना है ताकि हम उनके आक्रमण का उचित उत्तर दे सकें। समय की आवश्यकतानुसार और समय पड़ने पर हम तैयार हों यही हम चाहते हैं। ताकि यदि कोई राष्ट्र हमारे देश में घुसना चाहे तो उसका सर तोड़ने की क्षमता हम में हो।

**श्री एम० पी० मिश्र** (मुंगेर उत्तर-पश्चिम): उपाध्यक्ष जी, भाषण शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि अपनी तरफ़ से और मैं समझता हूं कि इस सदन की तरफ़ से भी, अगर मुट्ठी भर लोग छोड़ दिये जावें, हम अपनी शानदार फ़ौज को, अपनी सेना को, एक सलामी भेजें।

हम उस हिन्दुस्तानी को हिन्दुस्तानी सोच ही नहीं सकते, उस देश भक्त को देश भक्त नहीं समझ सकते जिस को हिन्दुस्तान की सेना के लिये कोई अभिमान, कोई गौरव, कोई नाज़ न हो, हम समझते हैं कि आज इस बारूद में भरे हुए ज़मान में हमारे ३६ करोड़ देशवासी अपनी आज़ादी के लिये निश्चिंत हैं, इसलिये कि वे जानते हैं कि उन के देश में एक शानदार फ़ौज है, जिस की देश भक्ति पर कोई संदेह नहीं कर सकता। इस देश के लाखों गांवों में करोड़ों किसान रात को अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ निश्चिंत सो पाते हैं इसलिये कि जानते हैं कि उनके देश की सेना उनकी हिफाजत कर रही है। इस देश का कारोबार चल रहा है, हमारे शहरों में हमारे कारखाने चल रहे हैं, हमारे रोजगार चल रहे हैं, हमारा देश चल रहा है, इसलिये कि हथेली पर जान रख कर हमारी सेना के सिपाही हमारी सरहदों की

[श्री एम० पी० मिश्र]

हिफ़ाज़त कर रहे हैं, हमारी नौ सेना के लोग हमारे समुद्रों की हिफ़ाज़त कर रहे हैं, हमारे जांबाज़ हवाबाज़ हमारे आस्मान की इतनी बड़ी हमारी फौज है और इस शानदार फौज के लिये हम में से हर हिन्दुस्तानी को अभिमान होना चाहिये । यह बात दूसरी है कि लोग इसकी खामियों को बतायें, यह बात दूसरी है कि उसकी नुक्ताचीनी इसलिये की जाय कि हम उसकी तरक्की करें, उसको बढ़िया बनावें । लेकिन हम नहीं सोच सकते कि कोई भी इस फौज के लिये बेरुखी का ख्याल रक्खे या उसको नुक्सान पहुंचाने की सोचे । हमारी फौज की, हमारी सेना की बहुत सी आलोचना की जाती है । अभी कुछ लोग उठेंगे और कहेंगे कि इस फौज में अभी भी अंगरेज़ भरे हुए हैं, और कहेंग कि यह इंग्लैण्ड और अमरीका की साम्राज्यशाही का पुछल्ला बना हुआ है, मैं जानता हूं कि हमारी फौज के अन्दर अंग्रेज अफ़सर हैं, विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लाल सेना भी जब बनाई गई थी तो उसको किस ने तैयार किया था, उस को किस ने ट्रेन किया था ? उसकी ट्रेनिंग शुरू शुरू में जर्मनी के सिपहसालारों ने की थी । जो लोग चीन से लौट कर आये हैं, वह कहते हैं कि चीन में अभी भी रूसी अफ़सर वहां की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं । चीन के अन्दर रूसी अफ़सर और विशेषज्ञ भरे हुय हैं । मेरी राय में चीन के भीतर रूसियों की वही स्थिति है, वह उसी प्रकार से विदेशी हैं, जैसे हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ । और हमें इस बात को कहने में ज़रा भी संदेह नहीं कि जो लोग कहते हैं कि अब भी अंग्रेज़ों के साम्राज्यवादी इरादे हैं, वह मूर्ख हैं, पागल है, या बेईमान हैं । अंग्रेज़ लोगों ने जब कि इस ज़माने में नये साम्राज्य उठ खड़े हो रहे हैं, नये लोग दुनियां को जीतना चाहते हैं, अपने साम्राज्य को छोड़ कर वह काम किया है जो इतिहास में पहले किसी ने नहीं किया था । बहुत पहिले रोमनों ने किया था । इसीलिये आज अंग्रेज़ों के प्रति हम में इज्जत है ।

एक बात और है जो लोग भूल जाते हैं कि समाज की दृष्टि से जो समाज आज इंग्लैण्ड में है, वह जितना समाजवादी है, वह जितने मानवाधिकार जनता को देता है, उतने शायद आज कहीं नहीं हैं । हम भूल जायें कि अंग्रेज़ हमारे शासक थे अंग्रेज़ों ने हमको आज़ाद करके वह चीज़ भुला दी और आज सब से पहिले उनके साथ ही हमारी दोस्ती होनी चाहिये । और आज हमें खुशी है कि अंग्रेज़ विशेषज्ञ हमारी फौज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं । हम उन अंग्रेज अफसरों के शुक्रगुज़ार हैं कि वे पैसे के लिये हमारे यहां नहीं आये हैं, वह आये हैं हमारी मदद के लिये । और हमें उनकी इस मदद को सिर झुका कर कुबूल करना चाहिये ।

हां, एक चीज़ है जिस के लिये हमें बड़ी तकलीफ है कि हमारी फौज को अपने हथियारों के लिये, अपने सामान के लिये दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है वे हमारे दोस्त ही क्यों न हों, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि फौज का दूसरों पर सामान के लिये निर्भर रहना बड़ा खतरनाक है । अभी कुछ ही दिन हुए मुझे फौज के एक अफ़सर से बात करने का मौका मिला था । उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान, हमारे सिपाही दुनियां में किसी देश के नौजवानों से देशभक्ति में, जांबाजी में, रण कौशल में पीछे नहीं हैं । लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि एक चीज बड़ी खतरनाक है कि जब हमारे अफ़सर और सिपाही यह देखते हैं कि जो हथियार उनके हाथ में हैं वह उनके देश के बने हुए नहीं हैं, जिस हवाई जहाज में जाकर वे हमारे आसमान की रक्षा करते हैं वे उनके देश के नहीं हैं, हिन्दुस्तान खुद उनको नहीं बनाता

है, तो वे वैसे ही मुरझा जाते हैं जैसे कि नाचने वाला मोर अपने पांवों को देखकर। यह बड़ी खतरनाक चीज़ है और हमारी सरकार को जितनी जल्द हो सके इस पर ध्यान देना चाहिये। यह चीज़ हमारे अफ़सरों की हिम्मत पर एक गांठ बनाती जा रही है। और हम जितनी जल्दी इस सम्बन्ध में विदेशियों से आज़ाद हो जायें, आत्म निर्भर हो जायें, अपने पैरों पर खड़े हो जायें, उतना ज्यादा अच्छा है।

इस के साथ इधर से एक दोस्त ने और उधर से कुछ दोस्तों ने कहा कि हमको फौजों पर कुछ ज्यादा खर्च करना चाहिये। हमारे दोस्त सत्यनारायण ने कहा कि दूसरी मिनिस्ट्रियों से भी कुछ पैसा बचाकर फौज पर खर्च किया जाना चाहिये। मैं बड़े अदब से इस बात का विरोध करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि फौज बड़ी होनी चाहिये, और आज जो हम दो सौ करोड़ रुपये उस पर खर्च करते हैं उसके बजाय दो हजार करोड़ खर्च करना चाहिये। लेकिन हमारी इच्छाओं से कुछ नहीं होता है। देश की जो आर्थिक हालत है, आज हमारे देश की जो स्थिति है उसके मुताबिक, हमारे साधनों के अनुसार यह दो सौ करोड़ रुपये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हैं। मैं समझता हूं कि फौज का काम सिर्फ यही नहीं होता कि वह देश की राजनैतिक सुरक्षा की व्यवस्था ही करे, आर्थिक स्थिति को भी देखना और देश में आर्थिक दृढ़ता लाना भी उसका उद्देश्य होना चाहिये। आज ऐटम के युग में फ़ौज नहीं लड़ा करती, जनता लड़ा करती है और फौज के पीछे अगर एक सन्तुष्ट और सुखी जनता न हो तो वह फ़ौज देश की रक्षा नहीं कर सकती, वह फौज अपने देश को बचा नहीं सकती।

इसलिये इस देश की जनता को सुखी रखना है। अभी तीन चार दिन हुए कि हमारे शिक्षा मंत्री जी रोते थे कि उनको एक करोड़ रुपये की ज़रूरत है शिक्षा को बढ़ाने के लिये। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी उनको फौज के खर्च में से एक करोड़ रुपया काटकर नहीं दे सके। हम समझते हैं कि फ़ौज के खर्च को कम किया जाय और कम किया जा सकता है, इसलिए कि देश की आर्थिक स्थिति उसके साथ मेल नहीं खाती।

इस मौक़े पर मैं एक बात की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमको सोचना चाहिये कि हमको किससे लड़ना है, जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा की जवाबदेही है उनको यह सोचना चाहिये कि हमको किससे लड़ना है। हमारे कुछ दोस्त उठ कर यह कह देंगे कि हमको पाकिस्तान से लड़ना है क्योंकि काश्मीर का झगड़ा चल रहा है। लेकिन मैं तो यह कभी सोच भी नहीं सकता कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होगी। काश्मीर का झगड़ा ज़रूर है लेकिन हम समझते हैं कि वह अगर आज नहीं तो कुछ दिन बाद तै हो जायगा और हिन्दुस्तान की पाकिस्तान से लड़ाई नहीं होगी। और अगर होगी भी तो उसके लिए इतनी बड़ी फौज की ज़रूरत नहीं है। हम तो समझते हैं कि वह दिन नहीं आयेगा लेकिन अगर आया भी तो उसके लिये बहुत थोड़ी फौज की ज़रूरत होगी। तो दूसरा खतरा हमें किस से हो सकता है दूसरा खतरा हमें उधर से हो सकता है जिसका इशारा, जिसका जिक्र हमारे दोस्त डाक्टर सत्यनारायण जी ने किया, अर्थात् रूस की तरफ़ से। हमको यह बात साफ साफ कहनी चाहिये। यह बात हमको साफ सोचनी है। यह मैं मानता हूं कि पहली लड़ाई के बाद शेष संसार के मुकाबले जरमनी की जो स्थिति थी वही स्थिति अब इस दूसरे युद्ध के बाद रूस की है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क़ भी है। वह यह कि जरमनी के पास सिर्फ अपनी फौज की ताकत थी, वह अपनी फौज पर ही मुनहसिर

[श्री एम० पी० मिश्र]

था, लेकिन रूस का और जो दूसरे कम्युनिस्ट देश हैं उनका रास्ता ही दूसरा है । उनकी फौज की लाल सेना की एक अग्रवाहिनी होती है जो कि हर एक देश में है । हमारे देश में भी है । वह कम्युनिस्ट पार्टी है । और अपने सिद्धान्त के मुताबिक देश अपनी फौज पर पहले भरोसा नहीं करते बल्कि वह अपनी अग्रवाहिनी पर ज्यादा भरोसा करते हैं । आप चीन में देखिये कि वहां लाल फौज कभी देखने म नहीं आई लेकिन जब मंचूरिया पर उनका कब्जा हुआ तो हथियार वगैरह से सब तरह की मदद रूस से मिली । इसलिए आज हमको उनकी अग्रवाहिनी से लड़ना है । आपको मालूम है कि यूरोप के विशेषज्ञ मानते हैं आज रूसी फौज चाहे तो मास्को से चल कर दो हफ्ते में सारे योरोप पर कब्ज़ा कर सकती है । लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ और तीसरा महायुद्ध नहीं हुआ । इसकी वजह यह है कि उनका रास्ता दूसरा है । तो हमको सोचना है कि हमको इस अग्रवाहिनी से मुकाबला करना है । यह अग्रवाहिनी बहुत खतरनाक है । देश देश में उसका एक झंडा है, एक नेता है । वह समझती है कि दुनियां में उसका राज क़ायम होकर रहेगा । और उनसे लड़ने के लिये हम कहते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजना एक बहुत बड़ी फौज है बजाय हिन्दुस्तानी फौज के । तो मैं अदब से यह कहना चाहता हूं कि जो खर्च इस वक्त फौज पर हो रहा है उसमें से हम कम से कम २५ करोड़ रुपये हर साल निकालें, और उस रुपये को कोसी योजना, भाखड़ा-नांगल योजना और दामोदर घाटी योजना पर लगायें । हिंदुस्तान की तीन सरहदों पर यह जो तीन योजनायें हैं अगर यह पूरी हो जाती हैं तो यह कई डिवीज़नों का काम देंगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को सोचें कि हमारे देश को इतनी बड़ी भूमि सेना की ज़रूरत नहीं है । हमारी आर्थिक स्थिति उसका साथ नहीं दे सकती । मेरा कहना है कि हम अपने घरेलू मोर्चे को ज्यादा मजबूत करें । किसानों को सुखी करें, मजदूरों को सुखी करें और मध्य वर्ग को सुखी करें । मैं निवेदन करूंगा कि यही वह बारूद है जिसको हाथ में लेकर रूसी सेना की अग्रवाहिनी उस देश को बरबाद करने की कोशिश करेगी । इसलिए हमको घरेलू मोर्चे को देखना है । हम २५ करोड़ रुपया हर साल अपनी फौज के बजट में से आसानी से बचा सकते हैं और इसको बचाकर हम और बड़े बड़े काम कर सकते हैं । हमारे मौलाना आजाद को, जो कि आज हुकूमत के दूसरे नम्बर के आदमी हैं शिक्षा के लिये एक करोड़ रुपया नहीं मिल सका । यह क्या बात है ?

एक बात और कहना चाहता हूं । वह यह कि बिहार के हमारे सूबे के एक हिस्से में पूर्वी कमान का सदर दफ्तर चला आ रहा है । अब सुना जाता है कि वह वहां से हटाया जाने वाला है । पिछली लड़ाई में जब जापान से खतरा था तब वह कमान वहां रहा लेकिन आज लड़ाई समाप्त होने के पांच-६ साल बाद उसको रांची से हटा कर लखनऊ लें जाने की बात सुनी जा रही है । जो लोग फौज के लिये ज़िम्मेदार हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि फौज के लिये तो रांची के जंगलों में रहना ही ज्यादा अच्छा है । वहां पहाड़ों के बीच उन्हें बहादुरी की शिक्षा मिलती है । उनको लखनऊ में क्यों ले जा रहे हैं जहां वह नवाबों के किस्से सुनेंगे जो कि अच्छी चीज़ नहीं है । इसके साथ ही एक बात और है । वह यह कि हमारे प्रांत का छोटा नागपुर का हिस्सा और रांची का हिस्सा बड़ा ग़रीब है । इस जगह ६ वर्ष से फौजों के रहने की वजह से हज़ारों लोगों को रोज़ी मिल रही है । इसलिए भी मैं कहता हूं कि फौजों को

लखनऊ ले जाना अच्छा नहीं है। उनका रांची से जाना बहुत खतरनाक चीज़ होगी। और मैं एक बिहारी होने के नाते और आदिवासियों के हित के नाते भी इसका विरोध करूंगा। सुरक्षा-विभाग में उत्तर-प्रदेश के अभी तीन-तीन मंत्री हैं। इससे और भी गलतफ़हमी बढ़ सकती है। मैं उन तीनों से निवेदन करूंगा कि एक ग़रीब प्रदेश के नाते रांची से पूर्वी कमान को न हटाइये। कल को लोग कहेंगे कि दानापुर से भी फौज को हटाया जाय। तो यह चीज़ अच्छी नहीं है। हमको फौज को एक ही जगह केन्द्रित नहीं कर देना चाहिये बल्कि देश के सारे हिस्सों में उसे रखना चाहिये। इसलिये मैं कहूंगा कि रांची से फौज को न हटाया जाय।

आखिर में मुझे आप से एक और बात कहनी है। हमको यह बात मालूम है कि हमारी फौज बहुत अच्छी है और उसमें बहुत अच्छा अनुशासन है। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है कि हमारी फौज के अफसर छोटे छोटे सिपाहियों से अच्छा सलूक नहीं करते हैं। हम यह नहीं कहते कि अनुशासन कायम न किया जाय लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे जनरल राजेन्द्रसिंह जी और एक सिपाही के बीच भाईचारे का संबंध नहीं स्थापित हो सकता। हमारे सिपाही को यह चीज़ बहुत ज्यादा खटकती है कि उसके साथ उसके बड़े अफसर गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं। आज हिंदुस्तान में कोई गुलाम नहीं है। अगर मुझे मालूम हो कि उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है और मैं गलत हूं तो मुझे खुशी होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री त्यागी जी सैकिंड लैफ्टीनेंट रह चुके हैं। यह अच्छा हुआ कि वह तरक्की पाकर बड़े अफसर नहीं हुए नहीं तो वह भी सिपाहियों के प्रति वही भाव रखते जो कि एक सिपाही अफसर होने पर रखता है। तो वह एक सैकिंड लैफ्टीनेंट रह चुके हैं, इस कारण एक सिपाही की तकलीफ को और उसकी मनोवृत्ति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वह ऐसा करें कि फौज के अन्दर अनुशासन रहे, लेकिन छोटे सिपाहियों के साथ भाईचारे का व्यवहार हो ताकि वह भी यह समझें कि हम भी भारत के स्वतन्त्र नागरिक हैं। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा।

[श्री दाटस्कर अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

आखिर म म एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश में राष्ट्रीय अनुशासन की जरूरत है। किसी देश के लोग किस तरह से बैठते हैं किस तरह से चलते हैं किस तरह से बात करते हैं इन बातों से उस देश की सभ्यता मालूम होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि यह चीज़ें हमारे फौज के लोगों में काफी पायी जाती हैं। यह एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा यह सुझाव है कि हमारे फौज के अफसरों को कभी कभी स्कूलों में जाकर, कालिजों में जाकर और गांवों में जाकर लोगों को यह चीज़ें बतलानी चाहिएं। वह वहां जाकर उनसे राजनीति की बात न करें पर यह बात तो कर ही सकते हैं। इन चीज़ों से राष्ट्र बनता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि वह इस काम को करें। जयहिंद।

**श्री गोपाल राव :** यह आयव्ययक दो कारणों से अधिक महत्व का है एक तो इस कारण से कि २१६ करोड़ रुपया प्रतिरक्षा के लिए स्वीकृत किया गया है; दूसरे कि चाहे हम किसी भी पार्टी के सदस्य ही क्यों न हों किन्तु फिर भी हम सभी एक संगठित सेना बनाना चाहते हैं। अतएव जब इस बात का उल्लेख किया जाता है तो इसको हमें व्यापक रूप से सोचना होगा। आज हमें इस प्रश्न को नहीं देखना है कि यह रुपया जो स्वीकृत किया है वह स्थिति के अनुसार वांछित था अथवा

[श्री गोपाल राव]

यह वास्तव में खर्च हुआ है या नहीं किन्तु हमें तो इसे वृद्ध रूप से देखना है।

यह सत्य है कि हम सभी सीमान्त प्रांतों तथा देश की सुरक्षा के विचार से सेना को संगठित करना चाहते हैं। यह सभी जानते हैं कि हमारी सेना की आधारमित्ति विभिन्न आधारों तथा सिद्धान्तों को लेकर हुई थी। मैं प्रधान मंत्री तथा अन्य मन्त्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले ६ वर्षों में हमारी सेना की नीति में परिवर्तन करने के लिये क्या क्या कार्रवाइयां की गई हैं। जिस समय हमारी सेना की स्थापना की गई, उसका विकास हुआ, तथा उसमें परिवर्तन हुए वह ब्रिटिश यग था, उन का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता की यहां स्थापना करना था। इस विचार को लेकर ही सारी सेना को संगठित किया गया था। हमें यह देखना है कि क्या इन पिछले ६ वर्षों में हमारी सेना के संगठन में क्या कोई विशेष परिवर्तन हुए हैं क्या सैनिकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी गई है, क्या उनके साथ भिन्न प्रकार का बर्ताव किया गया है क्या हमारी सेना को विभिन्न आधार पर जागरूक किया गया है, जिसके सिद्धान्त नये तथा उस में नया उत्साह आये ? इसी कारण मैं कहता हूं कि जब हम सभी कहते हैं कि हमारी सेना सुसंगठित हो तो कुछ मूल परिवर्तन, संगठन रूप में तथा अन्य प्रकार के परिवर्तन सरकार द्वारा किये जाने चाहियें यदि सरकार वास्तव में ही इस प्रश्न को गम्भीरता के साथ लेती है तो।

तनिक आयव्ययक पर दृष्टिपात करिये तो आपको ज्ञात होगा कि २१६ करोड़ में से १६३ करोड़ रुपया सेना के लिये, २५ करोड़ वायु सेना, तथा ११ करोड़ नौ सेना के लिये दिया गया है। आप देखेंगे कि वायु सेना, तथा नौ सेना के लिये बहुत कम धन दिया गया है। इसमें १५ करोड़ ६६ लाख रुपया प्रतरक्षा सेवाओं के लिये निश्चित किया गया है। लगभग ६ करोड़ रुपया अवकाशप्राप्त ब्रिटिश अधिकारियों को दिया जाता है। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि उन ब्रिटिश अधिकारियों को जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को फैलाने और बढ़ाने के लिये कार्य किया हो उन्हें भारत से धन क्यों दिया जाता है। इसमें क्या भलाई है कि जिनके शासन में रह कर भारतवर्ष ने इतने कष्ट उठाये हों जो लुटेरे के रूप में यहां रहे हों उन्हें भारत के कोष से धन देने में क्या लाभ। क्या यह न्याय संगत है कि उन लोगों के लिये हमारे आयव्ययक में ऐसे लुटेरों के लिये एक धन राशि नियुक्त की जाय।

हमारी सेना के लिये कुछ अप्रचलित सामग्री इंग्लैण्ड से खरीदने के लिये लगभग २५ करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। लगभग १८ करोड़ रुपया ब्रिटिशों से पुरानी मशीनें लेने में व्यय किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम अब भी कुछ मुख्य मशीनों के मामले में उनके दास हैं। अपनी प्रोद्योगिक शक्ति को बढ़ाने की अपेक्षा ब्रिटिश सत्तावादी प्रतिरक्षा उद्योगों के अधीन रहना पड़ता है। हमें इस पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना है।

सेना में अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों के वेतन में बहुत बड़ा अन्तर है। एक पदाधिकारी को दो हजार से चार हजार तक मिलता है जबकि एक साधारण सिपाही को केवल २५ रुपये वेतन दिया जाता है। ऐसे बहुत से पदाधिकारी हैं जो हजारों रुपया प्रतिमास वेतन पाते हैं।

यह कहना भी बड़ी भूल से भरा है कि सिपाहियों तथा हवाई सैनिकों और अन्य छोटे छोटे सैनिकों को खिलाने पर काफी खर्च

किया जाता है। मैं कह सकता हूं कि बहुत थोड़ा रुपया इस मद में खर्च किया जाता है।

अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि इस आयव्ययक में से कितना प्रतिशत धन देश के प्रतिरक्षा उद्योगों के विकास पर खर्च किया जायगा। हम कह सकते हैं कि वास्तव में बहुत थोड़ा धन इस मद में खर्च किया जायगा। एक देश के प्रतिरक्षा साधनों की शक्ति उस देश के प्रतिरक्षा उद्योगों पर निर्भर करती है।

आज हमें प्रत्येक शस्त्रास्त्र विदेशों से मंगाना पड़ता है। हमें ब्रिटिश विपणन पर निर्भर रहना पड़ता है।

हवाई तथा नौसेना का तो और भी बुरा हाल है, यदि कोई बड़ा जहाज़ तथा हवाई जहाज़ बिगड़ जाता है तो उसे मरम्मत के लिये हमें इंग्लैण्ड भेजना पड़ता है। मुझे पता चला है कि एक दूत को प्रतिमास खरीदारी करने के लिये बाहर भेजना पड़ता है।

नौसेना में भी यही दशा है। कहने को तो देहली, राना, और राजपूर जहाज़ हैं किन्तु ये लोहे मात्र ही रह गये हैं। इस प्रकार अब सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात हो गया होगा कि हमारी हवाई, नौसेना की शक्ति कैसी है। और वहां वर्तमान युग में प्रयोगनीय सामान कितना कितना और किस प्रकार का उपलब्ध है। अतएव मैं कह सकता हूं कि जब तक बड़े बड़े उद्योग नहीं खुलेंगे तब तक अपने यहां स्वतन्त्र राजनैतिक नीति स्थापित नहीं हो सकती।

**श्री गोपाल राव** : इस सम्बन्ध में भारतीय वायु सेना की प्रवधिक सेवाओं के संचालक ग्रूप कैप्टेन रॉबिनसन का स्वीकरण सब से अधिक निष्पक्ष है। उन्होंने अपने लेख-प्रतियोगिता के लिये इस वर्ष के प्रधान सेनापति पुरस्कार विजेता लेख में कहा है कि भारतीय विमान बल की शक्ति बहुत कुछ विदेशों से प्राप्त आवश्यक सामग्रियों पर निर्भर है, और जब तक वह इस प्रकार दूसरे देशों पर निर्भर रहेगी, उसकी एक विमान बल के रूप में 'पर्य्याप्तता' संदिग्ध रहेगी।

गत वर्ष रक्षा मंत्री ने कहा था, "हम वे लोग हैं जो सही नीतियां निर्धारित करते हैं।" लेकिन एक साम्राज्यवादी रक्षा-उद्योगों पर पूर्णतया निर्भर देश किसी प्रकार भी स्वतन्त्र नीतियों का अनुसरण करने वाला देश नहीं कहा जा सकता। यही हमारी कमज़ोरी है जिसके कारण हमें राष्ट्र मंडल रक्षा व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए बाध्य होना पड़ा है और इसी कारण हमें अपने विमान बल नौसेना तथा स्थल सेना के महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज पदाधिकारियों की नियुक्तियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार और जनता दोनों को ही सोचना पड़ेगा। मुख्य रक्षा-उद्योग के अभाव में हमारी जनता की सेना का स्वस्थ विकास सम्भव नहीं है। उसको जनता से निकट सम्बन्ध रखना है और उसकी सेवा करनी है न कि उद्योगपतियों तथा अंग्रेजी हितों की। अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर ऐसे लोग पदासीन हैं जो आवश्यकता पड़ने पर हमको धोखा देने में नहीं चूकेंगे। अतः मेरा कहना है कि प्रतिरक्षा नीति तथा सशस्त्र सेनाओं के सम्पूर्ण ढांचे को नए दृष्टिकोण से पुनसगंठित करना ज़रूरी है।

**श्री वी० जी० देशपांड** (गुना) : मिस्टर चेयरमैन, हिन्दुस्तान जैसे विशाल देश की सुरक्षा का प्रश्न मेरी समझ में अत्यन्त कठिन और महत्व का विषय है। सुरक्षा प्रबन्ध में भारतवर्ष का जो अर्थ संकल्प है उसके बारे में यह जानना कि उसका कितना परिमाण है और परसेंटेज है ठीक है, लेकिन मुख्य ध्यय तो परसेंटेज का नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा

[श्री वो० जी० देशपांडे]

का प्रश्न है। देश को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखना है और भारतवर्ष पर शत्रु का आक्रमण हो पर तो हमें उसका जोर से और बलपूर्वक मुकाबला करना है और खदेड़ना है, न कि यह देखना है कि अर्थ संकल्प पचास परसेंट पड़ता है या चालीस परसेंट पड़ता है। परसेंटेज के बारे में मालूम करने से खतरा तो आपका कम नहीं हो सकता। मेरी समझ में इस विशाल देश में जहां करोड़ों लोग बसते हों और भिन्न भिन्न भाषा बोलते हों और भिन्न भिन्न प्रांतीयता के लोग यहां रहते हों, यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस देश की सुरक्षा के प्रश्न पर और यहां की आवश्यकताओं को देखते हुए भूमि, समुद्री और हवाई सेना का संगठन करें और यह सुरक्षा का प्रश्न कोई आसान प्रश्न नहीं है। सिर्फ आपके यह कह देने से कि हम लोग तो शांतिवादी हैं, हमारा झगड़ा पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान की फौज कोई बड़ी भारी नहीं है; उसके लिय कोई हमें बड़ी भारी तैयारी नहीं करनी है, काम नहीं चलने वाला है या अगर कम्युनिस्टों की तरफ से कोई खतरा आया तो हम यह समझ लें कि हमने प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट तो पास ही कर लिया है, उसके ज़रिये सब मामला खत्म हो जायगा, मेरा कहना है कि इस तरह समझने और कहने से आप देश की सुरक्षा का प्रश्न वास्तव में हल नहीं करते हैं।

आपको देखना पड़ेगा कि दुनियां की वस्तुस्थिति क्या है, आप ने कितने लैक्चर दिये, आपने कितने व्याख्यान दिये, कि देश में जागतिक युद्ध होने वाला है, मगर वस्तुस्थिति को आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। आप यह सोच कर न बैठिये कि आगे चल कर रूस से आपका युद्ध होने वाला है, मैं समझता हूं कि अमरीका, इंग्लैण्ड और आपके दरम्यान भी लड़ाई हो सकती है। पाकिस्तान के बारे में मैंने देखा है कि जब कश्मीर का प्रश्न आया तो इंग्लैण्ड और अमरीका ने पाकिस्तान का साथ दिया है, और वह आगे भी उनको मदद देते रहेंगे। वह आप जैसे पुराणमतवादी रिअक्शनरी, अध्यात्मवादी व्याख्यानबाजी पर विश्वास रखने वाले नहीं हैं। प्रगतिशील आत्महित यह उनके राजनीति का निर्णायक तत्व है। आप जैसी प्रवचनशास्त्र की शक्ति उन में नहीं है। इसी कारण यदि अमरीका और इंग्लैण्ड यह समझेंगे कि पाकिस्तान का हित करना उनके हित में है तो वह पाकिस्तान का साथ भी कर सकते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य यही था। मैं यह नहीं कहता कि इंग्लैण्ड या अमरीका या रूस के साथ लड़ाई की जाय। मैं तो इतना ही कहता हूं कि आप समझ लीजिये कि लड़ाई होने वाली हो या लड़ाई होने वाली न हो तो भी अमरीका और इंग्लैण्ड आदि देशों में जिस तरह बड़े पैमाने पर सुरक्षा के प्रश्न पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, उसी प्रकार से आपको भी सोचना होगा। मेरी शिकायत यह नहीं है कि आप सुरक्षा के लिये दो सौ करोड़ खर्च करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि शायद आप को सुरक्षा के लिये दो सौ करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करना होगा, लेकिन वह खर्च करके भी देश की सुरक्षा होगी यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

इस देश की सुरक्षा के लिये कई प्रश्न हैं जिन को आप को हल करना पड़ेगा। पहले महत्व का विषय है कि आपके सैनिक संतुष्ट हों। दूसरे महत्व का विषय यह है कि दुनियां में आप किस को मित्र बनाते हैं और किस को शत्रु बनाते हैं यहां आने वालों में आपका शत्रु कौन है और मित्र कौन है। और इस देश में रहने वाले लोग आप के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं, जब इन सब प्रश्नों को सोचेंगे तभी सुरक्षा की बात आप कर सकते

हैं । अब तक आपने क्या किया ? आपने अपने हाथ से ५५ करोड़ रुपये दिये, फौजें दीं, टैंक दिये, और आज वही आपके दुश्मन बने बैठे हैं और वह भी दुश्मन ऐसा कि जो एक तरफ आपकी सरहद पर आ गया है, दूसरी तरफ बंगाल की तरफ से बिलकुल मध्य में जिस प्रकार से हृदय में खंजर घोपा जाता है, उस प्रकार से पाकिस्तान आ बैठा है । आपके बीच में ऐसे आदमी हैं जो आपके साथ लड़ाई कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे लड़ाई की है और आपका मुल्क छीना है । मैं बधाई सेना को तो देता हूं, मैं सेना को तो प्रणाम करता हूं, लेकिन सरकार को बधाई देने की मेरे हृदय में इच्छा नहीं होती है । इस देश का एक हिस्सा दुश्मनों के हाथ में चला गया है और हमारी फौजें खड़ी हैं । कश्मीर का एक हिस्सा देश के बाहर चला गया है । इसका बड़ा डिमारैलाइजिंग इफैक्ट होता है हमारे लोगों पर, कि हमारी सरकार हमारे प्रदेशों की रक्षा नहीं कर सकती । अभी एक रिफ्यूजी ने अपनी दशा मुझे सुनाई । उसने कहा कि आसमान मेरे ऊपर गिर जाय मैं उसकी चिन्ता नहीं करता हूं, कौन सी मुसीबत मैं सहने के लिये तैयार नहीं हूं लेकिन भगवान् मुझे ऐसी सरकार न दे जो कमजोर हो और नामर्द हो । इस देश के लोगों में ऐसी भावना बढ़ रही है कि हमारी सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती है कश्मीर का एक हिस्सा दुश्मनों के हाथ मे चला गया है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मेरी सब से बड़ी शिकायत इसके लिये नहीं है कि आपने अपना मुल्क खोया और उसे गुलाम बनने दिया, गुलाम बनना या मुल्क खोना इतना बड़ा दोष नहीं है । जर्मनी के प्रदेश दूसरों के कब्जे में हैं इंग्लैण्ड भी गुलाम हुआ था । लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है, सेना का संगठन आपने क्या किया है ? यह रिपोर्ट की किताबें आपने हमें दी हैं पिछले साल का भी ब्रीफ स्टेटमेंट मैंने पढ़ा । यह कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में हमारी सेना का सेनापति एक व्यक्ति होता था और आपका विमान दल था, नाविक दल था और भूमि सेना थी, सब का समन्वय वह कमान्डर-इन-चीफ करता था । अब वह प्रथा बन्द हो गई और कमान्डर-इन-चीफ के बजाय डिफेंस मिनिस्टर ने सबका समन्वय कर दिया है । यह डिफेंस मिनिस्टर कैसे समन्वय करेगा, पहले तो इसका पता नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर सैकिंड लेफ्टेनेंट है या लैफ्टेनेंट जनरल हैं इसका कुछ पता नहीं । बात यह है कि उनका समन्वय करने के लिये आपने डिफेंस मिनिस्टर को रक्खा । पहले तो एक कमान्डर-इन-चीफ होता था लेकिन चूंकि अब विमान दल का और नाविक दल का प्रमुख योरोपियन है इसलिये वह हिन्दुस्तानी सेनापति का अधिपत्य मानने को तैयार नहीं । इसलिये मिनिस्टर को रक्खा । इसके बाद आपने मिनिस्टरों की भी एक बटालियन बना दी है, उनका समन्वय कौन करेगा इसका मुझे पता नहीं है ।

आगे चल कर आप देखिये कि इतना बड़ा देश है लेकिन उसके अन्दर पुर्तगाल और फ्रान्स की छोटी छोटी पाकेट्स हैं। पाकिस्तान की तरफ से और गोवा से हैदराबाद में एम्यूनिशन भेजा गया था । यह पाकेट्स खतरा पैदा कर सकते हैं । आप कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आपको खतरे हो सकते हैं, लेकिन तब भी इस देश के अन्दर डिफेंस के लिये कोई अच्छी योजना रख कर तैयारी करने के लिये सरकार तैयार नहीं है । मैं कहता हूं कि जरा सोचिये तो सही मैंने आपकी फाइव इअर प्लान ए टू जैड पढ़ी, उस में भारत सेवक समाज है, बर्थ कंट्रोल है, फैमिली प्लेनिंग है, लेकिन इस देश के डिफेंस की प्लेनिंग आप की पंच वर्षीय योजना में नहीं है। दो हजार करोड़ रुपये आप इसके लिए

[श्री वी० जी० देशपांडे]

खर्च करने वाले हैं, लेकिन पांच वर्षों के अन्दर डिफेंस के लिये क्या होगा उसके लिये आप ने कुछ सोचा नहीं। इस देश में कोई वार इंडस्ट्री नहीं है। वार इंडस्ट्री के लिये प्लांट बाहर से आने में देर हो जाती है पैसा देने में देर हो जाती है, खास कर इस प्रकार की इनएफिशिएन्ट सरकार हो तब तो बहुत ही देर हो जाती है। यहां के लोग इसको जानते हैं। यहां के नाविक दल और विमान दल की हालत हम देखते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने १६३ करोड़ भूमि सेना के लिये रक्खा है ११ करोड़ और पच्चीस करोड़ एअर और नैवी के लिये है। लेकिन इतना खर्च करके भी इस प्रकार से पुरानी चीज़ें ला करके देश की रक्षा हो सकेगी यह मैं समझने को तैयार नहीं हूं। इस तरीके से आप ने इस देश के अन्दर काम किया है। इतना ही नहीं आपके डिफेंस के लिये खतरा ही खतरा है हम जिधर देखते हैं खतरा ही नज़र आता है। डा० अम्बेडकर ने 'थाट्स आन पाकिस्तान' में लिखा है कि :

"आप देश की सुरक्षा के लिये सुरक्षित सरहद्द और सरकार चाहते हैं या सुरक्षित सेना चाहते हैं ?"

उत्तर मिला हम सुरक्षित सरहद्द और सुरक्षित सेना चाहते हैं। आप जान लीजिये कि इतना सामान पाकिस्तान के हाथ में भी है। और अपने देश की सुरक्षा के लिये यह भी आपको सोचना चाहिये कि देश के अन्दर निष्ठावान लोग कितने हैं। आप को यह सोचना चाहिये कि आपके सरहद्दों पर पापुलेशन कैसी होनी चाहिये। किस तरह से उसका संगठन होना चाहिये। आप कहते हैं कि आप की स्टेट सेकुलर है इसलिये मैं तो इतना ही बतलाना चाहता हूं कि जैसे कि मराठी की कहावत में है कि सच को ज्यादा नहीं बतलाना पड़ता है। मुझे बहुत ज्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, हम देखते हैं कि बंगाल की सरहद्दों पर लोग दूसरी तरफ से आते और जाते हैं। पचास मील का सेफ्टी जोन है। उसकी सेफ्टी के लिये आपने ठीक ढंग से प्रबन्ध नहीं किया है। मैं समझता हूं कि सब समाजों और सब जातियों को समानाधिकार देकर आप रखना चाहते हैं, लेकिन सेफ्टी इज़ दी फर्स्ट कंसीडरेशन। सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ करना चाहिये। मने देखा कि यहां लोगों ने खड़े होकर निष्ठा की शपथ ली और उसके बाद पाकिस्तान चले गये। इस चीज़ को देख कर आपको सेना का संगठन करना चाहिये।

आप देख रहे हैं कि आपकी सेफ आर्मी और सेफ फ्रंटीयर नहीं है। आगे चल कर इस देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में मैंने देखा है कि कश्मीर के सम्बन्ध में यहां प्रश्न पूछे गए और कश्मीर मिलीशिया जो है, जो कश्मीर की नेशनल मिलीशिया कही जाती है, उस के बारे में डिफेंस मिनिस्टर की जगह पर श्री कृष्णमाचारी जी थे, उन्होंने कहा कि फारेन ऐग्रेशन को नेशनल मिलीशिया डील नहीं करती है, फारेन एग्रेशन के समय नेशनल मिलीशिया से काम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह स्टेट की पुलिस फोर्स है और फारेन ऐग्रेशन के समय मुकाबला करती है, लेकिन इस से हमारा काम चलेगा यह मैं नहीं समझता हूं।

मैं चाहता हूं कि इस देश में एक संतोष की भावना हो, लेकिन मिलिटरी तक में भी मैं देखता हूं कि संतोष की भावना नहीं है। मैं अपने मित्र श्री गोपाल राव से सहमत हूं कि यहां के सोल्जर संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन मैं इस में उन से सहमत नहीं हूं कि आफिसरों को बहुत तनख्वाह मिल रही है। मैं देखता हूं कि मिलिटरी में ऊपर से लेकर नीचे तक असंतोष है। ड्रेस का ऐलाउंस है। पहले जिनको ड्रेस ऐलाउंस मिलता था उन को पांच रुपया देकर ड्रेस का देना खत्म किया जा रहा है,

लेकिन कपड़े का भाव कम करने की ओर ध्यान नहीं ह। अफसरों की तनख्वाह ज्यादा नहीं है। मैंने सुना है कि मिलिटरी में ऐसे बहुत कम मेजर हैं जिनकी सर्विस पच्चीस साल से ज्यादा नहीं है। आपको मिलिटरी में सबको संतुष्ट रखना चाहिये। मैं यह नहीं मानता हूं कि सोल्जर को मेजर या कैप्टिन के खिलाफ बगावत करने को कहा जाय। नैपोलियन कहता था कि हमारी फौज पेट पर चलती है पांवों पर नहीं चलती। तो आपको देखना चाहिये कि आप हमारे देश में सुरक्षा के लिये किस तरह से काम कर रहे हैं। आप ऐक्स सोल्जर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जो हमारी सरहद पर रहने वाले, जैसे जम्मू, या कश्मीर या राजस्थान में रहने वाले जो हमारे सैनिक जाति के लोग हैं, ऐक्स सोल्जर हैं, उनके रिहैबिलीटेशन के लिये आपने कुछ नहीं किया है। आपको डिफेंस के इस प्रश्न को जिस प्रकार से देखना चाहिए उस प्रकार आप नहीं देख रहे हैं। हम इस देश की सुरक्षा के लिये जिस देश पर निर्भर हैं, वह इंग्लैण्ड है। यहां कहा गया है कि यह तो समझौता है। हम इंग्लैण्ड के कामनवैल्थ में हैं। इसकी बात मैं इस समय नहीं कहना चाहता। इस कामनवैल्थ की हैड इंग्लैंड की रानी क्यों है? लेकिन इस झगड़े में न पड़ते हुए मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा के लिये आप अकेले इंग्लैंड पर क्यों निर्भर हैं। हमारा युद्ध का सामान उनके यहां से आता है अफ़सर वहां से आते हैं। मैं समझता हूं कि इससे एक समय हम को धोखा हो सकता है। आप अकेले अंग्रेजों के पास क्यों जाते हैं? जरमनी के पास जाइये, इटली के पास जाइये, तीन चार देशों के पास आप अपनी आवश्यकताओं के लिये जाइये, अगर आप स्वयं उनको पूरा नहीं कर सकते। अगर अकेले इंग्लैंड पर आप भरोसा करगे तो धोखा हो सकता है। खास कर हाल में अंग्रेजों का जो पाकिस्तान के साथ रुख रहा है उसको देखते हुए आपको इस तरफ़ खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। यह कहने के पश्चात् मैं फिर से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो कि शायद आजकल डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, और उनके सैकिंड लैफ्टीनेंट मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस देश की सुरक्षा के प्रश्न को सबसे ऊपर रखना चाहिये। इस प्रश्न में हर एक दल का सहकार्य होना चाहिये और मैं तो कहूंगा कि इस देश में अगर कोई दूसरा कार्यक्षम राजनीतिज्ञ मिनिस्टर का काम करने के लिये न मिले, तो हमको किसी सरविस के आदमी को, जैसे जनरल करिअप्पा हैं, या जैसे कि मैंने पहले कहा था श्री जगन्नाथ भौंसले को रखा जाय। लेकिन शायद हिंदू महासभा वालों की ओर से उनका नाम लेने की वजह से वह खराब हो जाय। इसलिये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप मिलिटरी के विशेषज्ञों को बुलायें और सबको साथ लेकर बैठें और उनके सामने इस सुरक्षा के प्रश्न को रखें और फिर सुरक्षा का बजट बनायें।

**श्री जोशिम अल्वा** (कनारा) : श्री देशपांडे का सैनिकों की असंतोषजनक दशा का वर्णन स्वस्थ विचारों का द्योतक नहीं था। वह एक प्रकार से हमारी अनुशासित तथा सुगठित सेना के ऊपर बम फेंकने के समान था। हमारी सेना में भली प्रकार प्रशिक्षित, संतुष्ट और देशभक्त लोग हैं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में हमारे व्यय का लगभग ७५ प्रतिशत भाग खर्च होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई संसद्-सदस्य अपने विशेषाधिकारों की शरण में इस बात को लेकर सेना में फूट डालने का प्रयत्न कर सकता है।

[श्री जोशिम अल्वा]

श्री गोपाल राव की सुरक्षा सेनाओं के उच्च पदाधिकारियों के वेतनों की आलोचना न्यायसंगत नहीं कही जा सकती । सैनिक सेवाओं के समान असैनिक सेवाओं में भी उच्च पदाधिकारियों को उसी प्रकार ऊंचे वेतन मिलते हैं। अतः यदि कटौती करनी है तो दोनों सेवाओं में समान रूप से और एक साथ यह कार्य होना चाहिये।

मैं अन्य लोगों के साथ श्री महावीर त्यागी को उनके रक्षा-संगठन मंत्री होने पर बधाई देता हूं। साथ ही मैं प्रधान मंत्री को भी, किसी सैनिक को मन्त्रीमंडल में पद देने के विचार का विरोध करने के लिये, बधाई देता हूं, हम किसी भी सैनिक को मंत्री पद पर नहीं रखेंगे ।

**एक माननीय सदस्य** : क्यों नहीं ?

**श्री जोशिम अल्वा** : कारण स्पष्ट है । क्योंकि तब हमारे सैनिक मामलों में एक सैनिक के विचारों की प्रधानता रहेगी। यही नहीं तब वे हमारे देश के मामलों को अपने विचारों के अनुसार चलाने लगेंगे जैसा कि अमरीका में हो रहा है जहां सेना के उच्च पदाधिकारी देश की राजनैतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी नीतियों के मामलों में मनमानी करवाते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हमारी तटस्थ रहने की तथा पड़ौसियों के साथ स्नेह सम्बन्ध बनाए रखने की महान् विदेश नीति समाप्त हो जाएगी।

हम न तो आंग्ल-अमरीकी गुट और न रूसी गुट की नीति अपनायेंगे । अमरीका और जर्मनी परिस्थिति के अनुसार अवसरवादी नीति अपनाते रहे हैं। हमें उनकी नीति नहीं अपनानी है। अपने देश में हम अपनी ही नीति बनायेंगे। हमारी नीति के अनुसार हमारी विधि तथा व्यवस्था सर्वोच्च है। अशांति की दशा में लोकतन्त्रात्मक शक्तियों का ह्रास हो जाता है और सैनिक शासन की स्थापना की सम्भावना बढ़ जाती है। इन बातों का ध्यान रख कर हमें अपनी नीति का विकास करना होगा।

मैं अपने नए रक्षा-संगठन मंत्री से कहूंगा कि वे कार्य संचालन इस प्रकार करें ताकि वे स्थल सेना, नौ सेना तथा विमान बल की शक्तियों में एक संतुलन स्थापित कर सकें।

आजकल हमारे व्यय का १२।। प्रतिशत भाग वायु सेना को, ५।। प्रतिशत भाग नौसेना को तथा ७५ प्रतिशत से अधिक भाग स्थल सेना को मिलता है। इन विभिन्न प्रतिशतताओं को उचित रूप में घटा बढ़ा कर विवेकशील आधार पर रखना होगा । इसी में हमारे देश की भलाई है । हमको नौसेना तथा विमान बल के विकास आदि के ऊपर भी उचित ध्यान देना चाहिए ताकि सेना का कोई भी अंग कमज़ोर न रह जाय। हमारे देश में एक खटकने वाली कमी यह है कि यदि हम कोई बात जानना चाहते हैं तो साधारणतया हमें उत्तर मिलता है कि वह उपलब्ध नहीं है। यहां पर चीजों को अनावश्यक गोपनीयता का आवरण पहनाया जाता है, जैसा कि विदेशों में नहीं होता। यह उचित नहीं है । बड़े शहरों में इसके फलस्वरूप संकट काल में लोग अनावश्यक रूप से उत्तेजित होकर घबड़ा सकते हैं।

हमारे देश में एक दूसरी बड़ी कमी यह है कि यहां अनेक विदेशी लोग आकर बहुत सुगमता से हमारे रक्षा प्रबन्धों के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले जाते हैं और हमारे लिये कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं । मेरा यह सुझाव है कि एक या दो साल में स्थल सेना, नौ सेना, तथा विमान बल के उच्च पदों से विदेशियों को हटा देना चाहिए नहीं तो

हमारे देश की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है।

जहां तक हमारी नौसेना का सम्बन्ध है, वह तृतीय श्रेणी की है। उसमें काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे पास सामग्री भी उत्तम है। किन्तु हमें नवीनतम तथा सबसे अच्छे प्रकार के हथियारों की बड़ी आवश्यकता है। चार सौ वर्ष पूर्व हमारे जहाज़ योरप तक जाते थे, किन्तु अंग्रेजों ने वह सारी चीज़ समाप्त कर दी और भारतीय जहाज़ों का विदेशों में जाना बन्द कर दिया था। मैं तो रक्षा संगठन के माननीय मंत्री से यही कहूंगा कि उन्हें छोटे जहाज़ों पर अधिक ज़ोर देना चाहिए ताकि उन्हें शीघ्रतापूर्वक खतरे के स्थानों पर सशस्त्र करके ले जाया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तभी नौसेना की सार्थकता है। एक बात और हमें अंग्रेजी नौसेना के टूटे फूटे रद्दी जहाजों को कदापि नहीं खरीदना चाहिए। छोटे जहाजों के द्वारा हम अपने आदमियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, उन्हें पनडुब्बी विरोधी युद्ध कला का ज्ञान कराया जा सकता है और साथ ही अच्छी नौसेना तैयार हो सकती है। रूस में पनडुब्बी बनाने वाले सर्वोत्तम कारीगर हैं। रूस के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने के नाते हमें एक अच्छी पनडुब्बी सेना को बनाने में तथा अपने युवकों को पनडुब्बी विरोधी युद्ध कला में शिक्षा देने के कार्य में उनके विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए। वर्ष १९५४ संकट का वर्ष बताया जाता है अतः उससे पहले ही हमें तैयार हो जाना चाहिए।

हमें अपने औद्योगिक केन्द्रों को भूमि के नीचे के स्थानों पर ले जाना चाहिए। उन्हें एक ही स्थान पर केन्द्रित नहीं करना चाहिए। सारे देश में उनको छितरा देना चाहिए। हमें विमान निर्माणशालाएं बनानी चाहिएं जिनमें विमान के इंजिन तथा अन्य सभी पुर्जे आदि बनाए जा सकें। किसी गुट विशेष में सम्मिलित रहने के विचार को छोड़ कर हमें जहां से भी उपयोगी सहायता प्राप्त हो सके, लेनी चाहिए चाहे वह कोई भी देश क्यों न हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा भविष्य अंधकारमय रहेगा।

अब मैं राडर के विषय पर आता हूं। राडर रक्षा व्यवस्था का एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण अंग है। इसकी सहायता से विमानों के आगमन की सूचना बहुत दूर ही से और बहुत शीघ्र मिल जाती है। ब्रिटेन और अमरीका के समान भारत में अभी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमें अपने राडर केन्द्र इस प्रकार बनाने हैं ताकि समय रहते हमें अज्ञात विमानों के आगमन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सके। जर्मन लोगों के समान हमको भी इस सम्बन्ध में अपने अनुसंधान केन्द्रों को छोटी छोटी इमारतों में घने जंगलों में बनाना चाहिए, जहां उनको कोई हानि नहीं पहुंच सकती। इसके अतिरिक्त हमारी मशीनें आदि भी छोटी ही हों तो अच्छा है। इस प्रकार हमारी स्थिति मज़बूत हो सकती है। विमान सम्बन्धी अनुसंधान का विकास आवश्यक है।

हमारे पास टैंक-पोतों का होना भी अत्यन्त आवश्यक है——चाहे हम उनको खरीदें अथवा अपने ही देश में बनाएं। हमको अन्य देशों से तेल लाना होता है अतः टैंक पोतों का अभाव बहुत खतरनाक है। इनका होना इसलिये आवश्यक है ताकि संकट के समय कोई बाहर का देश स्थिति का लाभ उठा कर हमको तेल न पहुंचाने की धमकी देकर अधिक रुपये न वसूल कर ले।

अब मैं राष्ट्रीय सेना-क्षात्र दल पर आता हूं। यह एक बहुत विशाल संगठन है जिसमें पच्चीस हजार बड़े लड़के और पचास हज़ार छोटे लड़के हैं। भविष्य में ये ही हमारी सुरक्षा

[श्री जोशिम अल्वा]

सेनाओं के चुने हुए लोग होंगे । इस संगठन के हेतु हमें किसी न किसी प्रकार पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी होगी । इसमें जल सेना तथा विमान बल के डिवीज़न हैं । वे अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर उनके पास आवश्यक शस्त्र आदि का अभाव है, जिसको दूर करने के लिये संसद् को पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए ।

ग्लाइडर के सम्बन्ध में एक शब्द कह कर मैं बैठ जाऊंगा ।

**सभापति महोदय :** वह पहले ही बहुत समय ले चुके हैं । मैं उन्हें दो मिनट और देता हूं ।

**श्री जोशिम अल्वा :** प्रतीत होता है कि यहां पर कोई भी ग्लाइडर के महत्व को नहीं समझता है ।

**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं, नहीं ।

**श्री जोशिम अल्वा :** भारत में ग्लाइडर्स के क्लब बहुत कम हैं । ग्लाइडर्स हमारे विमान बल के रक्षित अंग हैं । हमें उनका विकास करना चाहिए । यह कार्य अधिक ग्लाइडिंग तथा उड़ुयन क्लबों की स्थापना के द्वारा किया जा सकता है ।

**श्री लक्ष्मण सिंह चरक** (जम्मू तथा काश्मीर) : स्वतन्त्रता प्राप्त होने से अब तक छः वर्ष के समय में देश में लोगों के दृष्टिकोणों में महान परिवर्तन हुआ है । यह परिवर्तन जहां तक सशस्त्र सेना का सम्बन्ध है, बड़ा प्रसिद्ध तथा अद्वितीय है । विदेशी काल में सुरक्षा पर ५० प्रतिशत व्यय किया जाता था, आज हमें देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन किया गया है ।

आज हमारी सेना राष्ट्रीय सेना है तथा युद्ध प्रिय एवं शान्ति प्रिय जातियों का अन्तर बहुत कुछ कम हो गया । आज प्रत्येक भारतीय नागरिक जो देश की सुरक्षा तथा उन्नति में हाथ बटाना चाहता है, सैनिक रूप में सेवा करने का पूर्ण अधिकार रखता है, चाहे वह किसी भी जाति अथवा प्रदेश का हो । सभी सेना पदाधिकारियों को चाहिये कि प्रत्येक इच्छुक भारतीय युवक को यदि उसमें आवश्यक योग्यता है, अवसर प्रदान करें । अब हम व्यय पक्ष को लेते हैं तो कम्यूनिस्ट तथा कुछ अन्य मित्रों को छोड़ कर शेष सभी यह अनुभव करते हैं कि हम सेना पर इससे कुछ अधिक व्यय कर सकते हैं । इसकी आलोचना के लिये बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि सेना की विभिन्न शाखाओं को पूरी सहायता मिलती है या नहीं । यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि जल तथा वायु सेनाओं की यदि कुछ वृद्धि कर दी जाय तो देश के लिये अधिक हितकारी सिद्ध होगा । मैं भी एक सैनिक ही हूं किन्तु जातीयता एवं कम्यूनिज्म से बहुत दूर ।

मुझे खेद है कि भारत सरकार ने पूर्ण योग्य प्रशिक्षित एवं अनुभवी अल्प सेवा नियमित अज्ञाप्त अधिकारियों तथा विपद अज्ञाप्त अधिकारियों के साथ जैसा व्यवहार उनके साथ होना चाहिये, नहीं किया है । इसके अतिरिक्त उनके स्थायी होने आदि की भी कोई सम्भावना नहीं जान पड़ती । और न साधारणतः विशेषाधिकार जो नियमित सेना के स्थायी रूपों में दिये जाते हैं । पाकिस्तान में इस श्रेणी के पदाधिकारी हैं उनमें से जिनको कार्य करते दस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उन्हें पेन्शन दी जाती है, यदि दस वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, तो उनको अन्य उपदान मिलेंगे । जिनको पन्द्रह वर्ष पूरे हो गये हैं, उनको नियमित अधिकारियों की भांति पेंशन आदि मिलेगी तथा जिन अधिकारियों को दस से चौदह वर्ष कार्य करते हो गए हैं वे चाहें तो पेन्शन ले सकते हैं अथवा उपदान किन्तु भारत में इसके बिल्कुल विपरीत होता

है। जिन अधिकारियों ने इतनी तत्परता तथा लगन से देशभक्ति का परिचय दिया है उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना उचित नहीं। यदि ऐसा ही रहा तो भविष्य में कभी आपद काल में उनकी निःशुल्क सेवाओं से लाभ नहीं उठाया जा सकेगा।

यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि एस० एस० आर० सी० तथा ई० सी० ओ० के कुछ पुराने अनुभवी पदाधिकारियों को हटा कर उनके स्थान पर नई भर्ती की जा रही है। इसका तुक तथा अर्थ कुछ समझ में नहीं आता।

एक दूसरा अत्यन्त निम्न कोटि का अन्याय जो किया जा रहा है वह है भूतपूर्व भारतीय राज्य सेनाओं का समाप्त कर देना और प्रमुखतः राजस्थान में। जम्मू और काश्मीर तथा राजस्थान में हजारों युवक राज्यों के एकीकरण से बेकार हो गए हैं। इनको सेनाओं में कहीं भी खपाया जाना चाहिये था अन्यथा समाज में उपद्रव बढ़ जाने की सम्भावना हो सकती है।

मैं भारतीय तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति तथा कुछ अन्य अधिकारियों से यह कहना चाहूंगा कि उन्हें समय के अनुसार चलना चाहिये। कुछ अधिकारियों की अंगरेजी शासन काल की विलासपूर्ण आदतें जैसे बाल रूम डान्स आदि की पड़ी हुई हैं, उन्हें अब छोड़ देना चाहिये। चाहे वर्तमान सरकार किसी प्रकार उनकी इन आदतों को सहन भी कर ले किन्तु आगामी राष्ट्रीय भारत सरकार इसे किसी प्रकार भी सहन न करेगी। १९३९ तक भारतीय सेना में केवल ११ भारतीय मेजर होते थे। इसके पश्चात् केन्द्रीय विधान मंडल में बताया गया कि कोई भी सेनाधिकारी जिसका सेवा-काल १७ वर्ष से कम होगा 'मेजर' नहीं बनाया जायगा। क्या मैं सुरक्षा मंत्रालय या सेनाधिकारियों से पूछ सकता हूं कि क्या वे यह शर्त पूरी करते हैं जो पदोन्नति की कामना कर रहे हैं? उन्हें चाहिये कि वे उन भारतीय वीरों के प्रति सहिष्णुता प्रकट करें जिनके परिश्रम से उन्हें यह दिन देखने को मिला।

**सरदार मजीठिया**: मैं बताना चाहूंगा कि एच० टी०—२ विमान प्रशिक्षण में काम आने वाला विमान है जिसका नमूना श्री गटके द्वारा बनाया गया है, जो एक भारतीय है। मैं ऐसे विमान बनाने के लिये उनकी प्रशंसा करता हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि श्री जयपाल सिंह ने कहा था कि सीलैण्ड्स व्यर्थ हैं क्योंकि संसार की किसी भी सामुद्रिक सेना ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है, और उनको कैप्टन रेनाल्ड द्वारा सुरक्षा मंत्रालय के परामर्श बिना स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने यह कह कर समाप्त कर दिया कि मन्त्रालय झूठे तथा मूर्खतापूर्ण उत्तर देने में बड़ा पटु है।

**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): बिल्कुल ठीक है।

**सरदार मजीठिया**: मेरे मित्र का कहना है कि यह बिल्कुल सत्य है किन्तु मैं ज्यों ही इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा उनके विचार बदल जायेंगे। मेरा तात्पर्य यह नहीं था जो उन्होंने समझा। क्या उनका तात्पर्य यह था कि सीलैण्ड्स विमान अच्छे नहीं हैं क्योंकि एक कमाण्डर उसका अपने लिये उपयोग करता है, और यदि वह अच्छा विमान न होता तो वह कभी भी उसका उपयोग न करता।

दूसरे उन्होंने कैप्टेन रेनाल्ड के सम्बन्ध में कहा है। १९४८ में हम लोग अपने उच्चायुक्त से मिले और एक योग्य विमान की आवश्यकता के लिये कहा। अत्यन्त वाद-विवाद के पश्चात् यह कहा गया कि राजकीय नौसेना की आवश्यकताएं ऐसी हैं कि वह

[सरदार मजीठिया]

हमको अपना एक भी विमान नहीं दे सकते हैं। यदि जैसी मेरे मित्र ने राय दी वही करते तो किसी भी योग्य विमान के लिये संविदा न करते। हम लोग अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति तब तक न करते जब तक कि हम उस योग्य न बन जाते कि उनका व्यय सहन कर पाते। अतः हमने अपनी आवश्यकताएं रोक दीं। हम उन विमानों को अनेक प्रकार के कार्यों के लिये चाहते थे। हम लोग जितने प्रकार के कार्यों के लिये विमान चाहते थे उनमें केवल एक सीलैण्ड्स विमान ही उपलब्ध था जो हमारी दृष्टि से उपयोगी समझा जा सकता था। ये विमान निस्संदेह धीमे अवश्य हैं किन्तु बने बहुत अच्छे हैं। इसमें बचत भी काफी है। ये विमान अनेक प्रकार से उपयोगी हैं क्योंकि समुद्र पर भी उतर सकते हैं तथा उड़न स्थल पर भी। भारत के लिये ये बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

**श्री जयपाल सिंह** : मैं उस नौ सेना का नाम जानना चाहूंगा जिसने यह विमान स्वीकार किया है। मेरा तृतीय प्रश्न यह है कि "भारतीय वायु सेना का परामर्श क्यों नहीं लिया गया था ?"

**सरदार मजीठिया** : मैं मानता हूं कि किसी भी नौसेना के पास अपने उपयोग के लिये ये विमान नहीं हैं और मैंने कभी कहा भी नहीं कि ये किसी नौ सेना द्वारा उपयोग में लाये जा रहे हैं।

**श्री जयपाल सिंह** : मैं समझता हूं कि आपके किसी सहयोगी ने किसी उत्तर में कहा था।

**सरदार मजीठिया** : हम सभी विशेषज्ञ नहीं हैं।

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैंने कहा था कि मुझे पूर्व सूचना चाहिये थी और जहां तक मुझे ज्ञात है कि उनका उपयोग कुछ समय पहले होता था। मैंने कभी नहीं कहा कि बहुत आधुनिक हैं।

**श्री अलगू राय शास्त्री** (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम) : क्या यह आवश्यक है कि सभी तथ्य यहां दिये ही जायं ?

**सरदार मजीठिया** : मैं वास्तव में श्री गटके की कुशलता की सराहना करता हूं। हमारे सम्मुख केवल एक ही पक्षपात है और वह है कार्यकुशलता। मुझे कहना यह है कि जो आंकड़े मेरे विरोधी दल के मित्रों ने दिए हैं और कहा है कि मद्रास तथा ट्रावनकोर-कोचीन के लोगों का पक्ष लिया जा रहा है, उत्तरी भारत का नहीं। उनका यह कहना सही नहीं है।

जहां तक चुनाव का प्रश्न है मेरा कहना यह है कि वह पूर्णतया योग्यता के आधार पर किया जाता है, जो होना भी चाहिये। एक चुनाव मंडल में लगभग आठ पदाधिकारी होते हैं। इन में से प्रत्येक अधिकारी एक-एक की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेता है, और अलग-अलग अपनी सम्मति देता है। सभी परीक्षाओं के समाप्त हो जाने पर वे अधिकारी फिर एक साथ बैठते हैं और फिर सामूहिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता पर विचार करते हैं। अर्थात् आठ अधिकारी जिनमें सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के होते हैं, मिल कर यह तय करते हैं कि यह व्यक्ति उपयुक्त है अथवा नहीं। उत्तर-दक्षिण अथवा सिफारिश की इस प्रकार कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती है।

हमारे सिपाहियों को वर्तमान काल में ५० रु० तथा ६० रु० मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य निःशुल्क सुविधायें भी दी जाती हैं। यदि सब धन के रूप में जोड़ी जायं तो उनका वेतन लगभग १३५ रु० या १४५ रु० मासिक आयेगा।

रूस में एक सिपाही का वेतन प्रारम्भ में ३० रुबल है और एक मेजर जनरल का वेतन ३६०० रूबल प्रति माह है।

**श्री जेठालाल जोशी** (मध्य सौराष्ट्र) : हमें अपने देश के लिये एक स्वतन्त्र तथा सुदृढ़ सेना की आवश्यकता है। यद्यपि हम देखते हैं कि राजस्व का ५० प्रतिशत सुरक्षा पर व्यय किया जाता है तो भी उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह व्यय अपर्याप्त है। पहले हम गुलाम थे और आज स्वतन्त्र अतः हमें चारों ओर से रक्षा का प्रबन्ध करना है। हम देखते हैं कि हमारे सीमान्त क्षेत्र लगभग २,००० मील तक अरक्षित हैं। हम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच मिट्टी की दीवालें तक नहीं बनवा सके हैं। वे लोग अनेक प्रकार के निर्माण कार्य तथा सभी प्रकार की सेनाओं के संगठन में व्यस्त हैं किन्तु शान्ति की बात करते हैं। हमें अपनी ही शक्तियों चाहे वह मानवीय हों अथवा सामग्रिक उन्हीं पर विश्वास करना है। अब हमें स्वयं ही सुदृढ़ बनना है, वह तब तक नहीं होगा जब तक हमारी सेनायें सशस्त्र और सुदृढ़ न होंगी। हम जानते हैं कि हमार देश अत्यन्त गरीब है किन्तु त्याग के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मुझे नवीन नियुक्त रक्षा मन्त्री श्री महावीर त्यागी के सम्बन्ध में वित्त मंत्री की ओर से कहना है कि ऐ रक्षा मंत्री, मैं आपको आपकी आवश्यकतानुसार नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत की सम्पत्ति राष्ट्र की रक्षा के लिये दे रहा हूं। यदि शिक्षा का प्रश्न आता तो वह शिक्षा मंत्री से कहते कि मैं आपको केवल एकत्रित ऋण दे सकता हूं। धन तो अब मेरे पास रहा ही नहीं है। हमारे समक्ष आज चारों ओर से कठिनाइयों के बादल उमड़ते चले आ रहे हैं। एक ओर कोरिया युद्ध हो रहा है, फारस में तेल की समस्या है, स्वेज नहर का झगड़ा चल रहा है तथा काश्मीर का मामला अभी तय होना है आदि समस्यायें हमारे सम्मुख हैं। ऐसी दशा में अपने को एक दम अलग रख कर काम नहीं चला सकते। अतः अधिक सशस्त्र सेना, जल-सेना तथा नौ सेना की आवश्यकता है।

तत्पश्चात् सौराष्ट्र का प्रश्न आता है। जूनागढ़ का कराची से जल मार्ग द्वारा केवल ३०० मील का फासला है। अतः मैं रक्षा मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि वायु सेनाओं की अधिकाधिक उन्नति हो सके। सौराष्ट्र में अनेक रेजीमेन्ट हैं। यहां के लोग बड़े ही वीर रहे हैं और प्राचीन काल में उन्होंने अनेक बैरियों का सामना दृढ़तापूर्वक किया है। यदि उनको अच्छी सैनिक शिक्षा दी जाय तो वे हमारी सेनाओं के लिये बड़े उपयुक्त सिद्ध होंगे। वहां की राजपूत, अहीर, मेहार, तथा वघेर आदि जातियों की आर्थिक अवस्था बड़ी शोचनीय है। अतः यदि इन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाय तो मुझे विश्वास है कि हमारी सेना में उनका एक बड़ा अच्छा रेजीमेंट बन सकता है।

अब मेरे सम्मुख जोदिया और सलाया बन्दरगाहों का प्रश्न है जो सौराष्ट्र के उत्तरी भाग में हैं। किसी समय समुद्री व्यापार में इनका बोलबाला था किन्तु आज ये नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, मल्लाह और खलासी निर्धनता से त्रस्त हैं। जामनगर में नौ सेना सम्बन्धी शिक्षा के लिये विद्यालय है। यदि खल्लासी तथा मल्लाह जातियों के नवयुवक इस विद्यालय में शिक्षा पायें तो वे एक दिन अच्छी नौसेना बनाने में सहायक हो सकेंगे।

**श्री जयपाल सिंह** : यह 'सीलेंड गोलमाल' मेरे लिए अब भी गोलमाल है और रहेगा। इस गोलमाल की जांच के लिए मुझे बुलाया गया है ताकि मैं वहां जाकर इसकी पूरी पूरी जांच कर सकूं। मैंने इस निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया है। लोग 'सीलेंड'

[श्री जयपाल सिंह]

के इंजिन की बड़ी प्रशंसा करते हैं, मैं मानता हूं कि इसका ढांचा बड़ा अच्छा है किन्तु केवल ढांचा ही तो सब कुछ नहीं है। आपको तो सभी हवाई जहाज़ की उपयोगिता को ध्यान में रखना होगा। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को सकल रूप से राष्ट्रीय सम्पत्ति की दृष्टि से देखना होगा। अभी तक कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि ये सेनायें तो किराये की हैं। वे यह पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि इन सशस्त्र सेनाओं पर हमारे राष्ट्र की भित्ति ठहरी है। जब हम रक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में वाद-विवाद कर रहे हैं, तो समझिये कि हम वास्तविकता और देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं।

हमारे राज्य मंत्रियों को भी यह बात ध्यान रखनी होगी कि प्रतिरक्षा का प्रश्न एक राष्ट्रीय मामला है। पूर्वी कमान लखनऊ को केवल इसी कारण से आ रही है कि उसे बिहार के मन्त्रियों का सहयोग नहीं मिल सका। सेना वहां रहना चाहती थी। बिहार मन्त्री-मंडल ने प्रतिरक्षा मंत्रालय की सहायता मकानों तथा भूमि देने में नहीं की जो कि पूर्वी कमान को यहां स्थायित्व देने में आवश्यक थी। जब उनके रहने के लिये मकान नहीं होंगे काम करने के लिये स्थान नहीं होगा तो वहां ठहरने से क्या लाभ। मुझे दुख है कि बिहार के मन्त्रियों ने अपनी राष्ट्रीय सेना को सहयोग नहीं दिया, और इस प्रकार उन्होंने अपने मनुष्यों को ही हानि पहुंचाई है। इस प्रकार निर्धन लोग करोड़ों रुपया खोयेंगे। मैं उपमंत्री द्वारा संसद् के नेता तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वे इस मामले को फिर लें क्योंकि मैं उनको आश्वासन देता हूं कि बिहार से निर्वाचित सभी संसद् सदस्य मेरे साथ हैं और वे सभी इस मांग को एकमत होकर चाहते हैं। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि सैनिक पदाधिकारी अभी तक पहली ही विचारधारा के हैं।

निवृत्ति वेतन का प्रश्न भी है। हम इस बात की तो बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं कि सेना पर अधिक धन व्यय किया जाता है। मैं इस विषय पर आयव्ययक सम्बन्धी वाद-विवाद के समय बहुत कुछ कहूंगा। किन्तु इतना कह देना चाहता हूं कि निवृत्ति वेतन का प्रश्न कोरा प्रश्न ही नहीं हैं, हालांकि उपरक्षा मंत्री ने अभी कहा था कि सिपाही को वैसी अन्य सुविधायें मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए एक सैनिक सिपाही को लीजिए और दूसरी ओर एक असैनिक कर्मचारी को लें। मान लीजिए कि दोनों ही अवकाश प्राप्त करते समय १५० रुपया वेतन पाते हैं। तो गाडगिल प्रतिवेदन के अनुसार असैनिक कर्मचारी को ८१) निवृत्ति वेतन के रूप में मिलेंगे जबकि एक सैनिक को केवल ५१)। यह ठीक है कि सैनिक कर्मचारी को खाना और बर्दी भी मिलती है। थोड़ा ऊंचा चले तो मान लीजिये अवकाश प्राप्त करते समय दोनों का वेतन २५०) है। तो असैनिक कर्मचारी को १५७॥) मिलेंगे जबकि सैनिक कर्मचारी को ९५)। हवाई सेना में जिस वारंट अधिकारी को २५०) मिलते हैं, नई योजना के अनुसार उसे निवृत्ति वेतन केवल ८७) रुपया मिलेगा। जबकि असैनिक कर्मचारी को इसका दुगना मिलेगा। दोनों ही भारतीय हैं, किन्तु दोनों की स्थिति में कितना अन्तर है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है हमारे सैनिकों की दशा अच्छी नहीं है। सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के बीच इस विभेद को मैं हेय दृष्टि से देखता हूं। संसद् के सदस्यों के लिये यह उचित है कि वे सैनिक अधिकारियों से अपना सम्पर्क बढ़ायें ताकि उनकी कठिनाइयों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सके।

**श्री नम्बियार** : किन्तु सैनिक अधिकारियों को आज्ञा नहीं है कि वे हमारे पास आयें और मिलें। एक सैनिक अधिकारी जिन्होंने मेरे निवास स्थान पर मुझ से भेंट की उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया है।

**श्री जयपाल सिंह** : मुझे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती।

**श्री नम्बियार** : मुझ से सैनिक कर्मचारी मिलना चाहते हैं। किन्तु मिलने के उपरान्त उन्हें नौकरी से च्युत कर दिया जाता है।

**श्री त्यागी** : उन्होंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की।

**श्री नम्बियार** : मैं आप को कल उदाहरण दूंगा।

**श्री जयपाल सिंह** : युद्ध-पश्चात् पुनर्संगठन निधि का ही प्रश्न लीजिए। युद्ध काल में करोड़ों रुपया भरती करने वाले प्रान्तों के लिए रखा गया था। युद्ध की समाप्ति पर पंजाब को १४० लाख रुपया मिला परन्तु, अब उसके पास १३३ लाख अवशेष है। यह केवल इस लिए कि वे केवल भूतपूर्व सिपाही हैं मद्रास को १८६ लाख रुपया दिया गया और उसके पास ८७ लाख अवशिष्ट हैं। ये उदाहरण हैं कि हम अपनी सेना के ही बारे में क्या सोचने लगे हैं, वे भले ही धनार्थी रहे हों परन्तु हमारे समक्ष बैठे मित्रों की विचार धारा भी तो पहले भिन्न थी। सेना भी अब समयानुकूल बन गई है और मैं समझता हूं कि इस सदन के किसी सदस्य द्वारा हमारी सशस्त्र सेनाओं की निन्दा करना अनुपयुक्त है।

पश्चिमी सेना के सेनापति को कई सप्ताह मकान प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ी। सरकार का कोई भी सचिव इस पर चिल्ला पड़ेगा परन्तु कश्मीर आन्दोलन के इस जैनरल ने इसे संतोष पूर्वक सहन किया। अपनी श्रेणी मे घटिया मकान के मिलने पर जहां रक्षकगण नहीं रखे जा सकते थे उन्हें मानसिक दुख और कष्ट हुआ परन्तु क्या उन्होंने शिकायत की? अभी कुछ दिन पूर्व ही उन के योग्य निवास-स्थान मिला। इसलिये हमें कुछ यथार्थवादी होना चाहिये। उन्हें इसलिये नहीं छोड़ना चाहिये कि हम अधिक देश भक्त हैं। हम बात अधिक करते हैं परन्तु वे काम करने वाले व्यक्ति हैं। जब कभी देश में संकटकाल हों, दुर्भिक्ष हों, बाढ़ें हों, नागरिक प्रशासन में शान्ति और व्यवस्था के संधारण में कठिनाई हो तो हमारी सशस्त्र सेनाएं प्रबन्ध करती हैं, यही वे व्यक्ति हैं जो सदा सेवा के लिये तैयार रहते हैं। वे न्याय संगत शिकायतों के लिये भी मुंह नहीं खोलते। जैसे कि पेंशनों के प्रश्न को ही लीजिए, हम साम्राज्य की सेना के व्यक्तियों से यह प्रत्याशा नहीं कर सकते कि वे अपनी योजनाओं से प्रभावित होने वाले प्रान्तीय व्यक्तियों के लिये कोई भावना रखें। मुझे आशा है कि पेंशनों का कार्य निष्पादित नहीं हुआ। मुझे आशा है कि वे गाडगिल समिति के अभिस्तावों को कार्यान्वित करते हुए अनुभव करेंगे कि असैनिकों की अपेक्षा सैनिकों को कोई हानि नहीं होगी क्योंकि सैनिकों को असैनिकों की अपेक्षा बहुत कठिन समय सहना पड़ता है। इसलिये हमें केवल इसलिये उन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिये कि वे शिकायत नहीं कर सकते, सेवा के अनुशासन के अधीन श्री नम्बियार के घर पर जाकर शिकायत नहीं कर सकते। वह सिपाही के साथ साथ नागरिक भी है और उसे लोकतन्त्र देश में न्याय मिलना चाहिये।

मैं अपने मित्र की बात को पसन्द करता हूं जो कि उन्होंने मांग संख्या १२ उप-शीर्षक क (छ) ४० लाख रुपये की मद "किराए पर लिया गया परिवहन" के अधीन बताई। वह यह है कि "इस उपबन्ध के अधीन वे व्यय आते हैं जो जब सरकारी परिवहन प्राप्य न हों सैनिकों को लाने ले जाने पर ठेके के आधार

[श्री जयपाल सिंह]

स्वरूप किराए पर लिए गए परिवहन द्वारा होते हैं" इस से सैनिक परिवहन के प्रबन्धों में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। जब मैं ने ठेके के आधार पर शब्द सुने तो मुझे इसमें गड़बड़ दिखाई दी। मेरे मित्र कृपया इसे समझ कर बतलायेंग कि इसके क्या अर्थ हैं।

मैं व्यक्तिगत रूप से सशस्त्र सेनाओं की अपूर्व निष्ठा तथा उज्ज्वल सेवाओं के लिये श्रद्धांजलि देता हूं। और दिवंगत श्री गोपाल स्वामी आयगर को भी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं जो रक्षा मन्त्रालय में स्वतन्त्रता पश्चात् आई समस्याओं को सुलझाते हुए चल बसे। मझ आशा है कि उस के उत्तराधिकारी उस द्वारा रक्षा सेनाओं को दिए गए बचनों को नहीं भूलेंगे। कुछ बातें लिखित नहीं हैं परन्तु हम जानते हैं कि वे क्या सोचते थे।

और अन्त में मैं उस महान् जनरल करिअप्पा को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं जो अब भारतीय सेना से रिटायर हो गए हैं। मझ आशा है कि सदन के नेता उन के उन सुन्दर शब्दों को स्मरण करेंगे जो उन्होंने बिदाई भोज के समय कहे थे। मुझे आशा है कि इस देश के इस प्रकार के व्यक्तियों का अधिक उपयोग होता रहेगा।

**तत्पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, २५ मार्च १९५३ के २ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।**

GIPD—HS—248 PSD--28-12-53—285.